सत्रह बिन्दुओं वाली सूचना का अधिकार हस्तपुस्तिका

(RTI MANUAL)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

(30 जून, 2022 तक का विवरण)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालयः हल्द्वानी

जिला– नैनीताल (उत्तराखण्ड)

पिन कोड– 263139

विवरणिका

पृष्ठ संख्या

प्राक्कथन

मैनुअल सं0— 01 (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य)	01 — 05
मैनुअल सं0— 02 (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य)	01 — 25
मैनुअल सं0— 03 (विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिससे पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है)	01 — 05
मैनुअल सं0— 04 (अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान)	01 — 01
मैनुअल सं0— 05 (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख)	01 — 61

विविध

अध्याय— 01 (प्रारम्भिक)

अध्याय— 02 (विश्वविद्यालय एवं उसके उद्देश्य)

अध्याय— 03 (निरीक्षण तथा जॉच)

अध्याय— 04 (विश्वविद्यालय के अधिकारी)

अध्याय— 05 (विश्वविद्यालय के प्राधिकारी)

अध्याय— 06 (विश्वविद्यालय निधि)

अध्याय— 07 (परिनियम, अध्यादेश और विनियम)

अध्याय— 08 (वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा)

अध्याय— 09 (कर्मचारियों की सेवा शर्ते)

अध्याय— 10 (प्रकीर्ण)

अध्याय— 11 (विविध एवं संक्रमणकालीन उपबंध)

अनुसूची (विश्वविद्यालय के उद्देश्य)

उत्तराखण्ड शासन प्रथम परिनियमावली 2009

अध्याय– 01 (प्रारम्भिक)

अध्याय– 02 (कुलाधिपति की शक्तियॉ)

अध्याय– 03 (कुलपति)

अध्याय– 04 (निदेशक, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारी)

अध्याय– 05 (विश्वविद्यालय के प्राधिकारी)

अध्याय– 06 (विश्वविद्यालय के अध्यापक)

अध्याय– 07 (कर्मचारी वर्ग, अध्यापक से भिन्नद्ध की सेवा के निबन्धन और शर्ते)

अध्याय– 08 (उपाधियॉ और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना)

अध्याय– 09 (किसी उच्च शिक्षा संस्था की मान्यता)

अध्याय– 10 (दीक्षान्त समारोह)

अध्याय– 11 (अधिभार)

अध्याय– 12 (वार्षिक प्रतिवेदन)

अध्याय– 13 (अध्यादेश और विनियम)

मैनुअल सं0– 06	(ऐसे दस्तवेजों के, जो उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा धारित या उसके नियत्रंणाधीन है, प्रवर्गो का वितरण)	01 – 07
मैनुअल सं0– 07	(किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यामान है)	01 – 01
मैनुअल सं0– 08	(ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण)	01 – 05
मैनुअल सं0– 09	(उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी व अन्य की निर्देशिका)	01 – 06
मैनुअल सं0– 10	(उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति)	01 – 09

मैनुअल सं0– 11	(उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों) पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने अभिकरण को आंबटित बजट.	01 – 09
मैनुअल सं0– 12	(सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें रीति आंबटित राशि और ऐसे कार्यक्रमो के फायदाग्राहियों के व्योरे सम्मिलित हैं.)	01 – 01
मैनुअल सं0– 13	(अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां.)	01 – 01
मैनुअल सं0– 14	(किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो.)	01 – 01
मैनुअल सं0– 15	(सूचना अभिप्रापत करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मलित है.)	01 – 01
मैनुअल सं0– 16	(लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां)	01 – 01
मैनुअल सं0– 17	(उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय.) (क) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिये चयनित अध्ययन केन्द्रों की संख्या एवं अन्य विवरण (ख) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों में प्रभावी नियन्त्रण समनवयक हेतु गठित क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण (ग) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण (घ) विश्वविद्यालयय में संचालित पाठ्यक्रम एवं उनमें पंजीकृत विद्यार्थियों का विवरण	01 – 17
नोट–		01 – 01

प्राक्कथन

उत्तराखण्ड राज्य की समृद्ध परम्पराओं के आधार पर राज्य की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय संस्थानों की उन्नति और अभिवृत्ति के लिये शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और विस्तार के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना अधिनियम संख्या–23 वर्ष 2005 द्वारा की गयी है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न आधार अवधारित किये गये हैः–

1. देश की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों का निर्माण।
2. श्रमजीवी जनता, घरेलू महिलायें तथा ऐसे वयस्कों, जो विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन के इच्छुक हों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान कराना।
3. विकास एवं सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप अनुसंधान, शोध, प्रशिक्षण एवं कुशलता वृद्धि के अवसर उपलब्ध कराना।
4. विभिन्न विधाओं में विद्या की अभिवृद्धि और विशिष्टता के उद्देश्य से पाठ्यक्रमों का मिश्रण कर पाठ्यक्रमों को विरचित करना।
5. औपचारिक पद्धति के अनुपूरक के रूप में अनौपचारिक पद्धति के रूप में पाठ्यक्रमों का विकास तथा साफ्टवेयर के समुचित प्रयोग द्वारा गुणवत्ता का अन्तरण।
6. विभिन्न कलाओं, शिल्पों कुशलताओं की गुणवत्ता में सुधार कर जनसामान्य के लिये प्रशिक्षण आयोजित करना।
7. विभिन्न संस्थाओं के लिये अपेक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देना।
8. राष्ट्रीय एकता एवं मानव व्यक्तित्व का समन्वित विकास।
9. दूरस्थ एवं अनुवर्ती शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिये प्रयास करना तथा अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के संयोग से नवीनतम ज्ञान और नई शिक्षण प्रौद्योगिकी के आधार पर उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गयी है जिनके माध्यम से अधिसंख्य प्रदेश वासियों को उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ कराने का सतत् प्रयास किया जा रहा है। आशा है कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये जा रहे कार्यो से राज्य के सभी वर्ग लाभान्वित होंगें।

यह सूचना पुस्तिका नागरिकों को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न नियमों और विनियमों में निहित प्रावधानों और संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।

(प्रो0 ओ0पी0एस0 नेगी)
कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

मैनुअल संख्याः 1

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य

1. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 23 वर्ष–2005 (अधिसूचना संख्या 608/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 दिनांक 31 अक्टूबर, 2005) द्वारा स्थापित किया गया है। अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से जिसमें संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग भी है अधिसंख्यक जनसमुदाय में शिक्षा व ज्ञान के प्रसार में अभिवृद्धि करेगा और अपने क्रियाकलापों को संचालित करने का सम्यक् ध्यान रखेगा।

2. प्रारम्भ में विश्वविद्यालय को भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 अप्रैल, 2011 के माध्यम से 10 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित की गयी है। उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या जी0आई0 2557/7–1–2011–800(1756)/2006 दिनांक 28 अप्रैल, 2011 द्वारा भूमि अधिग्रहण का आदेश हुआ है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी से आवंटित भूमि का आदान–प्रदान दिनांक 05 मई, 2011 को विश्वविद्यालय द्वारा कर लिया गया है तथा कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्र संख्या 3478/12–1(2) दिनांक 10/05/2011 के माध्यम से वन भूमि के आदान प्रदान प्रमाण–पत्र दिनांक 05.05.2011 को निर्गत किया जा चुका है।

3. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या संख्या 02/XXIV(6)/2006 दिनांक 03 जुलाई, 2006, संख्या 13/XXIV(6)/2010 दिनांक 22 मार्च, 2010, संख्या 53/XXIV(6)/2011 दिनांक 11 अगस्त, 2011, संख्या 1041/XXIV(6)/2014/24(1)13, दिनांक 15 जुलाई, 2014, संख्या 1201/XXIV(6)/2016-1(43)/2016, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 एवं संख्या 489/XXIV(6)/2019-01(06)/2018, दिनांक 11 सितम्बर, 2019 तथा शासनादेश संख्या 576/XXIV-C-1/2020-01(06)/2018, दिनांक 06.10.2020 के माध्यम से विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों का सृजन किया गया। सृजित पदों का विवरण निम्नवत है–

क) आचार्य पदों का विवरण :–

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या जिसके माध्यम से पदों का सृजन किया है।	सृजित पदों का विवरण (प्राध्यापक)		पूरित पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
		विषय का नाम	पदों की संख्या		
1	संख्या 02/XXIV(6)/2006 दिनांक 03 जुलाई, 2006	अंग्रेजी	01	–	01
2		इतिहास	01	01	–
3		कम्प्यूटर साइंस	01	01	–
4		मैनेजमेन्ट	01	01	–
5		शिक्षा शास्त्र	01	–	01
6		वाणिज्य	01	–	01
7		होटल मैनेजमेन्ट	01	–	01
8	संख्या 13/XXIV(6)/2010 दिनांक 22 मार्च, 2010	पत्रकारिता एवं जनसंचार	01	–	01
9	संख्या 53/XXIV(6)/2011 दिनांक 11 अगस्त, 2011	विधि	01	01	–
10		समाज शास्त्र	01	01	–
11		शिक्षा शास्त्र	01	–	01
12		राजनीति शास्त्र	01	–	01
13	संख्या 489/XXIV(6)/2019-01(06)/2018 दिनांक 11 सितम्बर, 2019	भूगर्भ विज्ञान	01	01	–
14	संख्या 576/XXIV-C-1/2020-01(06)/2018 दिनांक 06.10.2020	भौतिकी	01	–	01
	कुल पद		**14**	**06**	**08**

ख) सह प्राध्यापक पदों का विवरण :–

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या जिसके माध्यम से पदों का सृजन किया है।	सृजित पदों का विवरण (प्राध्यापक)		पूरित पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
		विषय का नाम	पदों की संख्या		
1	संख्या 1041/**XXIV(6)/2014/24(1)13,** दिनांक 15 जुलाई, 2014	विकास अध्ययन	01	–	01
2		शिक्षक शिक्षा	01	01	–
3		कम्प्यूटर साइंस	01	01	–
4		पत्रकारित एवं जनसंचार	01	01	–
5		वाणिज्य	01	01	–
6		गणित	01	01	–
7		जन्तु विज्ञान	01	01	–
8		हिन्दी	01	–	01
9		इतिहास	01	01	–
10		अर्थशास्त्र	01	–	01
कुल पद			**10**	**07**	**03**

ग) सहायक आचार्य पदों का विवरण :–

क्रम सं0	शासनादेश संख्या जिसके माध्यम से पदों का सृजन किया है।	सृजित पदों का विवरण (सहायक प्राध्यापक)		पूरित पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
		विषय का नाम	पदों की संख्या		
1.	संख्या 02/ XXIV(6)/2006 दिनांक 03 जुलाई, 2006	शिक्षा शास्त्र	02	02	–
2.		कम्प्यूटर साइंस	01	01	–
3.		पर्यटन	01	01	–
4.		मैनेजमेन्ट	02	02	–
5.		वाणिज्य	01	01	–
6.		होटल मैनेजमेन्ट	01	01	–
7.		अंग्रेजी	01	01	–
8.		हिन्दी	01	01	–
9.		अर्थशास्त्र	01	01	–
10.		राजनीति शास्त्र	01	01	–
11.		समाज शास्त्र	01	01	–
12.		इतिहास	01	01	–
13.	संख्या 13/XXIV(6)/2010 दिनांक 22 मार्च, 2010	पत्रकारिता एवं जनसंचार	01	01	–
14.		कृषि	01	01	–
15.		वानिकी	01	01	–
16.		आयुर्वेद	01	01	–
17.		लाईब्रेरी साइंस	01	–	01
18.		भौतिकी	01	01	–
19.		संस्कृत	01	01	–
20.		रसायन विभाग	01	01	
21.	संख्या 53/ XXIV(6)/2011 दिनांक 11 अगस्त, 2011	योग	01	01	–
22.		शिक्षा शास्त्र	02	02	–

23.		ज्योतिष	01	01	–
24.		एम.एस.डब्लू	01	01	–
25.	संख्या 1041 / XXIV(6)/2014/24(1)13, दिनांक 15 जुलाई, 2014	विधि	01	01	–
26.		वनस्पति विज्ञान	01	01	–
27.		भूगोल	01	–	01
28.		मनोविज्ञान	01	01	–
29.		लोक प्रशासन	01	01	–
30.		स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज	01	–	01
31.		लाइब्रेरी साइंस एवं सूचना साइंस	01	–	01
32.	संख्या 1201/XXIV(6)/2016-1(43)/2016 दिनांक 01.12.2016	रसायन विज्ञान	02	02	–
33.		भौतिक विज्ञान	02	02	–
34.		योग	01	01	–
35.		वाणिज्य	01	01	–
36.		हिन्दी	01	01	–
37.		संगीत	01	01	–
38.		गृह विज्ञान	01	01	–
39.		उर्दू	01	–	01
40.		गणित	01	01	–
41.		बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा)	01	01	–
कुल पद			**46**	**41**	**05**

4. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 890 / XXIV(6)/2005 दिनांक 18 नवम्बर, 2005, संख्याः 02 / XXIV(6)/2006 दिनांक 13 जनवरी, 2006, संख्याः 02 / XXIV(6)/2006, दिनांक 03 जुलाई, 2006, संख्या 13 / XXIV(6)/2010, दिनांक 22 जनवरी, 2010, संख्याः 13 / XXIV(6)/2010 दिनांक 06 जुलाई, 2010, संख्या 53 / XXIV(6)/2011 दिनांक 02 फरवरी, 2011, 101 / 23(1)13 / XXIV(6), दिनांक 08 / 02 / 2014, संख्या 983 / XXIV(6)/2016-133/2012, दिनांक 10 / 11 / 2016, संख्या 1497 / XXIV(6)/2015-133/12, दिनांक 31 / 12 / 2015, संख्या 1202 / XXIV(6)/2016-01(44)/16, दिनांक 01 / 12 / 2016, संख्या 540/XXIV(6)/2019-01(08)/2012, दिनांक 07.08.2019 के माध्यम से विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर पदों का सृजन किया गया। सृजित पदों का विवरण निम्नवत हैः

क्र0सं0	विभिन्न वर्गो के पदों का नाम	नियमित			आउटसोर्सिंग		
		पदों की संख्या	पूरित	रिक्त	पदों की संख्या	पूरित	रिक्त
1.	कुलपति	01	01	—	—	—	—
2.	परीक्षा नियन्त्रक	01	01	—	—	—	—
3.	कुलसचिव	01	—	01	—	—	—
4.	वित्त अधिकारी	01	01	—	—	—	—
5.	सहायक क्षेत्रीय निदेशक	08	08	—	—	—	—
6.	उपकुलसचिव	01	01	—	—	—	—
7.	सहायक कुलसचिव	06	03	03	—	—	—
8.	जनसम्पर्क अधिकारी	01	01	—	—	—	—
9.	शोध अधिकारी	03	03	—			
10.	सहायक निदेशक (कम्प्यूटर आई0टी0)	04	04	—			
11.	आशुलिपिक ग्रेड–1	04	02	02	—	—	—
12.	वैयक्तिक सहायक (कुलपति कार्यालय)	01	—	01	—	—	—
13.	लेखाकार	01	—	01	—	—	—
14.	सहायक लेखाकार	02	—	02	—	—	—
15.	कैशियर	01	—	01	—	—	—
16.	सहायक स्टोर कीपर	01	—	01	—	—	—
17.	क्रय सहायक	01	—	01	—	—	—
18.	कनिष्ठ सहायक	27	08	19	—	—	—
19.	सिस्टम मैनेजर	01	01	—	—	—	—
20.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	02	02	—	—	—	—
21.	हार्डवेयर इंजीनियर	02	02	—	—	—	—
22.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2	01	01	—	—	—	—
23.	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	—	01	—	—	—
24.	प्रवर सहायक	02	—	02	—	—	—
25.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	—	02	—	—	—
26.	नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर	01	01	—	—	—	—

27.	ड्राइवर	03	03	–	–	–	–
28.	नैटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	–	–	–	01	–	01
29.	असिस्टेंट प्रोग्रामर	–	–	–	01	–	01
30.	वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर	–	–	–	01	01	–
31.	कम्प्यूटर लिट्रेट स्टेनों	–	–	–	02	01	01
32.	कम्प्यूटर लिट्रेट एकाउन्टेंट	–	–	–	02	01	01
33.	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	–	–	–	09	09	–
34.	डाटा एंट्री ऑपरेटर / क्लर्क टाइपिस्ट	–	–	–	02	02	–
35.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	–	–	–	02	02	–
36.	कोऑर्डिनेटर	–	–	–	08	08	–
37.	कम्प्यूटर लिट्रेट पी0ए0				02	01	01
38.	इलैक्ट्रीशियन	–	–	–	01	01	–
39.	ड्राइवर	–	–	–	01	01	–
40.	लैब असिस्टेंट	–	–	–	01	01	–
41.	क्लर्क कम टाइपिस्ट	–	–	–	01	01	–
42.	कैटलागर्स	–	–	–	02	02	–
43.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक				03	02	01
44.	अनुसेवक	–	–	–	01	01	–
45.	स्टोरमेट	–	–	–	01	–	01
46.	बुक लिफ्टर	–	–	–	01	01	–
47.	प्लम्बर	–	–	–	01	01	–
48.	हेल्पर	–	–	–	01	01	–
49.	माली	–	–	–	01	01	–
50.	स्वच्छक	–	–	–	01	01	–
51.	चौकीदार	–	–	–	02	02	–
52.	गार्ड	–	–	–	06	06	–
53.	चपरासी	–	–	–	04	02	02
	योग	80	43	37	58	49	09

नोट : पदों से सम्बन्धित शासनादेश अलग लिंक के माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध हैं–

http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-09/post-go.pdf

मैनुअल संख्याः 2

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

<table>
<tr>
<td>कुलाधिपति–

परिनियम की धारा 3</td>
<td>3.
(1) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर, जो उन्हें धारा 40 के अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिसे वह आवश्यक समझे, मांग सकते हैं, और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं और ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं, जिसे वह उचित समझें।
(2) निम्नलिखित किन्हीं परिस्थितियों में कुलाधिपति, किसी उपर्युक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिए, जैसा वह विनिर्दिष्ट करें, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेंगे–
(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुल सचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जायेगी,
(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे परिनियम 3 के खण्ड (1) से खण्ड (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो,
(ग) किसी अन्य आपात स्थिति में;
परन्तु यह कि कुलाधिपति इस परिनियम के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय–समय पर बढ़ा सकेगें, किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि, जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है, एक वर्ष से अधिक न हो।
(3) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जानबूझकर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।
(4) परिनियम 2 के खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाये,
(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे वह परिलब्धियां प्राप्त होती रहेगी, जिनके लिए वह अन्यथा, परिनियम 4 के खण्ड (8) के अधीन हकदार था।
(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का निर्वहन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।</td>
</tr>
</table>

कुलपति — परिनियम की धारा 4	4 (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा परिनियम 3 के खण्ड (2) या परिनियम 4 के खण्ड (5) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम परिनियम 4 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों। (2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी, अर्थात्ः— (क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य; (ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रख्यात शिक्षाविद; (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव, जो सदस्य संयोजक होगा। (3) परिनियम 4 के अधीन, पदावधि की समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाए, ऐसी तारीख के पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय ऐसे व्यक्तियों में से,जिनकी संस्तुति की गयी है, प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी, किन्तु वह उनमें कोई अधिमान क्रम उपदर्शित नहीं करेगी। (4) जहां कुलाधिपति ऐसे व्यक्तियों में से, जिनकी संस्तुति की गयी है या जिनकी समिति द्वारा सिफारिश की गयी है, किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझते है, अथवा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गयी है उनमें से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो कुलाधिपति समिति से, परिनियमों के अनुसार, नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे। (5) यदि समिति परिनियम 4 के खण्ड (3) या परिनियम 4 के खण्ड (4) में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असमर्थ है, या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नामों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं, तो कुलाधिपति शिक्षा—क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्ति करेगें, जो परिनियम 4 के खण्ड (3) के अनुसार नाम प्रस्तुत करेगी। (6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसके संबंध में बाद में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था। (7) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा; परन्तु यह कि कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा कुलपति किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपने पद पर नहीं बना रहेगा।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(9) कुलपति अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा;

परन्तु यह कि जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाये तो उसे उस भविष्य निधि में जिसका वह अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा, जिस सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा है।

(10) जब तक कि कोई कुलपति परिनियमावली के अधीन अपने पद का कार्यभार न संभाल ले, तब तक विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(11) कुलपति–

(क) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की बैठकों और विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ;

(ख) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र समुचित दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(12) कुलपति धारा 16 के अधीन यथा उल्लिखित विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(13) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु उसे इस परिनियम के अधीन मत देने का हकदार नहीं होगा।

(14) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 10 तथा 40 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(15) कुलपति को कार्य परिषद् योजना बोर्ड, विद्यापरिषद् वित्त–समिति तथा सभी अन्य साविधिक समितियों की बैठकें बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी।

(16) जहां विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना तत्काल कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण प्रक्रिया में मामले के संबंध में कार्यवाही करते;

	परन्तु यह कि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा; परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित के रूप में प्रभावी होगी। किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तरण से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; परन्तु अग्रत्तर यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस परिनियमावली के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के उस तारीख से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के अन्दर कार्यपरिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्यपरिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्टि या उपांतरित कर सकेगी या उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगी। (17) परिनियम 4 के खण्ड (6) में किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय–व्यय में न की गयी हो। (18) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जाये। (19) कुलपति– (एक) अनुदेशकों, पाठ्यक्रम लेखकों, पटकथा लेखकों, काउन्सलरों, परामर्शदाताओं, प्रोग्रामरों, कलाकारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझा जायें, (दो) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक समझे जायें, और अध्यादेशों में अधिकथित प्रक्रिया अनुसार चयनित हो, एक समय में छः मास से अनधिक की अवधि के लिए अल्पकालिक नियुक्तियां कर सकता है; (तीन) समय–समय पर यथाअपेक्षित रूप से विभिन्न स्थानों पर अध्ययन केन्द्रों और प्रोग्राम केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण करेगा और विश्वविद्यालय अपने किसी कर्मचारी को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा जो उक्त केन्द्रों के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझी जायें; (चार) विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और प्रशासकों की समिति या समितियां गठित करेगा, जो कि विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक हों।
निदेशक– परिनियम की धारा 5	5 (1) निदेशक, प्रत्येक विद्या शाखा से वरिष्ठता के आधार पर आचार्यों में से चक्रानुक्रम के अनुसार कुलपति द्वारा अधिकतम 3 वर्षों हेतु अथवा अधिवर्षता पूर्ण होने जो भी पहले हो तक नियुक्त किये जायेगें। निदेशक विद्या शाखा के

	अन्तर्गत समस्त विभागों/विषयों में अकादमिक कार्यों में समन्वय स्थापित करेंगे। (2) निदेशकों की सेवा की अन्य शर्तें एवं वेतन परिलब्धियॉ इत्यादि ऐसी होंगी जैसी कि विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग के लिए विहित हैं।
कुलसचिव– परिनियम की धारा 6	6 (1) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की जायेगी। कुलसचिव के नियंत्रणाधीन उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव भी अन्य राज्य विश्वविद्यालय की तरह ही राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ; परन्तु यह कि यदि किन्ही कारणों से लोक सेवा आयोग कुलसचिव की नियुक्ति करने में असमर्थ रहता है अथवा यह पद रिक्त रहता है तो कुलपति राज्य सरकार से परामर्श कर विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त कर सकेगा या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त करने का निर्देश ले सकेगा। (2) कुलसचिव की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। (3) कुलसचिव की सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) के अधीन बनाई गयी उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी। (4) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। कुलसचिव, कार्य–परिषद् योजना बोर्ड, विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गठित प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह मत देने का हकदार न होगा। (5) कुलसचिव को अधिनियम और परिनियमावली में यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जाएगा और न ही वह स्वीकार करेगा। (6) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुलसचिव का अनुशासनिक नियंत्रण निम्नलिखित के सिवाय विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों पर होगाः– (क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण ; (ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या पारिश्रमिक वाले कोई पद धारण कर रहे हों या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अंतरीक्षक (इनविजिलेटर) हों; (ग) पुस्तकालयाध्यक्ष ; (7) परिनियम 6 के खण्ड (6) में निर्दिष्ट अनुशासनिक नियत्रंण से सम्बन्धित किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर

	ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, परिनियम 18 के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को कुल सचिव के माध्यम से अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा। (8) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगाः— (क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य—परिषद् द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो; (ख) विभिन्न प्राधिकारियों की बैठक से संबंधित प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिए समस्त सूचनायें जारी करना और ऐसे समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखना; (ग) कार्य—परिषद्, विद्या—परिषद, योजना बोर्ड और मान्यता बोर्ड का सरकारी पत्राचार; (घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना, जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो; (ड.) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामें पर हस्ताक्षर करना अभिवचनों का सत्यापन करना।
वित्त अधिकारी—परिनियम की धारा 7	7 (1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा। वित्त अधिकारी की नियुक्ति वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों में से की जायेगी। उसकी परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, राज्य सरकार के वित्त एवं लेखा सेवा के लेखाधिकारियों पर लागू नियमों और आदेशों द्वारा शासित होगी। वित्त अधिकारी को संदेय परिलब्धियों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। (2) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा, नाम—निर्दिष्ट किसी एक विद्या—शाखा निदेशक द्वारा किया जायेगा और यदि किसी कारण ऐसा करना साध्य न हो तो कुल सचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जायें। (3) वित्त अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगेः— (क) कार्य परिशद में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा; (ख) विश्वविद्यालयों के क्रिया—कलापों से संबंधित ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करना, ऐसी सूचना को प्रस्तुत करना, जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक हों; (ग) कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण; (घ) यह सुनिश्चित करना, कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से

	भिन्न) कोई व्यय, जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाए; (ड.) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जिससे अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेषों के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो; (च) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाए और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना; (छ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है; (ज) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना; (झ) किसी वित्तीय मामले में स्वतः या अपेक्षित होने पर उसका परामर्श देना ; (ञ) नकदी तथा बैंक में जमा राशि तथा विनिधान की स्थिति पर लगातार निगरानी रखना; (ट) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का संवितरण करना और उसके लेखे रखना ; (ठ) यह सुनिश्चित करना कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपभोज्य अन्य सामग्रियों के भण्डार (स्टॉक) की नियमित जांच की जाती है; (ड) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं जांच करना और समक्ष प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देना; (ढ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी मांगना, जिसे यह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे; (ण) विश्वविद्यालय 7 लेखों की निरन्तर आन्तरिक लेखा परीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करना, और उन बिलों की पूर्व लेखा परीक्षा करना, जो तत्संबंधी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हों; (त) वित्तीय मामलों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन, जो उसे कार्य–परिषद् अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें; (थ) विश्वविद्यालय 7 लेखा और लेखा परीक्षा अनुभाग के सहायक कुलसचिव (लेखा), यदि कोई हो, से निम्न स्तर के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखना और उप–कुलसचिव, सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखाधिकारी, यदि कोई हो के कार्य का पर्यवेक्षण करना। (4) यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के संबंध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाये, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
परीक्षा नियंत्रक– परिनियम की धारा 8	(8) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय की कार्य–परिषद् की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुत व्यक्ति विश्वविद्यालय के उपाचार्य से निम्न पंक्ति का नहीं होगा ; परन्तु यह कि यदि किन्हीं कारणों से पूर्णकालिक परीक्षा नियंत्रक की

	नियुक्ति न हो पाने की दशा में कुलपति विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी को तात्कालिक व्यवस्था के रूप में परीक्षा नियंत्रक नियुक्त कर सकेगा। (1) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायं। (2) परीक्षा नियंत्रक की सेवा की अन्य शर्तें, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए इस परिनियमावली द्वारा विहित की गयी सेवा की शर्तों द्वारा शासित होंगी। (3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जायें या कार्य–परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय, या विद्या–शाखा या अध्ययन केन्द्र से कोई सूचना, ऐसे विवरण प्रस्तुत करने या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो। (4) परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। (5) कुलपति और परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्संबंधी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तदायी होगा। (6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार स्वीकार्य के शिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।
विश्वविद्यालय के अध्यापक– परिनियम की धारा 20	20 विश्वविद्यालय में अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगेः– (क) आचार्य; (ख) उपाचार्य; (ग) प्राध्यापक 21 प्राध्यापक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु प्राध्यापकों/असिसटैन्ट प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा। 22 उपाचार्य के लिए समय–समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु उपाचार्य/एसोसिएट प्रोफेसर की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा। 23. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु आर्चायों/प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा। 24 कुलसचिव वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा तथा प्रवृत्त नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

	जनजातियों और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसे अनुमोदन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा। **रिक्तियों का विज्ञापन** 25 (1)कुलसचिव, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा कराकर और दो व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों में और रोजगार समाचार में विज्ञापन देकर, रिक्तियां अधिसूचित करेगा। (2) आचार्य, उपाचार्य और प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होगी। चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगेः— (क) कुलपति — अध्यक्ष (ख) सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष — सदस्य (ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ आचार्यों और उपाचार्यों के लिए और एक विशेषज्ञ प्राध्यापक के लिए — सदस्य (3) चयन समिति के कुल सदस्यों के बहुमत से गणपूर्ति होगी; परन्तु, यह कि आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थिति व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ और प्राध्यापक के मामले में एक विशेषज्ञ होना आवश्यक है। (4) चयन समिति द्वारा की गयी कोई संस्तुति, तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि विशेषज्ञों मे से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन के लिए सहमत न हो। (5) यदि कार्य—परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को स्वीकार में असमर्थ है तो ऐसी अस्वीकृति के लिए, कारणों को अभिलिखित करते हुए, अंतिम आदेशों के लिए मामले को कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी। (6) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए, चयन समिति की बैठक कुलपति के आदेशों के अधीन, बुलायी जायेगी। (7) साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। (8)(क) चयन समिति, नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थियों की संस्तुत कर सकती है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनके नामों को श्रेष्ठताक्रम में व्यवस्थित करेगी। (ख) चयन समिति यह संस्तुति कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायेगा। (9) चयन समिति की बैठक साधारणतया विश्वविद्यालय के मुख्यालय में होगी। विशेष परिस्थितियों में, कुलाधिपति के पुर्वानुमोदन से, चयन समिति की बैठक अन्यत्र की जा सकती है। (10) चयन समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना कम से कम पन्द्रह दिन दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने के तारीख से की जायेगी। नोटिस की तामीली व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।

(11) अभ्यर्थियों को चयन समिति की बैठक सूचना कम से कम पन्द्रह दिन से पूर्व दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने के तारीख से की जायेगी। सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।

(12) चयन समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान, अध्यादेशों में विहित दरों पर किया जायेगा।

* (13) **अ. चयन के लिए अंकों का निर्धारण**

1) सहायक प्राध्यापक पद के लिये

1.1 सहायक प्राध्यापक अथवा समकक्ष पद के लिये न्यूनतम अर्हता हेतु दिनांक 31/05/2009 तक पीएच0डी0 उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिये NET/SLET की अनिवार्यता नहीं होगी।

1.2 दिनांक 31/05/2009 के उपरान्त पीएच0डी0 प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता यथावत लागू होगी।

1.3 उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के कार्य–क्षेत्र विषयक ज्ञान एवं बौद्धिक–स्तर के आंकलन के लिये निर्धारित मापदण्ड़ों को निम्नवत निर्धारित किया जाना प्रस्तावित हैः–

क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा दिये गये मानकों के अनुरूप शैक्षिक उपलब्धियों तथा शोध कार्य के लिये 50 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं। इन 50 प्रतिशत अंकों का वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित हैः–

i) शैक्षिक उपलब्धियों के लिये 30 प्रतिशत अंक रहेंगे, जिनका विभाजन निम्नवत होगा :

- स्नातक स्तर – 5 प्रतिशत।
- परास्नातक स्तर – 5 प्रतिशत।
- नेट (NET/SLET) – 6 प्रतिशत।
- एम. फिल. (M.Phil) – 5 प्रतिशत।
- पीएच0डी0 (Ph.D) – 9 प्रतिशत।

योग – 30 प्रतिशत

ii) शोध कार्यों के लिये उपर्युक्तानुसार स्वीकार किये गये विभाजन के अनुसार 20 प्रतिशत अंक निर्धारित होंगे, जिनका वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित हैः

- राज्य–स्तरीय/राष्ट्रीय संस्था से स्वीकृत एवं वित्त पोषित शोध–परियोजना में शोध–अध्येता (आर0 ए0) के रूप में कार्य करने पर 5 प्रतिशत अंक।
- शोध–पत्रों के लिये अधिकतम 15 प्रतिशत अंक, जिनका विभाजन निम्नवत होगा :
  - एक शोध–पत्र के लिये 4 प्रतिशत अंक।
  - दो से तीन शोध–पत्रों के लिये 12 प्रतिशत अंक।
  - चार तथा चार से अधिक शोध–पत्रों के लिये 15 प्रतिशत अंक।

	विशेष टिप्पणी : केवल उन्ही शोध–पत्रों को इस गणना में सम्मिलित किया जायेगा जो संदर्भित ***(Refereed)*** *जर्नल्स अथवा प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हों। जर्नल्स के स्तर का आंकलन संबंधित विभाग की* ***Screening Committee*** *के द्वारा किया जायेगा।* ***Articles, Book-Reviews*** *तथा* ***Study Material*** *को भी* ***Screening Committee ,*** *जिसमें कुलपति द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ भी होंगें, के द्वारा उपयुक्त* ***weightage*** *दिया जायेगा।* यदि शोध–पत्र संयुक्त लेखन में हैं, तो प्राप्य अंको को तद्नुरूप विभाजित कर दिया जायेगा। ख. विषय का ज्ञान तथा अध्यापन क्षमताओं के आंकलन के लिये निर्धारित कुल 30 प्रतिशत अंकों का विभाजन निम्नवत होगा; i) Seminar, Workshop, Symposium, FDP, MDP, Refresher, इत्यादि के लिये 10 प्रतिशत अंक। इन अंकों को सम्बन्धित अभ्यर्थी की उक्त कार्यक्रमों में सहभागिता के आधार पर सम्बन्धित विभाग की Screening Committee के द्वारा निर्धारित किया जायगा। ii) इस वर्ग में शेष 20 प्रतिशत अंकों के निर्धारण के लिये Demo Lecture की विधि अपनाई जायेगी तथा इस कार्य के लिये अंक सम्बन्धित Screening Committee के द्वारा प्रदान किये जायेंगे। ग. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20–20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे। **2) सह–प्राध्यापक अथवा उसके समकक्ष के पद के लिये** 2.1 शैक्षिक उपलब्धियों की गणना हेतु उपाचार्य पद के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये है। इन 20 प्रतिशत अंकों का वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित हैः– • स्नातक स्तर – 7 प्रतिशत। • परास्नातक स्तर – 8 प्रतिशत। • पीएच0डी0 / कार्य अनुभव – 5 प्रतिशत। **योग – 20 प्रतिशत** 2.2 शोध कार्यो एवं प्रकाशन की गुणवत्ता के लिये बनाये गये API को इसी रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा तथा इस हेतु 40 प्रतिशत अंक निर्धारित है, अर्थात API का अंश केवल 40 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। 2.3 विषय का ज्ञान तथा अध्ययन–अध्यापन क्षमताओं के आंकलन के लिये जो 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं उनका विभाजन निम्नवत होगा – i) परिसर के विभिन्न कार्यो, दायित्वों एवं प्रशासनिक पदों पर की गयी सहभागिता के लिये 10 प्रतिशत अंक।

ii)Demo Lecture के लिये 10 प्रतिशत अंक

2.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20–20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे।

*विशेष टिप्पणीः परिसर के जीवन में सहभागिता का उपयुक्त प्रमाण देना होगा तथा इस सहभागिता एवं **Demo Lecture** के लिये संबंधित विभाग की **Screening Committee ,** जिसमें कुलपति द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ भी होंगें, द्वारा अंक प्रदान किये जायेगे।*

3) प्राध्यापक/आचार्य पद के लिये

3.1 प्राध्यापक पद के लिये 400 API अंक निर्धारित किये गये है जो यथावत रहेंगे किन्तु चयन समिति की प्रक्रिया में निर्धारित 100 अंकों का विभाजन निम्नवत होगाः–

i) शैक्षिक उपलब्धियों के आंकलन के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये है इनका वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित हैः–

- स्नातक स्तर – 7 प्रतिशत।
- परास्नातक स्तर – 8 प्रतिशत।
- पीएच0डी0/नेशनलफेलोशिप– 3 प्रतिशत।
- डी0 लिट0 – 2 प्रतिशत।

योग – 20 प्रतिशत।

ii) शोध कार्यों इत्यादि के लिये API लिया जायेगा जिसके लिये 40 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं।

iii) विषय का ज्ञान, अध्ययन–अध्यापन क्षमताओं के आकलन के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं जिनका वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित हैः–

- परिसर के विभिन्न कार्यो दायित्वों एवं प्रशासनिक पदों पर की गयी सहभागिता के लिये 10 प्रतिशत अंक।
- Demo Lecture के लिये 10 प्रतिशत अंक

iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20–20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का

	औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे। *विशेष टिप्पणीः परिसर के जीवन में सहभागिता का उपयुक्त प्रमाण देना होगा तथा इस सहभागिता एवं **Demo Lecture** के लिये संबंधित विभाग की **Screening Committee ,** जिसमें कुलपति द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ भी होंगें, द्वारा अंक प्रदान किये जायेगे।* *नोट– विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम संख्या 13(अ) में हुए संशोधनों के संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त स्वीकृति पत्र दिनांक 27.05.2020 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18. 06.2020 विश्वविद्यालय के नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है।* **http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/pariniyamabli-30-06-2020.pdf** (14) स. विज्ञापन तथा अन्य प्रक्रिया 1. विज्ञापन परिनियमावली के परिनियम 25 के अनुरूप किये जायेगें। 2. प्रत्येक पद के लिए प्राप्त आवेदनों का सारणीयकरण कर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा परीक्षण किया जायेगा जो साक्षात्कार के लिए आधारभूत अभिलेख होगा। 3. एक पद के लिये उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों में से अधिकाधिक 8 (1:8) अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग के आधार पर शैक्षिक एवं अन्य वांछनीय अर्हताओं के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जाय। जहॉ आवेदकों की संख्या 8 से कम हों तथा आवेदक निर्धारित अर्हता रखते हों वहॉ सभी अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाना अभीष्ट होगा। 4. यदि किसी पद विशेष के लिये मात्र एक आवेदन प्राप्त होता है तो पद को पुनर्विज्ञापित किया जायेगा, परन्तु यदि पुनर्विज्ञापन के उपरान्त भी एक ही आवेदन प्राप्त होता है तथा संबंधित अभ्यर्थी वांछित अर्हता रखता हो तो साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा। * सचिव कुलाधिपति के पत्रांक–417/जी0एस0/शिक्षा–बी 1–151/2010 दिनांक 04 मई, 2011 के माध्यम से प्राप्त संशोधन। 26 परिनियम 4 के खण्ड (19) अधीन, कुलपति में निहित शक्तियों के सिवाय, प्रत्येक अध्यापक इस परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य – परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। 27 (1) प्रत्येक अध्यापक एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। (2) कार्य–परिषद्, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकती है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक की अवधि बढ़ायी जाय; परन्तु यह कि किसी भी परिस्थिति में, परिवीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी;

परन्तु यह और कि कार्य–परिषद्, कारणों को अभिलिखित करते हुए, परिवीक्षा अवधि की शर्तो को छोड़ सकती है;

परन्तु यह और भी कि यदि किसी मामले में कार्य–परिषद् कोई कार्यवाही करने मे विफल रहती है, तो अध्यापक, परिवीक्षा की अवधि के पश्चात्, स्थायी समझा जायेगा।

(3) (क) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या कार्य–परिषद् द्वारा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा।

(ख) कुलसचिव कार्य–परिषद् के समक्ष स्थायीकरण के लिए अध्यापकों की सूची, उनकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत करेगा।

(ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय;

(4) कोई अध्यापक, लिखित रूप में, उचित माध्यम से, कार्य–परिषद् को तीन मास की सूचना देते हुए किसी भी समय त्याग–पत्र दे सकता है;

परन्तु, यह कि कार्य–परिषद् अपने विवेक से सूचना अवधि की बाध्यता को समाप्त कर सकती है।

(5) विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों का वेतन और भत्ता वहीं होगें, जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जायं।

(6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक से, परिशिष्ट 'क' में दिये गये प्रपत्र में, एक लिखित संविदा पर, हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी।

(7) विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता का पालन करेगा।

(8) परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन, परिनियम 27 के खण्ड (9) उपखण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत अवचार समझा जायेगा।

(9) अध्यापक को निम्नलिखित कारणों से, पदच्युत या उसके पद से हटाया जा सकता है:–

(क) कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा,

(ख) अवचार,

(ग) सेवा संविदा की किसी शर्तों का उल्लंघन,

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में बेईमानी,

(ड.) अपवादजनक आचरण या नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिए दोषसिद्ध;

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता ;

(छ) अक्षमता;

(ज) पद की समाप्ति।

(10) परिनियम 27 के खण्ड (4) में की गयी व्यवस्था के सिवाय, कम से कम तीन मास का नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दिया जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो इनमें भी अवधि अधिक हो) दिया जायेगा या नोटिस के बदले में, तीन मास (या ऐसी उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया जायेगा;

	परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय खण्ड (9) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करें या हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करें या कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी किसी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करें, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी; परन्तु यह और कि दोनों पक्षकार परस्पर समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। (11) परिनियम 27 के खण्ड (7) में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा, नियुक्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए कुलसचिव के यहां सुरक्षित रखी जायेगी। (12) परिनियम 27 के खण्ड (9) में उल्लिखित किसी कारण से, विश्वविद्यालय के किसी प्राध्यापकों को पदच्युत करने या उसको सेवा से हटाने का कोई आदेश (सिवाय ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित हो, सिद्ध दोष होने पर पद समाप्त किये जाने की स्थिति में) तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उसके विरूद्ध आरोप न लगाया गया हो और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, उसके विवरण सहित उसकी सूचना उसे न दे दी जाय, और उसको– (क) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का; (ख) व्यक्तिगत सुनवाई का यदि वह ऐसा चाहे; (ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का; जिन्हें वह चाहें, पर्याप्त अवसर न दे दिया जायः परन्तु कार्य–परिषद् या जांच करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है। (13) कार्य–परिषद् किसी समय, जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर, संबंधित अध्यापक को सेवा से पद्च्युत करने या पद से हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें पद्च्युत करने, पद से हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे। (14) प्रस्ताव की सूचना सम्बंधित अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी। (15) कार्य–परिषद्, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने के बजाय, तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन कम करके या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धियां रोक कर या अध्यापक को उसके निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन से वंचित कर अपेक्षाकृत हल्का दंड देने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। (16) यदि किसी अध्यापक के विरूद्ध कोई जांच चल रही है या जांच प्रारम्भ करने का विचार हो तो परिनियम 18 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम 27 के खण्ड (9) के उपखण्ड (क) से (ड.) तक में उल्लिखित आधारों पर निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती है यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश पारित किया जाय कि अध्यापक के विरूद्ध जांच करने का विचार है तो निलम्बन आदेश

	उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त हो जायेगा, जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय, जिनके बारे में जांच कराने का विचार था। (17) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को— (क) यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध की स्थिति में, उसे 48 घंटे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाये और उसे इस प्रकार दोषसिद्धि के परिणाम स्वरूप परन्तु पदच्युत या सेवा से हटाया न जाये तो उसकी दोषसिद्ध के दिनांक से, (ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरूद्ध किया जाये, चाहे निरोध किसी अपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि तक के लिए, निलम्बित समझा जायेगा। **स्पष्टीकरणः**— ऊपर निर्दिष्ट 48 घंटे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ होने से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की सविराम अवधि पर भी, यदि कोई हो, विचार किया जायेगा। (18) जहां विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने का या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप या अन्यथा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरूद्ध अग्रतर जांच करे का विनिश्चिय करें, वहां यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने के ठीक पूर्व निलम्बित था, तो यह समझा जायेगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युत या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और दिनांक से प्रवृत्त है। (19) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि में, समय—समय पर यथासंशोधित, वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड—2 के भाग—2 के अध्याय—8 के उपबन्धों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा। (20) परिनियम 27 के खण्ड (12) एवं (13) और खण्ड (16) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में उस अवधि को, जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रवर्तन में हो, सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (21) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी कलेण्डर वर्ष में, विश्वविद्यालय में किसी परीक्षा या परीक्षाओं के संबंध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिए, उस विशिष्ट कलेण्डर वर्ष में अपने औसत वेतन का 1/6 या तीस हजार रूपये, इसमें जो भी कम हो, से अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा। (22) इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी— (क) विश्वविद्यालय को कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा। (ख) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के तारीख के पहले ही विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण कर रहा, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन के तारीख,

	जो भी पश्चातवर्ती हो, उस पर नहीं रह जायेगा। (ग) कार्य–परिषद उन दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी, जिनके दौरान ऐसे अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिए विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगें; परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायेगा, जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा। 28(1) विश्वविद्यालय का कोई प्राध्यापक वरिष्ठ वेतन में नियोजन के लिए पात्र होगा। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) को प्राध्यापक (चयन वेतनमान) या उपाचार्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) की श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक पद पर न्यूनतम सेवा की अवधि, पी–एच0डी0 की उपाधि के साथ चार वर्ष, एम0फिल0 की उपाधि के साथ पांच वर्ष अन्य के लिए छः वर्ष होगी और प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य की श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान के रूप में न्यूनतम सेवा की अवधि, समान रूप से पांच वर्ष होगी। (2) उपाचार्य और आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता का मानदण्ड पी–एच0डी0 या उसके समकक्ष प्रकाशित कृतियां होगी। (3) केवल वही उपाचार्य आचार्य के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के लिए पात्र होगा, जिसने उक्त श्रेणी में न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा की हो, (4) प्राध्यापक (चयन वेतनमान) उपाचार्य और आचार्य के लिए चयन समिति का गठन परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन किया जाएगा ; परन्तु यह कि उक्त परिनियम 28 के अन्तर्गत कैरियर अभिवर्धन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित पात्रता एवं समयावधि को लागू किया जायेगा। 29(1) वरिष्ठ वेतनमान में नियोजन ऐसी संवीक्षा समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे– (क) कुलपति — अध्यक्ष (ख) संबंधित विद्या–शाखा का निदेशक — सदस्य (ग) दो विषय विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा — सदस्य (घ) संबंधित विभागाध्यक्ष — सदस्य (2) वरिष्ठ वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ; (3) चयन वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ; (4) उपाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ; (5) उपाचार्य के रूप में पदोन्नति एक ऐसी चयन समिति की चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी, जिसका गठन परिनियम 25 के खण्ड(2) के

उपबन्ध के अनुसार किया जाएगा।

(6) आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;

(7) परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन कैरियर अभिवर्धन / पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति परिनियमावली के अधीन उसके समक्ष रखे जाने वाली सभी सुसंगत सामग्री और अभिलेखकों पर विचार करेगी।

(8) संवीक्षा / चयन समिति की संस्तुतियां कार्य–परिषद् को विनिश्चय के लिए प्रस्तुत की जाएगी। यदि कार्य–परिषद्, संवीक्षा / चयन समिति की संस्तुतियों से सहमत न हो तो कार्य–परिषद् ऐसी असहमति के कारणों के साथ, मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा। यदि कार्य–परिषद् संवीक्षा / चयन समिति की संस्तुतियों पर, ऐसी समिति के अधिवेशन के दिनांक से चार माह की अवधि के अन्दर कोई निर्णय नहीं लेती है तो भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट हुआ समझा जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(9) यदि कोई पदधारी प्राध्यापक, वरिष्ठ वेतनमान / प्राध्यापक चयन वेतनमान / उपाचार्य (पदोन्नति) हेतु सम्यक् रूपेण गठित संवीक्षा / चयन समिति द्वारा प्रथमतः उपयुक्त पाया जाता है और तद्नुसार अगले वरिष्ठ वेतनमान / चयन वेतनमान / उपाचार्य / आचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए उसकी सिफारिश की जाती है, तो उसे उच्चतर वेतनमान अर्हता के तारीख से अनुमन्य होगा, परन्तु उसे पदनाम (यदि कोई हो) कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से दिया जायेगा।

(10) यदि पदधारी, प्रथमतः परिनियम 29 के खण्ड (9) के अधीन उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो वह प्रत्येक एक वर्ष के बाद ऐसी पदोन्नति हेतु अपने को पुनः प्रस्तुत कर सकता है और उस पर वह संवीक्षा / चयन समिति द्वारा ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जायेगा, जो उस समय तक पात्र हो चुके हैं। यदि उसकी द्वितीय या पश्चातवर्ती प्रयासों में पदोन्नति के लिए संस्तुत किया जाती है, तो उसे यथास्थिति प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान / प्राध्यापक चयन वेतनमान / उपाचार्य (पदोन्नति) / आचार्य (पदोन्नत) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से वेतनमान और पदनाम प्रदान किया जायेगा।

(11) उपाचार्य या आचार्य के ऐसे पदों को, जिस पर पदोन्नति की गयी हो, पदधारी की सेवानिवृत्ति तक, यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के संवर्ग में उतने पदों को वृद्धि समझी जाएगी और उसके पश्चात् पद अपने मौलिक रूप में प्रतिवर्तित हो जाएंगे।

(12) वर्तमान परिनियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व, सीधी भर्ती द्वारा या व्यक्तिगत पदोन्नति द्वारा या कैरियर अभिवर्धन द्वारा शिक्षण पद पर नियुक्ति / पदोन्नति के लिए सम्यक् रूप से गठित चयन समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के, किसी भी चयन पर वर्तमान परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके पास उस समय यथा विहित न्यूनतम अपेक्षित योग्यता रही हो।

	(13) संवीक्षा/चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से समिति की गणपूर्ति होगी परन्तु अध्यक्ष और कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होगी। (14) संवीक्षा/चयन समिति द्वारा की गयी किसी संस्तुति को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ चयन से सहमत न हों। (15) चयन समिति के सदस्यों को बैठक से पहले कम से कम 15 दिन से नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषण की तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी। (16) अभ्यर्थियों को, चयन समिति के बैठक से पहले, कम से कम 15 दिन की नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषण होने के तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी। (17) ऐसे प्राध्यापकों का कार्यभार, जिन्हें कैरियर अभिवर्धन स्कीम के अधीन चयन वेतनमान या उपाचार्य पदोन्नत या आचार्य पदोन्नत पद पर नियोजित किया गया है, अपरिवर्तित रहेगा। *नोट– विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम संख्या 28 तथा 29 में हुए संशोधनों के संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त स्वीकृति पत्र दिनांक 18.01.2018 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25.01.2018 विश्वविद्यालय के नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है।* **http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/pariniyamabli-30-06-2020.pdf** 30(1) इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व से विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। (2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इसके पश्चात आये परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के संबंध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे। (3) विद्या–शाखा के निदेशकों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विद्या–शाखा के निदेशक के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा; परन्तु जब दो या इससे अधिक निदेशकों का उक्त पद पर सेवाकाल समान अवधि का हो, तो आयु में ज्येष्ठ निदेशक को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा। (4) विद्या–शाखा के विभागाध्यक्षों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण, उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा: परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों, तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

	31(1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगाः— (क) किसी आचार्य को प्रत्येक उपाचार्य के ज्येष्ठ समझा जायेगा, और किसी उपाचार्य को प्रत्येक प्राध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायेगा; (ख) एक ही संवर्ग में पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता, ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी; परन्तु, यह कि जहां सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियां एक ही समय में की गयी हों, और यथास्थिति, चयन समिति या कार्य—परिषद् द्वारा अधिमान्यता या योग्यता का क्रम इंगित किया गया हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगी; परन्तु यह और कि जहां एक से अधिक नियुक्तियां एक ही बार में पदोन्नति द्वारा की गयी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वहीं होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धारित पद पर थी। (ग) यदि (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय के किसी संस्थान में चाहे वह उत्तराखण्ड या उत्तराखण्ड से बाहर स्थित हो, मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक, विश्वविद्यालय में तत्स्थानी पद या श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाये, तो अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उक्त श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा। (घ) यदि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक चाहे इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात विश्विविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त किया जाये तो अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा अवधि की आधी अवधि को उसकी सेवा—अवधि में सम्मिलित किया जायेगा। (2) जहां एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत् सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहां ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जाएगीः— (क) आचार्यों के मामले में, उपाचार्य के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा; (ख) उपाचार्यों के मामले में, प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा; (ग) उन आचार्यों की स्थिति में, जिनकी उपाचार्य के रूप में भी सेवा अवधि उतनी ही हो तो प्राध्यापक के रूप में उनकी सेवा अवधि पर विचार किया जायेगा। (3) जहां एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है तो ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता, आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी।

	(4) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्य परिषद्– (क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हों, और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय, ऐसे अध्यापकों का योग्यता क्रम अवधारित करेगी; (ख) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हों और परिनियम 25 के उपखण्ड (5) के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करे तो कुलाधिपति उन मामलों में, जहां एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तर्ग्रस्त हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता क्रम अवधारित करेगा। (5) ऐसे योग्यताक्रम की जिसमें खण्ड (4) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जायं, सूचना संबंधित अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी। (6) कुलपति समय–समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे। जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में स्वयं कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले दो विद्या–शाखाओं के निदेशक होंगे; परन्तु यह है कि ऐसे विद्या–शाखा का निदेशक, जिसके अध्यापक की वरिष्ठता विवादित हो, उपर्युक्त ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा; परन्तु यह और कि यदि निदेशक, नियुक्त न होने के कारण या पदों का सृजन न होने के कारण, उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय से या उससे बाहर से दो आचार्यों को नाम–निर्दिष्ट कर सकता है। (7) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद, ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारणों को उल्लिखित करते हुए, उसे विनिश्चित करेगी। (8) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चिय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के अंदर कार्य परिषद को अपील कर सकता है। यदि कार्यपरिषद समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी। 32(1) आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी जो एक मास में सात दिन अथवा एक सत्र से चौदह दिन से अधिक नहीं होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलायी नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को त्याग सकता है। (2) एक सत्र में दस कार्य–दिवस तक की विशेषाधिकार छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी, और यह 60 कार्य दिवस तक संचित की जा सकती है। (3) विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के, जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो या जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालित करने के लिए 15 कार्य दिवस तक की कर्तव्य (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी। (4) किसी एक सत्र में एक मास के लिए दीर्घ कालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी, और जो बारह मास तक संचित की जा सकती है,

	उन कारणों से यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन या निवृत्तिक पूर्वता के लिए दी जा सकती है: परन्तु, यह कि लम्बी बीमारी की स्थिति में छुट्टी, कार्य परिषद के विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है। ऐसी छुट्टी, लम्बी बीमारी को छोड़कर, केवल पांच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकती है; परन्तु यह और कि ऐसे अध्यापकों को, जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय या किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण अथवा के लिए चयन किया जाता है तो उन्हे अध्येत्तावृत्ति, शिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायं, छुट्टी दी जा सकती है। (5) असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें कार्य परिषद् उचित समझे, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दी जा सकती है, किन्तु परिनियम 28 के खण्ड (22) में उल्लिखित परिस्थितियों के सिवाय, यह विशेष परिस्थितियों के अधीन दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है। **स्पष्टीकरण**: (1) अध्यापक जो कोई स्थायी पद धारण करता हो या जो निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति से, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय–मान में अपनी वेतनवृद्धि के लिए गणना किये जाने का हकदार होगा ; परन्तु यह कि उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों को सम्मिलित किया जा सकेगा– (क) संबंधित शिक्षक उच्चतर अध्ययन के लिए प्रदेश में या प्रदेश से बाहर जा रहा हो, जिसके लिए विश्वविद्यालय की कार्य परिषद एवं शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो। यदि पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है, तो ऐसा अवकाश देय नहीं होगा। (ख) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन का आशय अन्यत्र सेवा करना नहीं है। (सामान्यतः शिक्षक उच्चतर वेतनमान में सेवारत होने के उपरान्त एक या दो शोध पत्र सेमिनार आदि में प्रस्तुत करते हैं, जिसे वे उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन मानते हैं।) (ग) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन पूर्णतः वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन होना चाहिए। यह अवकाश स्वीकृत करने के लिए आशय नहीं होनी चाहिए। (घ) यदि कोई अभ्यर्थी विदेश में उच्च वेतनमान में सेवा आदि करता है, साथ ही एक या दो शोध पत्र अथवा पुस्तक भी लिखता है, तो यह उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन नहीं समझा जायेगा। (2) राज्य सरकार की सहमति कोई अध्यापक, जो अस्थायी पद धारण करता हो, और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गयी हो, ऐसी छुट्टी से

वापस आने पर, फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से भाग 4 के मूल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समयमान में ऐसी अवस्था पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह छुट्टी पर न गया होता, परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत की गयी थी, लोकहित में रहा हो।

(6) अध्यापिकाओं को पूर्ण वेतन सहित 135 दिनों की अवधि तक प्रसूति छुट्टी दी जा सकेगीः

परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका को अस्थायी सेवा सहित, यदि कोई हो, सम्पूर्ण सेवा अवधि में दो बार से अधिक नहीं दी जायेगी।

नोट– विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम संख्या 32(6) में हुए संशोधनों के संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त स्वीकृति पत्र दिनांक 22.06.2020 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.06.2020 विश्वविद्यालय के नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है।

http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/pariniyamabli-30-06-2020.pdf

(7) छुट्टी अधिकार स्वरूप नहीं मांगी जा सकती है। तात्कालिक की आवश्यकता को देखते हुए, स्वीकर्ता अधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है और पहले से स्वीकृत की गयी छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।

(8) किसी पंजीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी या लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिनों से अधिक हो तो कुलपति ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो उसके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण पत्र मांगने के लिए सक्षम होगा।

(9) दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर, जो कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायेगी, के सिवाय, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी कुलपति होगा।

33(1) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी;

परन्तु, यह कि यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून को न हो तो वह अध्यापक शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति की तारीख ऐसे अध्यापक के साठवें जन्म तारीख के ठीक पूर्व की तारीख होगी।

34(1) इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा, अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार और परिशिष्ट 'क' और परिशिष्ट 'ख' में दिये प्रपत्र की शर्तों के अनुसार उपांतरित समझी जायेगी।

(2) परिनियम 27 के खण्ड (9) के प्रस्तर (ख), (ग), (घ), (ड.) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया कोई अध्यापक

	विश्वविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायेगा। (3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा। (4) कुलपित को प्रस्तुत करने से पूर्व मूल रिपोर्ट, निदेशक से भिन्न अध्यापक की दशा में संबंधित निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जायेगी। (5) किसी शिक्षा सत्र के संबंध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के अन्दर, इनमें जो भी बाद में हो, दी जायेगी। (6) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के संबंध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा। (7) जहां अधिनियम या इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेक्षित हो, और ऐसा अध्यापक मुख्यालय पर न हो, वहां ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक से भेजी जा सकता है।
कर्मचारी वर्ग (अध्यापक से भिन्न) की सेवा के निबन्धन और शर्तें– परिनियम की धारा 35	35(1) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। (2) पुस्तकालयाध्यक्ष, का चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात – (क) कुलपति — अध्यक्ष (ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे — सदस्य (3) जब तक खण्ड (2) के अधीन नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पद का कार्यभार न सम्भाले तब तक कार्य परिषद् ऐसी अवधि, के लिए, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। (4) पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी जैसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किया जायें। (5) पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायें। (6) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवाओं को ऐसी रीति से जो अध्यापन कार्य तथा अनुसंधान कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक को, संगठित करना पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य होगा। (7) पुस्तकालयाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेगा; परन्तु यह कि उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरूद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरूद्ध कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा। (8) पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी अध्यादेश में

	अधिकथित की जायें। (9) अन्य अधिकारियों और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति और सेवा के निबन्धन और शर्तें और आचार संहिता, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा के निबन्धनों और शर्तों और आचार संहिता, जैसा कि अध्यादेश में अधिकथित है, द्वारा शासित होगी। (10) खण्ड (9) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारी वर्गों की परिलब्धियां ऐसी होंगी, जैसी समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

मैनुअल संख्या : 3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिससे पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगेः–

(क) कार्य परिषद्

(ख) विद्या परिषद्

(ग) योजना बोर्ड

(घ) अध्ययन केन्द्र

(ड.) वित्त समिति; और

(च) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिये घोषित किये जायें।

कार्य परिषद् :–

कार्य परिषद् का गठन उसकी पदावधि तथा कृत्य एंव शक्तियां (धारा 17)

(1) कार्य–परिषद् में निम्नलिखित होंगेः–

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) परिनियम 13 में उल्लिखित विद्या शाखा से ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो निदेशक;	सदस्य
(ग) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक आचार्य;	सदस्य
(घ) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक उपाचार्य;	सदस्य
(ड.) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक प्राध्यापक;	सदस्य

(च) कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पन्द्रह नामों के पैनल (सूची) में से कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले चार व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं–

(एक) दो प्रख्यात शिक्षाविद	सदस्य
(दो) अग्रणी उद्योग से दो व्यक्ति	सदस्य

(छ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति या उसका नाम –निर्देशिती जो प्रति उप कुलपति से निम्न पद का न हो; सदस्य

(ज) राज्य सरकार के उच्च्य शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि पदेन सदस्य

विद्या परिषद् :–

(1) विद्या–परिषद् में निम्नलिखित होंगे–

(एक) कुलपति	अध्यक्ष
(दो) विद्या–शाखाओं में सभी निदेशकगण	सदस्य

(तीन) ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम में चयनित किये जाने वाले दो आचार्य, दो उपाचार्य और दो प्राध्यापक — सदस्य

(चार) पुस्तकालयाध्यक्ष — सदस्य

(पांच) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो — सदस्य

(छः) ऐसी रीति में, जैसा विद्या–परिषद् उचित समझे, सहयोजित किये जाने वाले शिक्षा के क्षेत्र में पांच व्यक्ति — सदस्य

(सात) कुलसचिव — सदस्य / सचिव

योजना बोर्ड :–

(1) योजना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(एक) कुलपति — अध्यक्ष;

(दो) अध्यापकवर्ग में से; ज्येष्ठता क्रम में, कुलपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट चार व्यक्ति;

(तीन) विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति को विशेषज्ञता के लिए कार्य–परिषद् द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले पांच व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों–

(क) वाणिज्यिक प्रबंधन;

(ख) विद्वतापूर्ण वृत्तियां;

(ग) विज्ञान / मानविकी / समाज विज्ञान / पर्यावरण;

(घ) दूरस्थ शिक्षा; और

(ड.) वाणिज्य तथा उद्योग।

(2) योजना बोर्ड के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(3) (क) कुलपति और प्रतिकुलपति के सिवाय कोई भी व्यक्ति दो से अधिक क्रमवर्ती अवधि के लिए योजना बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।

(ख) योजना बोर्ड की बैठक ऐसे अंतराल पर होगी, जैसा वह समीचीन समझे, किन्तु इसकी वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें होगी।

(ग) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति योजना बोर्ड के छः सदस्यों द्वारा होगी।

(4) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय हेतु समुचित कार्यक्रम और क्रियाकलापों को अभिकल्पित और तैयार करेगा और विषय पर जिसे वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे, उसे कार्य–परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा;

परन्तु यह कि किसी विषय पर शिक्षा–परिषद् और योजना बोर्ड के मध्य मतभेद होने की दशा में उसे कार्य–परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

अध्ययन केन्द्र :–

(1) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित विद्या शाखाएँ होंगें; अर्थात्–

(क) मानविकी

(ख) समाज विज्ञान

(ग) प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य

(घ) विज्ञान

(ड़) कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान

(च) भाषा विज्ञान

(छ) पर्यटन, होटल प्रबन्धन एवं खाद्य प्रोद्योगिकी (फूड टैक्नोलाजी)

(ज) ऐसे अन्य पाठ्यक्रम/विद्या शाखा, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय,

परन्तु यह कि कार्य–परिषद् द्वारा अनुमोदित तिथि से विद्या शाखा कार्य करना आरम्भ करेंगें।

(2) कार्य–परिषद्, कुलपति की संस्तुति से विद्या शाखा को एक या अधिक विषय सौंप सकती है, जैसा कि कृत्यों के उचित निर्वहन के हित में हो।

(3) प्रत्येक विद्या शाखा का एक बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(क) विद्या शाखा का निदेशक	अध्यक्ष
(ख) विद्या शाखा के सभी आचार्य	सदस्य
(ग) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो उपाचार्य	सदस्य
(घ) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो प्राध्यापक	सदस्य

(4) कुलपति के सिवाय विद्या शाखा बोर्ड के सदस्यों की अवधि दो वर्ष होगी।

(5) 3 (क) तथा 3 (ख) के सिवाय, कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए विद्या शाखा बोर्ड का सदस्य नहीं रह सकेगा।

(6) विद्या शाखा बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:–

(एक) विद्या शाखा में अनुसंधान कार्यों का संवर्धन;

(दो) शैक्षिक परिषद् के निर्देशों के अनुसार विद्या शाखा के शैक्षिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम के ढांचे को अनुमोदित करना;

(तीन) कुलपति द्वारा गठित विशेषज्ञ–समिति (समितियों) के परामर्श पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार पाठ्यक्रम का अनुमोदन;

(चार) विद्या शाखा को समनुदेशित विधाओ के आचार्यों के परामर्श से तैयार किये गये विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, अध्ययन केन्द्र में निदेशक के प्रस्ताव पर, पाठ्यक्रम लेखकों, परीशकों और अनुसंगकों (मॉडरेटर) के नामों को कुलपति को संस्तुत करना और;

(पांच) अन्य विद्या शाखा के सहयोग से पाठ्यक्रम लेखकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;

(छः) उप शिक्षकों (ट्यूटरों) और परामर्शियों के लिए कार्यक्रमों/पुनश्चर्या/ग्रीष्म कालीन पाठ्यक्रमों अथवा संगोष्ठियों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;

(सात) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए सामान्य अनुदेश तैयार करना;

(आठ) विद्या शाखा के समनुदेशित विद्याओं के पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सामग्री की तैयारी के लिए अपनायी गयी कार्य–प्रणालियों की समीक्षा करना, शैक्षिक सामग्री का मूल्यांकन करना, और विद्या परिषद् को उपयुक्त संस्तुतियां करना;

(नौ) पहले से प्रयोग में चल रहे पाठ्यक्रमों का समय–समय पर, यदि आवश्यक हो तो, बाहरी विशेषज्ञों की सहायता से समीक्षा करना और पाठ्यक्रमों में ऐसे परिवर्तन करना, जो अपेक्षित हों;

(दस) अध्ययन/सम्पर्क/कार्यक्रम केन्द्रों की सुविधाओं और प्रयोगशाला/क्षेत्र कार्य के लिए सुविधाओं की नियत कालिक रूप से, जैसा कि विद्या शाखाओं द्वारा अवधारित किया जाय, समीक्षा करना;

(ग्यारह) ऐसे समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें, और सभी ऐसे विषयों पर विचार करना जो उसे कार्य परिषद्, विद्या परिषद, योजना बोर्ड या कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किये जायं, और

(बारह) ऐसी सामान्य या विशिष्ट शक्तियों को, जो समय–समय पर विद्या शाखा द्वारा विनिश्चित की जायं, निदेशक बोर्ड के या किसी अन्य सदस्य या किसी समिति को प्रत्यायोजित करना।

वित्त समिति :–

(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे–

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी	सदस्य
(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी	सदस्य
(च) कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी न हो	सदस्य
(घ) वित्त अधिकारी	सदस्य सचिव

** सचिव कुलाधिपति के पत्र सख्ंया 3942/ जी0एस0/ शिक्षा –सी7–1/2010 दिनांक 3 फरवरी, 2011 द्वारा प्राप्त संशोधन के अनुसार।*

(2) वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(3) वित्त समिति, कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बंधित विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद पर बाध्यकर होगी।

(4) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्य परिषद उस पर कोई निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्यपरिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वो निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपने असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापिस करेगी और यदि कार्यपरिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) यदि कार्यपरिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करें, जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, तो कार्य परिषद् वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेंगी।

(6) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) वित्त समिति के सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत न हो तो असहमति टिप्पणी अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

(8) लेखाओं की जांच करने तथा व्यय के प्रस्तावों की संमीक्षा करने के लिए वित्त समिति का प्रति वर्ष कम से कम दो बार बैठक होगी।

अन्य प्राधिकारी :– अन्य प्राधिकारियों का जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगें जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

मैनुअल संख्या : 4

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

विश्वविद्यालय के कृत्यो का निष्पादन विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। कृत्यों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में कार्य परिषद्, वित्त समिति, शैक्षिक परिषद आदि हैं, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुरूप कृत्यों का निर्वहन किया जाता है।

मैनुअल संख्या : 5

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख.

1. उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभी द्वारा पारित उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक 2005 पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 23, सन् 2005 के रूप में उत्तराचंल शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 608/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005, देहरादून, 31 अक्टूबर, 2005 द्वारा अधिसूचित किया गया। जो कि लिंक http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-09/UOU-ACT-2005.pdf पर उपलब्ध है।

2. विश्वविद्यालय परिनियमावली–

विश्वविद्यालय के कार्यों के सुचारू सचांलन हेतु उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग–6 अधिसूचना 09 जून 2009 ई0 की संख्या 69/उच्च शिक्षा विभाग–राज्यपाल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 23 वर्ष, 2005) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा– 31 के उपबधों (1) के अधीन विश्वविद्यालय की परिनियमावली तैयार कर प्रख्यापित की गयी है, जिसमें समय–समय पर संशोधन किये गये हैं।

3. प्रथम अध्यादेश –

विश्वविद्यालय के कार्यों के सुचारू सचांलन हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश तैयार किया गया है, जो कि लिंक http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2019-12/First-Ordinance-2009.pdf पर उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय कार्यालय का पताः–

तीनपानी, बाई–पास रोड,
ट्रान्सपोर्टनगर के समीप,
हल्द्वानी (नैनीताल) – 263 139

दूरभाष नं0–
1. कुलसचिव कार्यालय– 05946–286005 ई–मेल– registraroffice@uou.ac.in
2. कुलपति कार्यालय–05946–286009, ई–मेल– vco@uou.ac.in
3. टोल फ्री नं0– 18001804025 फोन नं0– 05946–286000

ई–मेल– info@uou.ac.in

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 23, सन् 2005 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005

(अधिनियम संख्या 23, वर्ष 2005)

उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय नाम से ज्ञात विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमत होः–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :–

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं :–

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''विद्या परिषद्'' और ''कार्य परिषद्'' से विश्वविद्यालय की क्रमशः विद्या परिषद् और कार्य परिषद् अभिप्रेत हैं;

(ख) ''मान्यता बोर्ड'' से विश्वविद्यालय का मान्यता बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) ''महाविद्यालय'' से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या ऐसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है;

(घ) ''दूर शिक्षा पद्धति'' से संचार के किसी माध्यम से यथा प्रसारण, दूर दृश्य प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमीनार, सम्पर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की प्रणाली अभिप्रेत है;

(ङ.) ''वित्त समिति'' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(च) ''अन्य पिछड़े वर्गो'' से समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियॉ, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं;

(छ) ''योजना बोर्ड'' से विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड अभिप्रेत है;

(ज) ''विहित'' से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) ''विद्यालय'' से विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र अभिप्रेत हैं;

(ञ) ''परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों'' से विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ट) ''विद्यार्थी'' से विश्वविद्यालय का विद्यार्थी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसने विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु अपना नामांकन कराया है;

(ठ) ''अध्ययन केन्द्र'' से विद्यार्थियों को सलाह देने या परामर्श देने या उनके द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता देने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केन्द्र अभिप्रेत है;

(ड) ''क्षेत्रीय केन्द्र'' से प्रदेश में स्थापित अध्ययन क्षेत्रों के कार्यो में समन्वय/निरीक्षण तथा अन्य कार्यो में सम्पादन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित क्षेत्रीय केन्द्र अभिप्रेत हैं;

(ढ़) ''शिक्षक'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिये विद्यार्थी का मार्गदर्शन करने या उसकी सहायता करने के लिये विश्वविद्यालय में शिक्षण देने के लिये नियोजित हो और इसके अन्तर्गत महाविद्यालय के प्राचार्य या निदेशक भी हैं;

(त) ''विश्वविद्यालय'' से धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(थ) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी अभिप्रेत है जिसमें शिक्षक तथा विश्वविद्यालय का अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द भी सम्मिलित है;

(द) ''कुलाधिपति तथा कुलपति'' से विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति तथा कुलपति अभिप्रेत हैं।

अध्याय–2

विश्वविद्यालय एवं उसके उद्देश्य

3. विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन :–

(1) ''उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय'' के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय हल्द्वानी में होगा तथा वह राज्य में ऐसे अन्य स्थानों पर, जिन्हें वह उचित समझे, महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र स्थापित या अनुरक्षित कर सकेगा।

(3) कुलपति, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद् के सदस्यों की हैसियत से विश्वविद्यालय में तत्समय में पदधारक, उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगें।

(4) विश्वविद्यायल का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा एक सामान्य मुद्रा (सील) होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लायेगा एवं उस पर वाद लाया जायेगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य :–

विश्वविद्यालय, दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से जिसमें किसी संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग भी है, अधिसंख्यक जनसमुदाय में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में अभिवृद्धि करेगा और अपने क्रियाकलापों को संचालित करने में अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां :–

विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियॉ होंगी, अर्थात्–

(I) ज्ञान प्रौद्योगिकी वृतियों एवं व्यवसायों की ऐसी शाखाओं में जैसी विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय, शिक्षण हेतु व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और प्रायोजित अनुसंधान की व्यवस्था करना;

(II) उपाधियों, उपाधि–पत्रों, प्रमाण–पत्रों अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु शिक्षण पाठ्यक्रमों को योजित एवं विहित करना;

(III) परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार, परीक्षाओं का आयोजन तथा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है या अनुसंधान किया है, उपाधियॉ, उपाधि–पत्रों अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें या मान्यतायें प्रदान करना;

(IV) विहित रीति के अनुसार, मानद उपाधियॉ अथवा अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;

(V) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में दूर शिक्षा का प्रायोजन करने की रीति का निर्धारण करना;

(VI) शिक्षण देने के लिये या शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के लिये या ऐसे अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों का संचालन करने के लिये जिनके अन्तर्गत पाठ्यक्रमों के लिये मार्गदर्शन, उनकी रूपरेखा तैयार करना और उनका प्रस्तुतिकरण भी है, और छात्रों द्वारा किये गये कार्य के मूल्यांकन के लिये, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक से सम्बन्धित पद और अन्य शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(VII) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं, वृत्तिक निकायों और संगठनों के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, सहयोग करना और उनका सहयोग प्राप्त करना;

(VIII) अध्येतावृत्ति, छात्रवृति, पुरस्कार और योग्यता की मान्यता के लिये ऐसे अन्य पारितोषिक संस्थित करना और देना, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे;

(IX) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना जो विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अवधारित किये जायें;

(X) विहित रीति से अध्ययन केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना या मान्यता देना;

(XI) शैक्षणिक सामग्री जिसके अन्तर्गत फिल्में, कैसेट, टेप, विडियोकैसेट और अन्य सॉफ्टवेयर हैं, तैयार करने के लिये व्यवस्था करना;

(XII) शिक्षकों, पाठ्यलेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालायें, विचार गोष्ठियॉ और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना;

(XIII) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों को, चाहे पूर्णतः या भागतः, विश्वविद्यालय में परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों के समतुल्य रूप में मान्यता देना और किसी भी समय ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(XIV) शैक्षिक प्रौद्योगिकी और सम्बन्धित विषयों में, अनुसंधान, प्रायोजित अनुसंधान तथा विकास के लिए व्यवस्था करना;

(XV) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियॉ करना;

(XVI) विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु संदान, दान और उपहार ग्रहण करना तथा न्यासीय और राजकीय सम्पत्ति सहित किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का उपार्जन, धारण, अनुरक्षण तथा निस्तारण करना;

(XVII) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या अन्यथा, ऋण पर धन प्राप्त करना;

(XVIII) संविदायें करना, उनको कार्यान्वित, परिवर्तित अथवा निरस्त करना;

(XIX) अध्यादेशों द्वारा अधिकथित फीस और अन्य प्रभारों की मांग एवं प्राप्ति करना;

(XX) छात्रों और सभी प्रवर्गो के कर्मचारियों के बीच अनुशासन की व्यवस्था करना, नियंत्रण करना और उसे बनाये रखना और ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तो को जिनके अन्तर्गत उनकी आचरण संहिता भी हैं, अधिकथित करना;

(XXI) संविदा पर या अन्यथा अभ्यागत आचार्यो, प्रतिष्ठित आचार्यो, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान कर सकें, नियुक्त करना;

(XXII) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर जो अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जाय, मान्यता लेना;

(XXIII) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिये शर्ते विनिर्दिष्ट करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन और परीक्षण की कोई अन्य रीति है;

(XXIV) कर्मचारियों के साधारण स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि के लिये प्रबन्ध करना;

(XXV) परिनियमों में विहित रीति से किसी महाविद्यालय या किसी क्षेत्रीय केन्द्र को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(XXVI) ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय को ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों के, जो आवश्यक हैं, प्रयोग से आनुषंगिक हों और विश्वविद्यालयों के सभी या किन्हीं उद्देश्यों के संप्रवर्तन में सहायक हों।

6. शक्तियों को प्रादेशिक प्रयोग :—

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय को अपनी शक्तियों के प्रयोग में, अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगी।

7. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों और पन्थों के लिये खुला होना :—

(1) विश्वविद्यालय, वर्गो और पन्थों का विचार किये बिना, सभी व्यक्तियों के लिये, चाहे वह स्त्री हो या पुरूष, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिये ऐसे किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या उसमें उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपयोग करने या प्रयोग का हकदार बनाने के लिये कोई भी धार्मिक विश्वास या मान्यता का मानदण्ड अपनाना, उस पर अधिरोपित करना विधिपूर्ण नहीं होगा।

(2) उपधारा 1 की कोई बात विश्वविद्यालय को स्त्रियों का समाज के कमजोर वर्गो के व्यक्तियों, विशिष्टतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों को नियुक्ति या प्रवेश के लिये विशेष उपबन्ध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

अध्याय —3
निरीक्षण तथा जॉच

8. निरीक्षण तथा जांच :—

(1) उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन रहते हुए कुलाधिपति को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दें, विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र जिसके अन्तर्गत उनके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी हैं, और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण करने या विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या ऐसे केन्द्रों के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के संबंध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा तथा विश्वविद्यालय को ऐसी सूचना की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अथवा कुलाधिपति द्वारा निर्धारित समय में, ऐसी जांच में, यदि आवश्यक समझे तो सम्मिलित होने का अधिकार होगा।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर, यदि कोई है, विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच करायेंगें जैसी कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट है।

(4) कुलाधिपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा यदि कोई निरीक्षण या जांच की जानी है तो विश्वविद्यालय को एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा सुने जाने का अधिकार होगा।

(5) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम में अपने विचार और उस पर कार्यवाही किये जाने के संदर्भ में, जो वह कहना चाहें और कुलपति को सम्बोधित कर सकेंगें। कुलाधिपति द्वारा सम्बोधित पत्र को कुलपति इस निरीक्षण अथवा जांच के परिणाम को तुरन्त कार्य परिषद् को संसूचित करेंगें और कुलाधिपति के विचार तथा परामर्श पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में बतायेंगें।

(6) कार्य परिषद्, कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में सूचित करेंगें।

(7) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय में कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्यवाही नहीं करते हैं तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रत्यावेदन व स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जो वह उचित समझते हैं, जारी कर सकते हैं और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उन निदेशों को मागने के लिये बाध्य होंगें।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की ऐसी कार्यवाहियों को निष्प्रभावी कर सकता है, जो कि अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के संगत न हों :

परन्तु ऐसा आदेश करने से पूर्व वह विश्वविद्यालय से यह कारण दर्शित करने के लिए कहेगा कि इस प्रकार का आदेश क्यों न किया जाय और यदि समुचित समय के अन्तर्गत कोई युक्तियुक्त कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

(9) कुलाधिपति की ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

अध्याय –4
विश्वविद्यालय के अधिकारी

09. विश्वविद्यालय के अधिकारी :–

विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) निदेशक;

(घ) कुलसचिव;

(ङ.) वित्त अधिकारी

(च) परीक्षा नियंत्रक; और

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

10. कुलाधिपति :–

(1) राज्यपाल, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा।

(2) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगी।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करे।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जाये।

11. कुलपति :–

(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा उस रीति से, उस अवधि के लिये और उन उपलब्धियों और अन्य सेवा शर्तो पर, जैसी कि विहित की जायें, नियुक्त किया जायेगाः

परन्तु विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक व कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति के मतानुसार किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा ऐसे विषय पर स्वयं द्वारा कृत कार्यवाही को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को संसूचित करेगा :

परन्तु यह कि यदि संबंधित प्राधिकारी के मतानुसार ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी तो वह विषय को कुलाधिपति को निर्देशित कर सकता है जिसका उस विषय पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किये जाने के नब्बे दिनों के भीतर कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरि कार्य परिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकती है।

(4) यदि कुलपति यह समझते हैं कि किसी प्राधिकारी का विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के परे है या यह है कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिये कह सकेगा और यदि प्राधिकारी अपने विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इन्कार करता है या साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा कोई विनिश्चय नहीं

किया जाता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगाः

परन्तु संबंधित प्राधिकारी का विनिश्चय, यथास्थिति, प्राधिकारी या कुलाधिपति द्वारा इस उपधारा के अधीन ऐसे विनिश्चय के पुनर्विलोकन की अवधि के दौरान निलम्बित रहेगा।

(5) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेश द्वारा विहित किये जायें।

12. निदेशक :–

प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति, ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तो पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, की जायेगी।

13. कुलसचिव :–

(1) राज्य सरकार द्वारा कुलसचिव, उपकुलसचिव और सहायक कुलसचिव की नियुक्ति ''केन्द्रीयकृत सेवानियमावली'' के माध्यम से ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसा विहित किया जाय।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने का अधिकार होगा।

नोट– **विश्वविद्यालय के अधिनियम संख्या–13(1) में उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–189/ XXXVI (3)/ 2018/31(1)/2018, दिनांक 19.04.2018 के क्रम में हुये संशोधन का विवरण नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है।**
http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-09/The-Act-2018.pdf

14. वित्त अधिकारी :–

वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तो पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

15. अन्य प्राधिकारी :–

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उनकी उपलब्धियां, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय–5
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

16. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी :–

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:–

(क) कार्य परिषद्
(ख) विद्या परिषद्
(ग) योजना बोर्ड
(घ) अध्ययन केन्द्र
(ड.) वित्त समिति; और
(च) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिये घोषित किये जायें।

17. कार्य परिषद् :–

(1) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगें, जो विहित किये जायें।

18. विद्या परिषद् :–

(1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के भीतर विद्या, शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा के स्तरमानों का नियन्त्रण और साधारण विनियमन करेगी और उनको बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।

(2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगें जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

19. योजना बोर्ड :–

(1) विश्वविद्यालय का एक योजना बोर्ड गठित किया जायेगा जो विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में उपदर्शित आधारों पर विश्वविद्यालय के विकास को निर्देशित करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

(2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगें जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

20. अध्ययन केन्द्र :–

(1) अध्ययन केन्द्र इतनी संख्या में होंगें जितनी विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे।

(2) अध्ययन केन्द्रों का गठन, शक्तियां और कार्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

21. वित्त समिति :–

वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगें जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

22. अन्य प्राधिकारी :–

अन्य प्राधिकारियों का जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगें जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय –6
विश्वविद्यालय निधि

23. विश्वविद्यालय निधि की स्थापना :–

विश्वविद्यालय द्वारा निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित की जायेगी।

24. निधि का गठन :–

विश्वविद्यालय निधि निम्नांकित तरीकों से प्राप्त धन से निर्मित होगीः–

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी निगमित निकाय द्वारा प्रदत्त ऋण, अंशदान अथवा अनुदान;

(ख) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हो;

(ग) विश्वविद्यालय की सभी स्रोतों से आय जिसमें फीस तथा प्रभार से आय भी सम्मिलित हैं;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशि।

(ड़) विश्वविद्यालय निधि को, कार्य परिषद् के विवेक पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखा जायेगा अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूतियों में विनिहित किया जायेगा।

(च) इस धारा की कोई बात, किसी न्यास के प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित न्यास की घोषणा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार की गयी या उस पर अधिरोपित किसी बाध्यता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगी।

25. उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोग किया जायेगा :–

विश्वविद्यालय निधि निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयुक्त की जायेगीः–

(क) इस अधिनियम व परिनियमों तथा अध्यादेश तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये ऋणों का भुगतान करने के लिए;

(ख) विश्वविद्यालयों की उसके विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों तथा छात्रावासों की सम्पत्ति बनाये रखने के लिए;

(ग) विश्वविद्यालय निधि की सम्परीक्षा की लागत का भुगतान करने के लिए;

(घ) किसी वाद या कार्यवाही जिसका विश्वविद्यालय एक पक्षकार है, के व्यय के लिए;

(ड.) विश्वविद्यालय उसके विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारीवृन्द के वेतन व भत्तों का भुगतान तथा इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों व उसके अधीन बनाये गये विनियमों के प्रयोजनों को अग्रसर करने व अन्य लाभाशों का भुगतान करने के लिए;

(च) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के किसी उपबन्ध के अनुसरण में प्राधिकारियों के सदस्यों के यात्रा भत्तों व अन्य भत्तों का भुगतान करने के लिए;

(छ) विद्यार्थियों को अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों का भुगतान करने के लिए;

(ज) इस अधिनिमय और परिनियमों, अध्यादेशों व उसके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा आगत अन्य खर्चो का भुगतान करने के लिए;

(झ) ऐसे अन्य खर्चो का भुगतान जिनका उल्लेख पूर्ववर्ती खण्डों में नहीं किया गया परन्तु जिन्हें विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाना कार्य परिषद् आवश्यक समझती हो।

व्यय सीमा से अधिक न होना :–

कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित किसी वर्ष में आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय की सीमा से अधिक व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

26. व्यय अनुमोदन पर किया जानाः–

कार्य परिषद् की पूर्वानुमति के बिना बजट में उपबन्धित के सिवाय कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

अध्याय –7

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

27. परिनियम :–

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा, जो विशिष्टतः उसमें निम्नलिखित उपबन्ध किये जायेंगेः–

(क) कुलपति की नियुक्ति की रीति, उसकी नियुक्ति की अवधि, उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्ते तथा शक्तियां और कृत्य जिनका उसके द्वारा प्रयोग और पालन किया जायेगा;

(ख) निदेशकों, कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उपलब्धियां और उनकी सेवा की शर्ते, शक्तियां तथा कृत्य, जिनका उक्त ऐसे अधिकारियों में से प्रत्येक के द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा;

(ग) कार्य परिषद और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों की पदावधियां व शक्तियां तथा कृत्य, जिनका प्रयोग और पालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा;

(घ) अध्यापकों तथा विश्वविद्यालयों के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें;

(ड.) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(च) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्यवाही के विरूद्ध विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक, कर्मचारी या छात्र द्वारा किसी अपील या पुनर्विलोकन के लिये किसी आवेदन के संबंध में प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वह समय है, जिसके भीतर ऐसी अपील या पुनर्विलोकन के लिये आवेदन किया जायेगा;

(छ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे के लिये प्रक्रिया;

(ज) अन्य सभी विषय जो अधिनियम के अधीन परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हैं या किये जायें;

(झ) प्रतिपादन व्यवस्था में दूरस्थ शिक्षा परिषद् के सिद्धान्तों का अनुपालन किया जायेगा।

28. परिनियम कैसे बनाये जायेंगें :–

(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर बनाये जायेंगे।

(2) कार्य परिषद् नये और अतिरिक्त परिनियम समय–समय पर बना सकेगी, या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगीः

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय विहित रूप में अभिव्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार न किया गया हो।

(3) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या अपनी अनुमति विधारित कर सकेगा या उस पर अग्रेतर विचार करने के लिये कार्य परिषद् को भेज सकेगा।

(4) कोई नया परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कुलाधिपति द्वारा उसकी अनुमति न दे दी गयी हो।

(5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के दौरान नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात कि होते हुए भी कुलाधिपति अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में कार्य परिषद् को निर्देश दे सकेगा कि परिनियम में उपबन्ध किया जाय और यदि कार्य परिषद् ऐसे निर्देश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसे निर्देश को कार्यान्वित करने में असमर्थ है तो कुलाधिपति, कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निर्देश का पालन करने में अपनी असमर्थता के लिये संसूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् परिनियम बना सकेगा या उनका यथोचित रूप में संशोधन कर सकेगा।

29. अध्यादेश :—

(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा, अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किये जायें;

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध किये जायेंगें, अर्थात्:—

(क) छात्रों का प्रवेश, पाठ्यक्रम और उनके लिए फीस, उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण—पत्रों और अन्य पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित अर्हताओं, अध्येतावृत्तियों, पारितोषकों और वैसी ही अन्य बातों की मंजूरी के लिए शर्तें;

(ख) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षकों के निबन्धन और उनकी नियुक्ति भी है, और

(3) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाये जायेंगें, और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश ऐसी रीति से जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्तित किये जा सकेंगें।

30. विनियम :—

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गयी समितियों, यदि कोई हों, के कार्य संचालन के लिए और जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है, ऐसी रीति से जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाय, ऐसे विनियम बना सकेंगें, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।

अध्याय – 8
वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा

31. वार्षिक प्रतिवेदन :–

(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होंगे।

(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलपति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी, जो उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

32. लेखा और लेखा परीक्षा :–

(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन–पत्र, कार्य परिषद के निर्देशों के अध्यधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तरांचल या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें कुलाधिपति इस निमित प्राधिकृत करें, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर, उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन के सम्प्रेक्षणों के साथ कुलाधिपति को, कार्य परिषद्, यदि कोई हो, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर से पूर्व प्रस्तुत की जायेगी। वार्षिक लेखा की एक प्रति लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी जो उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

(3) वार्षिक लेखा पर कुलाधिपति द्वारा किए गए सम्प्रेक्षण कार्य परिषद् के ध्यान मे ंलाए जायेंगे।

33. अधिभार :–

(1) धारा 9 के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ड.) तथा (च) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन में अन्तनिर्हित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

अध्याय–9
कर्मचारियों की सेवा शर्ते

34. कर्मचारियों की सेवा शर्तें :–

(1) इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कर्मचारी जिसके अन्तर्गत अध्यापक भी हैं, लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा तथा ऐसी संविदा, इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों से असंगत नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संविदा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी तथा उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

35. माध्यस्थम अधिकरण :–

(1) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी या अध्यापक के बीच धारा–36 में निर्दिष्ट नियोजन की किसी संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद, किसी भी पक्ष के अनुरोध पर माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी या अध्यापक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अधिनिर्णायक होगा।

(2) ऐसा प्रत्येक निर्देश माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थान्तर्गत इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम के लिए निवेदन समझा जायेगा।

36. भविष्य एवं पेंशन निधियां :–

(1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों एवं अध्यापकों के फायदे कि लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाय, ऐसी भविष्य एवं पेंशन निधियों का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा, जैसी वह उचित समझे।

(2) जहॉ ऐसी किसी भविष्य या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया हो, वहॉ राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध ऐसी निधि पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

अध्याय–10
प्रकीर्ण

37. विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद :–

यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो या उसका सदस्य होने का हकदार हैं, तो यह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

38. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना :–

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी, जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और

आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयाजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

39. रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना :–

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

40. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण :–

कोई विवाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेश के उपबन्धों में से किसी अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी है या की जाने के लिये तात्पयर्यित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होगी।

41. विश्वविद्यालय के कर्मचारीवृन्द :–

(1) विश्वविद्यालय उतनी संख्या में कर्मचारियों, जिसके अन्तर्गत शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द भी हैं, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाये, को नियुक्त करेगा। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्ते ऐसी होंगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जायं।

(2) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किये जायें।

अध्याय–11
विविध एवं संक्रमणकालीन उपबंध

42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :–

(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

43. संक्रमणकालीन उपबन्ध :–

(1) इस अधिनियम एवं परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी–

(क) प्रथम कुलपति, प्रथम कुलसचिव तथा प्रथम वित्त अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और उनकी सेवा शर्ते परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से शासित होंगीः

परन्तु प्रथम कुलपति परिनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से दूसरी अवधि के लिये नियुक्ति का पात्र होगा।

(ख) प्रथम कार्य परिषद् में पन्द्रह से अनाधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगें।

(ग) प्रथम योजना बोर्ड में दस से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगें।

(2) योजना बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त विद्या परिषद् की शक्तियों का प्रयोग तब तक करेगा जब तक कि इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन विद्या परिषद् का गठन नहीं किया जाता और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना बोर्ड ऐसे सदस्य को सहयोजित कर सकेगा, जो वह विनिश्चित करें।

44. परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना :–

(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 23 क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी उत्तरांचल अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं, यदि राज्य विधान सभा, यथास्थिति, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत होती है या उन्हें अनुमोदित करने के लिए सहमत नहीं होती है तो ऐसा कोई उपान्तरण या निःष्प्रभाव परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची

(धारा–4 देखिये)

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

1 विश्वविद्यालय राज्य के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए जो राज्य की समृद्ध परम्पराओं पर आधारित हो राज्य की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय संसाधनों की उन्नति और अभिवृद्धि के लिए शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और विस्तारण के माध्यम से, प्रयास करेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह–

(क) नियोजन की आवश्यकताओं से सम्बन्धित तथा देश की अर्थव्यवस्था के, उसके प्राकृतिक और मानवीय साधनों के आधार पर, निर्माण के लिए आवश्यक उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें विविध प्रकार का बनायेगा;

(ख) जनता के बड़े भागों और विशिष्टतया सुविधारहित समूह को, जैसे कि वे समूह जो दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके अन्तर्गत श्रमजीवी जनता, घरेलू महिलायें और ऐसे वयस्क हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने व अर्जित करने की इच्छा रखते हैं, उच्चतर शिक्षा तक उनकी पहुॅच के लिये उपबंध करेगा;

(ग) शीघ्रता से विकसित और परिवर्तित होने वाले समाज में ज्ञान के अर्जन का संवर्धन करेगा और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में नव–परिवर्तन, अनुसंधान, शोध के संदर्भ में ज्ञान, प्रशिक्षण और कुशलता बढ़ाने के लिये लगातार अवसर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करेगा;

(घ) ज्ञान के नये क्षेत्रों में विद्या की अभिवृद्धि करने और उसे विशिष्टतया प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्या के तरीकों और गति, पाठ्यक्रमों के मिश्रण, नामांकन की पात्रता, प्रवेश की आयु, परीक्षाओं के

संचालन और कार्यक्रमों के प्रवर्तन के सम्बन्ध में सुनिश्चय और निर्बाघ विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की नई प्रणाली के लिए उपबन्ध करेगा;

(ड.) औपचारिक पद्धति की अनुपूरक अनौपचारिक पद्धति का उपबन्ध करके और विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित पाठों और अन्य सॉफ्टवेयर का व्यापक रूप से उपयोग करके गुणवत्ता के अन्तरण को और शिक्षण कर्मचारीवृन्द के विनिमय को प्रोत्साहित करके शैक्षणिक पद्धति के सुधार में सहयोग देगा;

(च) देश की विभिन्न कलाओं, शिल्पों और कुशलताओं में, उनकी गुणवत्ता में सुधार करके जनता के लिये उनकी उपलब्धता में वृद्धि करके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध करेगा;

(छ) ऐसे कार्यकलापों या संस्थाओं के लिये अपेक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध या प्रबन्ध करेगा;

(ज) अध्ययन के यथोचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये उपबन्ध करेगा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा;

(झ) अपने छात्रों के लिये परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए उपबन्ध करेगा; और

(ञ) अपनी नीति एवं कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता व मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास में वृद्धि करेगा।

2विश्वविद्यालय दूर और अनुवर्ती शिक्षा के विविध माध्यमों से उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयास करेगा और उच्चतर शिक्षा के विद्यमान विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के सहयोग से कृत्य करेगा और नवीनतम ज्ञान का और नई शिक्षण प्रौद्योगिकी का ऐसी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिये जो समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप हो, पूर्ण उपयोग करेगा।

आज्ञा से,

यू0सी0 ध्यानी,
सचिव।

नोट– उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 में हुए संशोधन 'उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018' सम्बन्धी अभिलेख दिये गये लिंक पर उपलब्ध है।

http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-09/The-Act-2018.pdf

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–6
अधिसूचना

09 जून, 2009 ई0

संख्या–69/उच्च शिक्षा विभाग–राज्यपाल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 23 वर्ष, 2005) की धारा 31 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के लिए निम्नवत् प्रथम परिनियमावली बनाते हैं–

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 2009

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–

(1) इस परिनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 2009 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं :–

जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस परिनियमावली में:–

(क) ''अधिनियम'' से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ख) ''अध्यापक की आयु'' से, संबंधित अध्यापक की जन्मतिथि जो कि अध्यापक की हाई स्कूल या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा के प्रमाण–पत्र में उल्लिखित है, संगणना की तारीख तक, संगणित अभिप्रेत है;

(ग) ''खण्ड'' से परिनियम का वह खण्ड अभिप्रेत है, जिसमें उक्त पद आया है;

(घ) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(ड.) ''धारा'' से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(च) ''विश्वविद्यालय'' से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(छ) ऐसे शब्दों तथा पदों के जो अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु इस परिनियमावली में परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।

अध्याय–दो

कुलाधिपति की शक्तियां

3. कुलाधिपति की शक्तियां – (धारा 10 (4)) :–

(1) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर, जो उन्हें धारा 40 के अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिसे वह आवश्यक समझे, मांग सकते हैं, और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं और ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं, जिसे वह उचित समझें।

(2) निम्नलिखित किन्हीं परिस्थितियों में कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिए, जैसा वह विनिर्दिष्ट करें, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेंगे–

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुल सचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जायेगी,

(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे परिनियम 3 के खण्ड (1) से खण्ड (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो,

(ग) किसी अन्य आपात स्थिति में;

परन्तु यह कि कुलाधिपति इस परिनियम के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय–समय पर बढ़ा सकेगें, किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि, जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है, एक वर्ष से अधिक न हो।

(3) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जानबूझकर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

(4) परिनियम 2 के खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाये,

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे वह परिलब्धियां प्राप्त होती रहेगी, जिनके लिए वह अन्यथा, परिनियम 4 के खण्ड (8) के अधीन हकदार था।

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का निर्वहन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

अध्याय–तीन
कुलपति

4. कुलपति की नियुक्ति, पदावधि, परिलब्धियां और शक्तियां तथा कृत्य – (धारा – 11 (1))

(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा परिनियम 3 के खण्ड (2) या परिनियम 4 के खण्ड (5) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम परिनियम 4 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों।

(2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी, अर्थात्ः–

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रख्यात शिक्षाविद;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव, जो सदस्य संयोजक होगा।

(3) परिनियम 4 के अधीन, पदावधि की समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाए, ऐसी तारीख के पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय ऐसे व्यक्तियों में से,जिनकी संस्तुति की गयी है, प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी, किन्तु वह उनमें कोई अधिमान क्रम उपदर्शित नहीं करेगी।

(4) जहां कुलाधिपति ऐसे व्यक्तियों में से, जिनकी संस्तुति की गयी है या जिनकी समिति द्वारा सिफारिश की गयी है, किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझते है, अथवा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गयी है उनमें से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो कुलाधिपति समिति से, परिनियमों के अनुसार, नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(5) यदि समिति परिनियम 4 के खण्ड (3) या परिनियम 4 के खण्ड (4) में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असमर्थ है, या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नामों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं, तो कुलाधिपति शिक्षा–क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्ति करेगें, जो परिनियम 4 के खण्ड (3) के अनुसार नाम प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसके संबंध में बाद में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(7) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा;

परन्तु यह कि कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा कुलपति किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपने पद पर नहीं बना रहेगा।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(9) कुलपति अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा;

परन्तु यह कि जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाये तो उसे उस भविष्य निधि में जिसका वह अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा, जिस सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा है।

(10) जब तक कि कोई कुलपति परिनियमावली के अधीन अपने पद का कार्यभार न संभाल ले, तब तक विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(11) कुलपति–

(क) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की बैठकों और विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ;

(ख) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र समुचित दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(12) कुलपति धारा 16 के अधीन यथा उल्लिखित विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(13) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस परिनियम के अधीन मत देने का हकदार नहीं होगा।

(14) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 10 तथा 40 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(15) कुलपति को कार्य परिषद्, योजना बोर्ड, विद्या परिषद् वित्त–समिति तथा सभी अन्य साविधिक समितियों की बैठकें बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी।

(16) जहां विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो कुलपति

ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना तत्काल कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण प्रक्रिया में मामले के संबध में कार्यवाही करते ;

परन्तु यह कि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा;

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित के रूप में प्रभावी होगी। किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तरण से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

परन्तु अग्रत्तर यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस परिनियमावली के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के उस तारीख से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के अन्दर कार्यपरिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्यपरिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्टि या उपांतरित कर सकेगी या उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगी।

(17) परिनियम 4 के खण्ड (6) में किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय–व्ययक में न की गयी हो।

(18) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जाये।

(19) कुलपति,–

(एक) अनुदेशकों, पाठ्यक्रम लेखकों, पटकथा लेखकों, काउन्सलरों, परामर्शदाताओं, प्रोग्रामरों, कलाकारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझा जायें,

(दो) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक समझे जायें, और अध्यादेशों में अधिकथित प्रक्रिया अनुसार चयनित हो, एक समय में छः मास से अनधिक की अवधि के लिए अल्पकालिक नियुक्तियां कर सकता है;

(तीन) समय–समय पर यथाअपेक्षित रूप से विभिन्न स्थानों पर अध्ययन केन्द्रों और प्रोग्राम केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण करेगा और विश्वविद्यालय अपने किसी कर्मचारी को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा जो उक्त केन्द्रों के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझी जायें;

(चार) विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और प्रशासकों की समिति या समितियां गठित करेगा, जो कि विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक हों।

अध्याय–चार

निदेशक, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारी

5. निदेशक – (धारा 12)

(1) निदेशक, प्रत्येक विद्या शाखा से वरिष्ठता के आधार पर आचार्यों में से चक्रानुक्रम के अनुसार कुलपति द्वारा अधिकतम 3 वर्षों हेतु अथवा अधिवर्षता पूर्ण होने जो भी पहले हो तक नियुक्त किये जायेगें। निदेशक विद्या शाखा के अन्तर्गत समस्त विभागों/विषयों में अकादमिक कार्यों में समन्वय स्थापित करेंगे।

(2) निदेशकों की सेवा की अन्य शर्तें एवं वेतन परिलब्धियॉ इत्यादि ऐसी होंगी जैसी कि विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग के लिए विहित हैं।

6. कुल सचिव की सेवा शर्ते, शक्तियां और कर्तव्य (धारा 13)

(1) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की जायेगी। कुलसचिव के नियंत्रणाधीन उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव भी अन्य राज्य विश्वविद्यालय की तरह ही राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे;

परन्तु यह कि यदि किन्ही कारणों से लोक सेवा आयोग कुलसचिव की नियुक्ति करने में असमर्थ रहता है अथवा यह पद रिक्त रहता है तो कुलपति राज्य सरकार से परामर्श कर विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त कर सकेगा या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त करने का निर्देश ले सकेगा।

(2) कुलसचिव की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(3) कुलसचिव की सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) के अधीन बनाई गयी उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

(4) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। कुलसचिव, कार्य–परिषद् योजना बोर्ड, विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गठित प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह मत देने का हकदार न होगा।

(5) कुलसचिव को अधिनियम और परिनियमावली में यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जाएगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(6) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुलसचिव का अनुशासनिक नियंत्रण निम्नलिखित के सिवाय विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों पर होगाः–

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण;

(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या पारिश्रमिक वाले कोई पद धारण कर रहे हों या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अंतरीक्षक (इनविजिलेटर) हों;

(ग) पुस्तकालयाध्यक्ष ;

(7) परिनियम 6 के खण्ड (6) में निर्दिष्ट अनुशासनिक नियत्रंण से सम्बन्धित किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, परिनियम 18 के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को कुल सचिव के माध्यम से अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(8) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगाः—

(क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य—परिषद् द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो;

(ख) विभिन्न प्राधिकारियों की बैठक से संबंधित प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिए समस्त सूचनायें जारी करना और ऐसे समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखना;

(ग) कार्य—परिषद्, विद्या—परिषद, योजना बोर्ड और मान्यता बोर्ड का सरकारी पत्राचार;

(घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना, जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो;

(ङ.) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामें पर हस्ताक्षर करना, अभिवचनों का सत्यापन करना।

7. वित्त अधिकारी की सेवा शर्तें, शक्तियां और कर्तव्य (धारा (14))

(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा। वित्त अधिकारी की नियुक्ति वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों में से की जायेगी। उसकी परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, राज्य सरकार के वित्त एवं लेखा सेवा के लेखाधिकारियों पर लागू नियमों और आदेशों द्वारा शासित होगी। वित्त अधिकारी को संदेय परिलब्धियों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा, नाम—निर्दिष्ट किसी एक विद्या—शाखा निदेशक द्वारा किया जायेगा और यदि किसी कारण ऐसा करना साध्य न हो तो कुल सचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जायें।

(3) वित्त अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगेः—

(क) कार्य परिषद में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा;

(ख) विश्वविद्यालयों के क्रिया–कलापों से संबधित ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करना, ऐसी सूचना को प्रस्तुत करना, जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक हों;

(ग) कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण;

(घ) यह सुनिश्चित करना, कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय, जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय; (ड.) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जिससे अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो;

(च) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाए और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है;

(ज) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना;

(झ) किसी वित्तीय मामले में स्वतः या अपेक्षित होने पर उसका परामर्श देना ;

(ञ) नकदी तथा बैंक में जमा राशि तथा विनिधान की स्थिति पर लगातार निगरानी रखना;

(ट) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का संवितरण करना और उसके लेखे रखना ;

(ठ) यह सुनिश्चित करना कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपभोज्य अन्य सामग्रियों के भण्डार (स्टॉक) की नियमित जांच की जाती है;

(ड) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं जांच करना और समक्ष प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देना;

(ढ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी मांगना, जिसे यह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे;

(ण) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक लेखा परीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करना, और उन बिलों की पूर्व लेखा परीक्षा करना, जो तत्संबंधी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हों;

(त) वित्तीय मामलों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन, जो उसे कार्य–परिषद् अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें;

(थ) विश्वविद्यालय के लेखा और लेखा परीक्षा अनुभाग के सहायक कुलसचिव (लेखा), यदि कोई हो, से निम्न स्तर के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखना और उप–कुलसचिव, सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखाधिकारी, यदि कोई हो के कार्य का पर्यवेक्षण करना।

(4) यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के संबंध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाये, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8. **परीक्षा नियंत्रक की सेवा शर्ते, शक्तियां और कर्तव्य**

परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय की कार्य–परिषद् की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुत व्यक्ति विश्वविद्यालय के उपाचार्य से निम्न पंक्ति का नहीं होगा ;

परन्तु यह कि यदि किन्हीं कारणों से पूर्णकालिक परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति न हो पाने की दशा में कुलपति विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी को तात्कालिक व्यवस्था के रूप में परीक्षा नियंत्रक नियुक्त कर सकेगा।

(1) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायं।

(2) परीक्षा नियंत्रक की सेवा की अन्य शर्तें, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए इस परिनियमावली द्वारा विहित की गयी सेवा की शर्तों द्वारा शासित होंगी।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जायें या कार्य–परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय, या विद्या–शाखा या अध्ययन केन्द्र से कोई सूचना, ऐसे विवरण प्रस्तुत करने या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(4) परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(5) कुलपति और परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्संबंधी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार स्वीकार्य के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

* परीक्षा नियंत्रक की नियुक्त की उपाचार्य जिसकी सेवा उपाचार्य पद पर पाँच वर्ष से कम न हो अथवा आचार्य में से की जायेगी।

- परीक्षा नियंत्रक की रित्ति को दो व्यापक परिचालन वाले समाचार पत्रों के साथ–साथ रोजगार में प्रकाशित किया जायेगा।
- परीक्षा नियंत्रक के पद हेतु चयन समिति निम्नवत् होगीः–

1. कुलपति	अध्यक्ष
2. कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
3. कार्य परिषद् द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
4. विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम निदेशक	सदस्य

5. कुलपति द्वारा नामित अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/पिछ़ड़ी जाति/अल्पसंख्यक/महिला/शारीरिक रुप से अशक्त श्रेणी का एक प्रतिनिधि, बशर्ते इन श्रेणीयों के अभ्यर्थी हों तथा चयन समिति में इस श्रेणी का व्यक्ति सम्मिलित न हो।

सदस्य

- परीक्षा नियंत्रक का कार्यालय 3 वर्ष का होगा जिसे कार्य परिषद के अनुमोदन से अग्रेत्तर 3 वर्षो के लिए विस्तार किया जा सकता है।

* सचिव कुलाधिपति के पत्रांक–1110/जी0एस0/शिक्षा–सी 7–6/2011 दिनांक 01 जुलाई, 2011 द्वारा प्राप्त संशोधन।

अध्याय–पांच

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

9. कार्य परिषद् का गठन उसकी पदावधि तथा कृत्य एंव शक्तियां (धारा 17)

(1) कार्य–परिषद् में निम्नलिखित होंगेः–

(क) कुलपति — अध्यक्ष

(ख) परिनियम 13 में उल्लिखित विद्या शाखा से ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो निदेशक; — सदस्य

(ग) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक आचार्य; — सदस्य

(घ) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक उपाचार्य; — सदस्य

(ड.) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक प्राध्यापक; — सदस्य

(च) कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पन्द्रह नामों के पैनल (सूची) में से कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले चार व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं–

(एक) दो प्रख्यात शिक्षाविद — सदस्य

(दो) अग्रणी उद्योग से दो व्यक्ति — सदस्य

(छ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति या उसका नाम –निर्देशिती जो प्रति उप कुलपति से निम्न पद का न हो; — सदस्य

(ज) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि पदेन सदस्य

(2) कुलपति के सिवाय कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए कार्य–परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा ;

परन्तु यह कि यदि इस परिनियम में (ख) से (ङ) तक के पदेन सदस्यों में चक्रानुक्रम में चयन के लिए अन्य व्यक्ति उपलब्ध न हो तो ज्येष्ठता क्रम में ही पुनः किसी सदस्य को नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) कार्य–परिषद् के सदस्यों की पदावधि का आरम्भ, चयन या नाम–निर्देशन के तिथि से प्रारम्भ होगा।

(4) कार्य–परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति, कार्य–परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा की जाएगी।

(5) परिनियम 9 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम–निर्देशित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह स्नातक न हो।

(6) कोई व्यक्ति परिषद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह या उसका संबंधी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल की आपूर्ति करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है;

परन्तु यह कि इस परिनियम की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी हॉल या छात्रावास के अधीक्षक या अभिरक्षक (वार्डन) अथवा कुलानुशासक (प्रॉक्टर) या उप शिक्षक (ट्यूटर) के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा विश्वविद्यालय के संबंध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

पदावधि

(7) पदेन सदस्यों से भिन्न, कार्य परिषद् के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(8) कार्य–परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्–

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(दो) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से अध्यापकों और शिक्षणेत्तर पदों का सृजन करना;

(तीन) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को परिभाषित करना ;

9(8)(चार) में वर्तमान व्यवस्था	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था**
9(8)(चार)- यथा स्थिति, शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग की नियुक्तियों को अनुमोदित करना।	9(8)(चार)- यथा स्थिति, शैक्षणिक वर्ग की नियुक्तियों को अनुमोदित करना। शिक्षणेत्तर वर्ग की नियुक्ति को कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा तथा कृत कार्यवाही से कार्य परिषद की आगामी बैठक में सूचना प्रस्तुत की जायेगी।

कुलाधिपति के प्रमुख सचिव के पत्रांक-435/जी0एस0/शिक्षा-सी 7-8/2012, दिनांक 16 मई, 2012 द्वारा संशोधित

(पांच) शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग की अस्थायी रिक्तियों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना;

(छः) अतिथि आचार्यों प्रतिष्ठित (इमेरिटस) आचार्य, कलाकारों और पाठ्यक्रम लेखकों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना और अध्यादेशों में विहित मानदेय के आधार पर ऐसी नियुक्तियों के निबन्धनों और शर्तों को अवधारित करना ;

(सात) विश्वविद्यालय के ऐसे अतिरिक्त धन को ऐसी प्रतिभूतियों में जैसा वह ठीक समझे या विश्वविद्यालय के विकास के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति की खरीद में निवेश करनाः

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन कोई कार्यवाही वित्त–समिति के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं की जायेगी।

(आठ) अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के अनुसार अध्यापक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग में अनुशासन को विनियमित और प्रवर्तित करना;

(नौ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से व्यथित अनुभव करें, शिकायतों का विचार करना, न्यायनिर्णीत करना, और शिकायतों को दूर करना;

(दस) वित्त समिति के अनुमोदन से पाठ्यक्रम लेखकों, संविदा व्यक्तियों, परीक्षकों और अन्वेषकों को देय पारिश्रमिक, यात्रा एवं अन्य भत्तों को नियत करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा के प्रयोग की व्यवस्था करना;

(बारह) अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति संस्थित करना;

(तेरह) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना और निरसित करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय के लिए बजट तैयार करना;

(पन्द्रह) विभिन्न कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों और अन्य विषयों के लिए कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम फीस, परीक्षा फीस और अन्य फीस/प्रभार विहित करना–

10. विद्या परिषद् का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा–18)

(1) विद्या–परिषद् में निम्नलिखित होंगे–

(एक) कुलपति	अध्यक्ष
(दो) विद्या–शाखाओं में सभी निदेशकगण	सदस्य
(तीन) ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम में चयनित किये जाने वाले दो आचार्य, दो उपाचार्य और दो प्राध्यापक	सदस्य
(चार) पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
(पांच) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो	सदस्य
(छः) ऐसी रीति में, जैसा विद्या–परिषद् उचित समझे, सहयोजित किये जाने वाले शिक्षा के क्षेत्र में पांच व्यक्ति	सदस्य
(सात) कुलसचिव	सदस्य/ सचिव

(2) किसी बैठक की गणपूर्ति विद्या–परिषद् के आठ सदस्यों द्वारा होगी।

(3) कुलपति के सिवाय, कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए विद्या–परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा।

(4) कोई भी सदस्य दो से अधिक क्रमवर्ती पदावधि के लिये नामित नहीं किया जायेगा।

(5) विद्या–परिषद् की अन्य शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे–

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और अनुदेश की पद्धतियों या शैक्षणिक मानकों में सुधार के संबंध में निर्देश देना;

(ख) योजना बोर्ड या विद्या शाखा या कार्य–परिषद् से किसी निर्देश पर या स्वप्रेरणा से सामान्य हित के मामलों पर विचार करना ; और

(ग) शिक्षा संबंधी सभी विद्या–संबंधी मामलों पर कार्य–परिषद् को परामर्श देना।

11. योजना बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 19)

(1) योजना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(एक) कुलपति अध्यक्ष;

(दो) अध्यापकवर्ग में से; ज्येष्ठता क्रम में, कुलपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट चार व्यक्ति;

(तीन) विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति को विशेषज्ञता के लिए कार्य–परिषद् द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले पांच व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों–

(क) वाणिज्यिक प्रबंधन;

(ख) विद्वतापूर्ण वृत्तियां ;

(ग) विज्ञान / मानविकी / समाज विज्ञान / पर्यावरण;

(घ) दूरस्थ शिक्षा; और

(ड.) वाणिज्य तथा उद्योग।

(2) योजना बोर्ड के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(3) (क) कुलपति और प्रतिकुलपति के सिवाय कोई भी व्यक्ति दो से अधिक क्रमवर्ती अवधि के लिए योजना बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।

(ख) योजना बोर्ड की बैठक ऐसे अंतराल पर होगी, जैसा वह समीचीन समझे, किन्तु इसकी वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें होगी।

(ग) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति योजना बोर्ड के छः सदस्यों द्वारा होगी।

(4) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय हेतु समुचित कार्यक्रम और क्रियाकलापों को अभिकल्पित और तैयार करेगा और विषय पर जिसे वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे, उसे कार्य–परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा;

परन्तु यह कि किसी विषय पर शिक्षा–परिषद् और योजना बोर्ड के मध्य मतभेद होने की दशा में उसे कार्य–परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

12. मान्यता बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 2 (ख))

(1) –मान्यता बोर्ड निम्नवत संरचित होगा–

(एक) कुलपति अध्यक्ष

(दो) प्रत्येक विद्या–शाखा का निदेशक सदस्य

(तीन) कुलपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये गये विद्या परिषद के दो सदस्य — सदस्य

(चार) कुलपति द्वारा नाम– निर्दिष्ट योजना बोर्ड का एक सदस्य — सदस्य

(पांच) कार्य–परिषद् द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया गया कार्य–परिषद् का एक सदस्य — सदस्य

(छः) कुलसचिव — सदस्य सचिव

(2) मान्यता बोर्ड की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे–

(क) विद्या–परिषद् और कार्य–परिषद् के अनुमोदन से संस्थाओं की मान्यता के लिए मानक निर्धारित करना;

(ख) कुलपति द्वारा उसको निर्दिष्ट किये गये संस्थाओं की मान्यता हेतु आवेदनों का परीक्षण करना और अपनी संस्तुतियों को विद्या–परिषद् को प्रस्तुत करना;

(ग) ऐसी संख्या में, जैसी आवश्यक हो, समितियां नियुक्त करना;

(घ) ऐसे कृत्यों का निष्पादन करना, जो उसे विद्या–परिषद् द्वारा सौंपे जांय।

13. अध्ययन केन्द्र (विद्या शाखा), बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 20)

(1) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित विद्या शाखाऍ होंगें; अर्थात्–

<u>परिनियम 13(1)</u>

क्रम संख्या	वर्तमान विद्याशाखायें	क्रम संख्या	प्रस्तावित विद्याशाखायें
(क)	मानविकी	(क)	मानविकी
(ख)	समाज विज्ञान	(ख)	समाज विज्ञान
(ग)	प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य	(ग)	प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य
(घ)	विज्ञान	(घ)	विज्ञान
(ड.)	कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान	(ड.)	कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान
(च)	भाषा विज्ञान	(च)	कृषि एवं विकास अध्ययन
(छ)	पर्यटन, होटल प्रबन्धन एवं खाद्य प्रौद्योगिकी (फूड टैक्नोलाजी)	(छ)	शिक्षाशास्त्र
		(ज)	स्वास्थ्य विज्ञान
		(झ)	पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन
		(ट)	विधि
		(ठ)	पर्यटन, आतिथ्य व होटल प्रबन्धन
		(ड)	व्यवसायिक अध्ययन
		(ढ)	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
(ज)	ऐसे अन्य पाठ्यक्रम/विद्याशाखा, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाये, परन्तु यह कि कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित तिथि से विद्याशाखा कार्य करना आरम्भ करेंगे।	(ण)	ऐसे अन्य पाठ्यक्रम/विद्याशाखा, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाये, परन्तु यह कि कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित तिथि से विद्याशाखा कार्य करना आरम्भ करेंगे।''

महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्रांक-4208/जी0एस0/शिक्षा-सी 7-13/2014, दिनांक 28 मार्च, 2014 द्वारा संशोधित

(2) कार्य–परिषद्, कुलपति की संस्तुति से विद्या शाखा को एक या अधिक विषय सौंप सकती है, जैसा कि कृत्यों के उचित निर्वहन के हित में हो।

(3) प्रत्येक विद्या शाखा का एक बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(क) विद्या शाखा का निदेशक — अध्यक्ष

(ख) विद्या शाखा के सभी आचार्य — सदस्य

(ग) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो उपाचार्य — सदस्य

(घ) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो प्राध्यापक — सदस्य

वर्तमान व्यवस्था	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
13(3):-	13(3):- (च) कुलपति द्वारा नामित अन्य विश्वविद्यालयों के संबंधित विषयों के दो विशेषज्ञ, जैसा कि कार्यहित में अपेक्षित हो- सदस्य (e) Two Experts of concern subjects from other universities, as necessary in the interest of work, shall be nominated by Vice-Chancellor- Member

कुलाधिपति के प्रमुख सचिव के पत्रांक-2389/जी0एस0/शिक्षा-सी7-2/2012, दिनांक 03 अक्टूबर, 2012 द्वारा संशोधित

(4) कुलपति के सिवाय विद्या शाखा बोर्ड के सदस्यों की अवधि दो वर्ष होगी।

(5) 3 (क) तथा 3 (ख) के सिवाय, कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए विद्या शाखा बोर्ड का सदस्य नहीं रह सकेगा।

(6) विद्या शाखा बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:–

(एक) विद्या शाखा में अनुसंधान कार्यों का संवर्धन;

(दो) शैक्षिक परिषद् के निर्देशों के अनुसार विद्या शाखा के शैक्षिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम के ढांचे को अनुमोदित करना;

(तीन) कुलपति द्वारा गठित विशेषज्ञ–समिति (समितियों) के परामर्श पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार पाठ्यक्रम का अनुमोदन;

(चार) विद्या शाखा को समनुदेशित विधाओ के आचार्यों के परामर्श से तैयार किये गये विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, अध्ययन केन्द्र में निदेशक के प्रस्ताव पर, पाठ्यक्रम लेखकों, परीशकों और अनुसंगकों (मॉडरेटर) के नामों को कुलपति को संस्तुत करना और;

(पांच) अन्य विद्या शाखा के सहयोग से पाठ्यक्रम लेखकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;

(छः) उप शिक्षकों (ट्यूटरों) और परामर्शियों के लिए कार्यक्रमों/पुनश्चर्या/ग्रीश्म कालीन पाठ्यक्रमों अथवा संगोष्ठियों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;

(सात) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए सामान्य अनुदेश तैयार करना;

(आठ) विद्या शाखा के समनुदेशित विद्याओं के पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सामग्री की तैयारी के लिए अपनायी गयी कार्य–प्रणालियों की समीक्षा करना, शैक्षिक सामग्री का मूल्यांकन करना, और विद्या परिषद् को उपयुक्त संस्तुतियां करना;

(नौ) पहले से प्रयोग में चल रहे पाठ्यक्रमों का समय–समय पर, यदि आवश्यक हो तो, बाहरी विशेषज्ञों की सहायता से समीक्षा करना और पाठ्यक्रमों में ऐसे परिवर्तन करना, जो अपेक्षित हों;

(दस) अध्ययन/सम्पर्क/कार्यक्रम केन्द्रों की सुविधाओं और प्रयोगशाला/क्षेत्र कार्य के लिए सुविधाओं की नियत कालिक रूप से, जैसा कि विद्या शाखाओं द्वारा अवधारित किया जाय, समीक्षा करना;

(ग्यारह) ऐसे समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें, और सभी ऐसे विषयों पर विचार करना जो उसे कार्य परिषद्, विद्या परिषद, योजना बोर्ड या कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किये जायं, और

(बारह) ऐसी सामान्य या विशिष्ट शक्तियों को, जो समय–समय पर विद्या शाखा द्वारा विनिश्चित की जायं, निदेशक बोर्ड के या किसी अन्य सदस्य या किसी समिति को प्रत्यायोजित करना।

परिनियम 13(7)

क्रम सं0	विद्या शाखा का नाम	वर्तमान में सम्मिलित इकाईयॉ	विद्या शाखा का नाम	अनुमोदित विभाग
1.	मानविकी	दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, पत्रकारिता एवं जनसंचार, संगीत, नाटक, लोकगीत, नृत्य एवं कला	1.मानविकी	• अंग्रेजी एवं विदेशी भाषायें विभाग • हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषायें विभाग • वैदिक ज्योतिष विभाग • भारतीय कर्मकाण्ड विभाग • संगीत, नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग • दर्शन विभाग • संस्कृत एवं प्राकृत भाषायें विभाग • उर्दू विभाग
2.	समाज विज्ञान	राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, समाज कार्य, लोक प्रशासन, भूगोल, विधि, भारतीय ज्योतिष, कर्मकाण्ड, अर्थशास्त्र	2.समाज विज्ञान	• अर्थशास्त्र विभाग • इतिहास विभाग • राजनीति विज्ञान • मनोविज्ञान विभाग • लोक प्रशासन विभाग • समाज कार्य विभाग • समाज शास्त्र विभाग • हिमालयी अध्ययन केन्द्र • गांधी अध्ययन एवं शांति केन्द्र
3.	.प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य	वाणिज्य, प्रबन्ध अध्ययन एवं रोजगारपरक अध्ययन* *रोजगारपरक अध्ययन विभाग की गतिविधियों के लिए अन्य विभागों से भी सामन्जस्य रखा जायेगा।	3.प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य	• प्रबन्ध अध्ययन विभाग • वाणिज्य विभाग • मानवीय मूल्य एवं नैतिकता विभाग
4.	विज्ञान	रसायन, भौतिकी, गणित, वनस्पति, प्राणि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान एवं भूगोल	4.विज्ञान	• वनस्पति विज्ञान विभाग • रसायन विज्ञान विभाग • वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग • भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन

				विभाग • गणित विभाग • भौतिकी विज्ञान विभाग • प्राणी विज्ञान विभाग • भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं दूर संवेदी अनुप्रयोग विभाग
5.	कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान	कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं कम्प्यूटर अभियांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान	5.कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी	• कम्प्यूटर उपयोग विभाग • सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
6.	भाषा विज्ञान	भाषाएं, अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय भाषाएं, प्राच्य विद्या, उर्दू	..	....
			6.व्यवसायिक अध्ययन	व्यवसायिक पाठ्यक्रम विभाग
7.	पर्यटन, आतिथ्य सेवा, होटल प्रबन्ध एवं खाद्य प्रौद्योगिकी	पर्यटन, आतिथ्य सेवा एवं होटल मैनेजमेंट	7.पर्यटन, आतिथ्य एवं होटल प्रबन्धन	• पर्यटन एवं आतिथ्य विभाग • होटल प्रबन्धन विभाग
8.	कृषि	उद्यान विज्ञान, पुष्प विज्ञान, वानिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी	8.कृषि एवं विकास अध्ययन	• कृषि विभाग(पादप रक्षण, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन) • उद्यान विभाग(सब्जी विज्ञान, पुष्प उत्पादन विज्ञान व फल उत्पादन विज्ञान) • विकास अध्ययन विभाग(कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रसार)
9.	ग्रामीण स्वास्थ्य विज्ञान	आयुर्वेद, मेडिकल साइंस, खाद्य एवं पोषण, योग, आयुष, पर्यावरण विज्ञान –	9.स्वास्थ्य विज्ञान	• आयुर्वेद विभाग • चिकित्सा विज्ञान एवं स्वास्थ्य देखभाल विभाग • योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग • गृह विज्ञान विभाग
10	शिक्षाशास्त्र	शिक्षाशास्त्र	10.शिक्षाशास्त्र	• शिक्षाशास्त्र विभाग • शिक्षक शिक्षा विभाग • विशिष्ट शिक्षा विभाग
			11.पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	• पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
			12.पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन	• पत्रकारिता विभाग • मीडिया अध्ययन विभाग
			13.विधि	• नागरिक कानून विभाग • आपराधिक कानून विभाग • मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून विभाग

महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्रांक-4208/जी0एस0/शिक्षा-सी 7-13/2014, दिनांक 28 मार्च, 2014 द्वारा संशोधित

परिनियम में पूर्व स्थापित व्यवस्था		परिनियम में संशोधनोपरान्त स्थापित व्यवस्था	
विद्याशाखा का नाम	अनुमोदित विभाग	विद्याशाखा का नाम	अनुमोदित विभाग
4. विज्ञान	• वनस्पति विज्ञान विभाग • रसायन विज्ञान विभाग • वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग • भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन विभाग • गणित विभाग • भौतिकी विज्ञान विभाग • प्राणी विज्ञान विभाग • भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं दूर संवेदी अनुप्रयोग विभाग	.4 विज्ञान	• वनस्पति विज्ञान विभाग • रसायन विज्ञान विभाग • गणित विभाग • भौतिकी विज्ञान विभाग • प्राणी विज्ञान विभाग
		.14भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान	• भूगर्भ विज्ञान विभाग • वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग • भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन विभाग • भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं दूर संवेदी अनुप्रयोग विभाग

महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्रांक-42/जी0एस0/शिक्षा/सी7-13/2018, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 द्वारा संशोधित

नोट– विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम संख्या 13(7) में हुए संशोधनों के संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त स्वीकृति पत्र दिनांक 04.04.2018 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.04.2018 विश्वविद्यालय के नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है।

http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/pariniyamabli-30-06-2020.pdf

वित्त समिति और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 21)

14 (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे–

(क) कुलपति — अध्यक्ष

(ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी — सदस्य

(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव

या उसका नामित अधिकारी — सदस्य

(च) कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ऐसा व्यक्ति

जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी न हो — सदस्य

(घ) वित्त अधिकारी — सदस्य सचिव'

***सचिव कुलाधिपति के पत्र सख्या 3942/जी0एस0/शिक्षा –सी7–1/2010 दिनांक 3 फरवरी, 2011 द्वारा संशोधित।**

(2) वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(3) वित्त समिति, कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बंधित विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद पर बाध्यकर होगी।

(4) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्य परिषद उस पर कोई निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्यपरिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वो निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपने असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापिस करेगी और यदि कार्यपरिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) यदि कार्यपरिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करें, जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, तो कार्य परिषद् वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेंगी।

(6) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) वित्त समिति के सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत न हो तो असहमति टिप्पणी अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

(8) लेखाओं की जांच करने तथा व्यय के प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का प्रति वर्ष कम से कम दो बार बैठक होगी।

परीक्षा समिति

15 (1) परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें,

(एक) कुलपति	अध्यक्ष
(दो) शैक्षिक शाखाओं के सभी निदेशक	सदस्य
(तीन) शैक्षिक परिषद् का एक सदस्य	सदस्य
(चार) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्य परिषद का एक सदस्य	सदस्य
(पांच) परीक्षा नियंत्रक	सदस्य सचिव

(2) परिनियम 15(1) के (तीन) एवं (चार) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

(3) परीक्षा समिति की बैठकें कुलपति द्वारा, जैसे और जब आवश्यक हो, बुलायी जायेगी।

(4) परीक्षा समिति विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी, और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का सम्पादन करेंगी, अर्थात्ः–

(क) अध्ययन बोर्ड की सिफारिश पर परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और अनुमोदन के लिए उसे विद्या परिषद् को प्रस्तुत करना;

(ग) शैक्षिक परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम की घोषणा करना;

(घ) परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए विद्या परिषद् से सिफारिश करना।

(5) परीक्षा समिति परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से संबंधित मामलों के संबंध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने के लिए उतनी उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी, जितनी वह ठीक समझे।

(6) इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, परीक्षा समिति या उपसमिति को, जिसे परीक्षा समिति के परिनियम 15 के खण्ड (5) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति प्राधिकृत की हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करने की शक्ति होगी।

वर्तमान व्यवस्था	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
16- अन्य प्राधिकारी (1) एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य प्राधिकारी होंगे:- (2) प्रत्येक विषय में एक अध्ययन बोर्ड होगा, जिसका गठन, शक्तियां और कृत्य नीचे दिये गये हैं:- (16- Other Authorities: (1) It is hereby declared that below mentioned other shall be the authorities of the university:- (2) There will be a Study Board in each subject, the constitution, powers and functions are given below :-)	16- अन्य प्राधिकारी (1) एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि प्रत्येक विषय में एक अध्ययन बोर्ड होगा जो विश्वविद्यालय का प्राधिकारी होगा। (2) अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियां और कृत्य निम्नवत् होंगे:- (16- Other Authorities: (1) It is hereby declared that there will be a Study Board in each subject which shall be the authority of the university:- (2) There constitution, powers and functions of Study Board are given below :-)

कुलाधिपति के प्रमुख सचिव के पत्रांक-2389/जी0एस0/शिक्षा-सी7-2/2012, दिनांक 03 अक्टूबर, 2012 द्वारा संशोधित

(एक) अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(क) अध्ययन बोर्ड के सभी आचार्य;

(ख) चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता के आधार पर, एक वर्ष के लिए दो उपाचार्य;

(ग) चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता के आधार पर, एक वर्ष के लिए दो प्राध्यापक;

(घ) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये छः नामों की नामिका (पैनल) में से विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ।

परन्तु यह कि यदि अध्ययन बोर्ड या विद्या परिषद् विशेषज्ञों के नामों को प्रस्तुत करने में विफल रही है, तो कुलपति तीन विशेषज्ञों को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(दो) अध्ययन बोर्ड को निम्नलिखित कृत्यों के निष्पादन की शक्ति होगी:–

(क) विषय में प्रदान किये जाने वाले पाठ्यक्रम तैयार कर निर्माण करना और उसे विद्या शाखा के बोर्ड को उसके विचार के लिये सौंपना, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा;

(ख) अध्ययन केन्द्र के बोर्ड द्वारा यथावांछित पाठ्यक्रम लेखकों, समीक्षकों और विशेषज्ञों की पहचान करना;

(ग) शिक्षा सत्र के कार्यो के लिये परीक्षकों व अनुसीमकों की नामिका (पैनल) तैयार करना;

(घ) कुलपति द्वारा अनुमोदित किसी अभिकरण की माध्यम से नामावली या परीक्षा परिणामों की कम्प्यूटरीकृत निर्मिति को प्राधिकृत करना;

(ङ) ऐसे विषय से संबंधित कोई अन्य मामला, जो कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो;

(तीन) अध्ययन बोर्ड की कार्यवाही अध्ययन–शाखा के बोर्ड के माध्यम से विद्या–परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।

विशेषज्ञ समितियां

17 (1) कुलपति उतनी संख्या में विशेषज्ञ समितियों का गठन कर सकता है, जितनी वह उचित समझे और विषय विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है, जो अध्ययन बोर्ड के सदस्य न हों।

(2) इस परिनियमावली के अधीन नियुक्त कोई समिति अध्ययन बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किसी विषय के संबंध में कार्यवाही कर सकती है।

(3) विशेषज्ञ समिति की कार्यवाही अध्ययन केन्द्रों के बोर्ड के माध्यम से विद्या–परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।

अनुशासनिक समिति

18 (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उचित समझे, एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी, जिसमें कुलपति और उसके समिति द्वारा या कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे;

परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद् समीचीन समझे तो वह विभिन्न मामलों या विभिन्न श्रेणियों के मामलों पर विचार करने के लिए ऐसी एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।

(2) ऐसा कोई भी अध्यापक, जिसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला निलम्बित हो, किसी अनुशासनिक समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(3) कार्य परिषद् कोई मामला किसी भी अवस्था में एक अनुशासनिक समिति से किसी दूसरी अनुशासनिक समिति आन्तरित कर सकती है।

(4) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगेः–

(क) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी अपील पर विनिश्चय करना;

(ख) ऐसे मामलों में जांच करना, जिसमें विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकालयाध्यक्ष के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त हो;

(ग) उपर्युक्त खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने की संस्तुति करना, जिसके विरूद्ध जांच विचाराधीन हो ;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसे समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जांय।

(5) समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा।

(6) अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र कार्य परिषद् के समक्ष रखी जायेगी, जिससे कार्य परिषद् मामले में निर्णय ले सकें।

विषय समिति

19 (1) विश्वविद्यालय में विद्या शाखा की प्रत्येक इकाई में एक विषय समिति होगी, जो इस परिनियम के अधीन नियुक्त विद्याशाखा के निदेशक की सहायता करेगी।

(2) विषय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(क) विद्याशाखा का निदेशक — अध्यक्ष

(ख) इकाई के समस्य आचार्य — सदस्य

परन्तु जहां किसी इकाई में, कोई आचार्य न हो, इकाईयों के समस्त उपाचार्य — सदस्य

परन्तु यह और कि किसी ऐसी इकाई में, जहां आचार्य और उपाचार्य दोनों न हों, वहां दो वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के चक्रानुक्रम में दो प्राध्यापक — सदस्य

परन्तु यह भी कि किसी ऐसी इकाई में जिसमें उपाचार्य और प्राध्यापक दोनों हों, वहां एक प्राध्यापक और दो उपाचार्य और किसी इकाई में जिसमें कोई उपाचार्य न हो, तो वहां ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से दो वर्ष की अवधि के लिए दो प्राध्यापक;

परन्तु अग्रत्तर यह कि किसी मामले में विनिर्दिष्ट तथा किसी विषय या विशेषज्ञता के संबंध में, उस विषय या विशेषज्ञता के ज्येष्ठतम अध्यापक को, यदि पहले से पूर्वकथित पूर्ववर्ती शीर्षों में सम्मिलित न हो, मामले के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।

(3) विद्याशाखा बोर्ड के अनुज्ञा के अधीन रहते हुए, विषय समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगेः–

(क) इकाई के अध्यापकों के मध्य अध्यापक कार्य के वितरण के संबंध में संस्तुतियां करना;

(ख) इकाई के अनुसंधान और अन्य क्रिया–कलापों के समन्वय के संबंध में सुझाव देना;

(ग) इकाई के सामान्य और शैक्षणिक हित के मामलो पर विचार करना।

(4) समिति की क्रम से क्रम तीन माह में एक बार बैठक होगी। समिति की बैठकों का कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय–छः

विश्वविद्यालय के अध्यापक

***अध्यापकों का वर्गीकरण**

20. विश्वविद्यालय में अध्यापकों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है–
(क) प्रोफेसर (आचार्य)
(ख) सह–प्रोफेसर (सह–आचार्य)
(ग) सहायक प्रोफेसर (सहायक आचार्य)

विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर (सहायक आचार्य) की अर्हता

21. सहायक प्रोफेसर के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपाय) विनियम, 2010; द्वितीय संशोधन विनियम, 2013 के द्वारा यथा संशोधित; तृतीय संशोधन विनियम,

2016 के द्वारा यथा संशोधित; तथा चतुर्थ संशोधन विनियम, 2016 के द्वारा यथा संशोधित, विनियमों में विहित प्रक्रिया एवं पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम्बन्धित विनियम में संशोधन या परिवर्तन किये जाने की दशा अथवा संबंधित सर्वोच्च नियामक निकाय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता में संशोधन किये जाने पर अथवा राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता में संशोधन किये जाने पर तत्समय यथा प्रवृत्त अद्यतन् प्रभावी विनियम जो 'भारत का राजपत्र' में प्रकाशित हो अथवा राज्य सरकार के शासनादेश के रूप में जारी हो, को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जायेगा।

सह–प्रोफेसर (सह–आचार्य) की अर्हता और नियुक्ति

22. सह–प्रोफेसर (सह–आचार्य) के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपाय) विनियम, 2010; द्वितीय संशोधन विनियम, 2013 के द्वारा यथा संशोधित; तृतीय संशोधन विनियम, 2016 के द्वारा यथा संशोधित; तथा चतुर्थ संशोधन विनियम, 2016 के द्वारा यथा संशोधित, विनियमों में विहित प्रक्रिया एवं पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम्बन्धित विनियम में संशोधन या परिवर्तन किये जाने की दशा अथवा संबंधित सर्वोच्च नियामक निकाय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता में संशोधन किये जाने पर अथवा राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता में संशोधन किये जाने पर तत्समय यथा प्रवृत्त अद्यतन् प्रभावी विनियम जो 'भारत का राजपत्र' में प्रकाशित हो अथवा राज्य सरकार के शासनादेश के रूप में जारी हो, को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जायेगा।

प्रोफेसर (आचार्य) के लिए अर्हताएं

23. प्रोफेसर (आचार्य) के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपाय) विनियम, 2010; द्वितीय संशोधन विनियम, 2013 के द्वारा यथा संशोधित; तृतीय संशोधन विनियम, 2016 के द्वारा यथा संशोधित; तथा चतुर्थ संशोधन विनियम, 2016 के द्वारा यथा संशोधित, विनियमों में विहित प्रक्रिया एवं पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम्बन्धित विनियम में संशोधन या परिवर्तन किये जाने की दशा अथवा संबंधित सर्वोच्च नियामक निकाय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता में संशोधन किये जाने पर अथवा राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता में संशोधन किये जाने पर तत्समय यथा प्रवृत्त अद्यतन् प्रभावी विनियम जो 'भारत का राजपत्र' में प्रकाशित हो अथवा राज्य सरकार के शासनादेश के रूप में जारी हो, को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जायेगा।

***परिनियम 20 से 23 महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्रांक-3830/जी0एस0/शिक्षा-सी 7-22/2018, दिनांक 18 जनवरी, 2018 द्वारा संशोधित**

रिक्तियों का अवधारण

24 कुलसचिव वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा तथा प्रवृत्त नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसे अनुमोदन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा।

रिक्तियों का विज्ञापन

25 (1) कुलसचिव, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा कराकर और दो व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों में और रोजगार समाचार में विज्ञापन देकर, रिक्तियां अधिसूचित करेगा।

(2) आचार्य, उपाचार्य और प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होगी। चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगेः—*

1. कुलपति — अध्यक्ष
2. विश्वविद्यालय के समबन्धित वैधानिक निकाय अर्थात कार्य परिषद एवं कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञ— सदस्य
3. विद्या शाखा का निदेशक— सदस्य
4. संबंधित विभाग का विभागाधयक्ष— सदस्य
5. कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद— सदस्य

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/ महिला/शारीरिक रुप से अशक्त के प्रतिनिधि के रुप में एक शिक्षाविद वशर्ते कि इन श्रेणीयों के अभ्यार्थी हों तथा चयन समिति में इस श्रेणी का व्यक्ति सम्मिलित न हो।

(3) चयन समिति की गणपूर्ति 4 सदस्यों से होगी बशर्ते कि उसमें 2 वाह्म विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हों।

*** सचिव कुलाधिपति के पत्र संख्या—366/जी0एस0/शिक्षा/सी 7—4/2011 दिनांक 22 अप्रैल, 2011 द्वारा संशोधित।**

(4) चयन समिति द्वारा की गयी कोई संस्तुति, तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि विशेषज्ञों मे से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन के लिए सहमत न हो।

(5) यदि कार्य—परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को स्वीकार में असमर्थ है तो ऐसी अस्वीकृति के लिए, कारणों को अभिलिखित करते हुए, अंतिम आदेशों के लिए मामले को कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

(6) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए, चयन समिति की बैठक कुलपति के आदेशों के अधीन, बुलायी जायेगी।

(7) साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(8) (क) चयन समिति, नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थियों की संस्तुत कर सकती है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनके नामों को श्रेष्ठताक्रम में व्यवस्थित करेगी।

(ख) चयन समिति यह संस्तुति कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायेगा।

(9) चयन समिति की बैठक साधारणतया विश्वविद्यालय के मुख्यालय में होगी। विशेष परिस्थितियों में, कुलाधिपति के पुर्वानुमोदन से, चयन समिति की बैठक अन्यत्र की जा सकती है।

(10) चयन समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना कम से कम पन्द्रह दिन दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने के तारीख से की जायेगी। नोटिस की तामीली व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।

(11) अभ्यर्थियों को चयन समिति की बैठक सूचना कम से कम पन्द्रह दिन से पूर्व दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने के तारीख से की जायेगी। सूचना कमी तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।

(12) चयन समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान, अध्यादेशों में विहित दरों पर किया जायेगा।

*** (13) अ. चयन के लिए अंको का निर्धारण।**

1) सहायक प्राध्यापक पद के लिये

1.1 सहायक प्राध्यापक अथवा समकक्ष पद के लिये न्यूनतम अर्हता हेतु दिनांक 31/05/2009 तक पीएच0डी0 उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिये NET/SLET की अनिवार्यता नहीं होगी।

1.2 दिनांक 31/05/2009 के उपरान्त पीएच0डी0 प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता यथावत लागू होगी।

1.3 उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के कार्य–क्षेत्र विषयक ज्ञान एवं बौद्धिक–स्तर के आंकलन के लिये निर्धारित मापदण्ड़ों को निम्नवत निर्धारित किया जाना प्रस्तावित हैः–

क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा दिये गये मानकों के अनुरूप शैक्षिक उपलब्धियों तथा शोध कार्य के लिये 50 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं। इन 50 प्रतिशत अंकों का वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित हैः–

i) शैक्षिक उपलब्धियों के लिये 30 प्रतिशत अंक रहेंगे, जिनका विभाजन निम्नवत होगा :

1	स्नातक स्तर	– 5 प्रतिशत।
2	परास्नातक स्तर	– 5 प्रतिशत।
3	नेट (NET/SLET)	– 6 प्रतिशत।
4	एम. फिल. (M.Phil)	– 5 प्रतिशत।
5	पीएच0डी0 (Ph.D)	– 9 प्रतिशत।
	योग	**– 30 प्रतिशत**

ii) शोध कार्यों के लिये उपर्युक्तानुसार स्वीकार किये गये विभाजन के अनुसार 20 प्रतिशत अंक निर्धारित होंगे, जिनका वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित हैः–

- राज्य–स्तरीय/राष्ट्रीय संस्था से स्वीकृत एवं वित्त पोषित शोध–परियोजना में शोध–अध्येता (आर0 ए0) के रूप में कार्य करने पर 5 प्रतिशत अंक।
- शोध–पत्रों के लिये अधिकतम 15 प्रतिशत अंक, जिनका विभाजन निम्नवत होगा :

1 एक शोध–पत्र के लिये 4 प्रतिशत अंक।

2 दो से तीन शोध–पत्रों के लिये 12 प्रतिशत अंक।

3 चार तथा चार से अधिक शोध–पत्रों के लिये 15 प्रतिशत अंक।

विशेष टिप्पणी : केवल उन्ही शोध–पत्रों को इस गणना में सम्मिलित किया जायेगा जो संदर्भित ***(Refereed)*** *जर्नल्स अथवा प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हों। जर्नल्स के स्तर का आंकलन संबंधित विभाग की* ***Screening Committee*** *के द्वारा किया जायेगा।* ***Articles, Book Reviews*** *तथा* ***Study Material*** *को भी* ***Screening Committee.*** *जिसमें कुलपति द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ भी होंगें, के द्वारा उपयुक्त* ***weightage*** *दिया जायेगा।*

यदि शोध–पत्र संयुक्त लेखन में हैं, तो प्राप्य अंको को तद्नुरूप विभाजित कर दिया जायेगा।

ख. विषय का ज्ञान तथा अध्यापन क्षमताओं के आंकलन के लिये निर्धारित कुल 30 प्रतिशत अंकों का विभाजन निम्नवत होगा;

i) Seminar, Workshop, Symposium, FDP, MDP, Refresher, इत्यादि के लिये 10 प्रतिशत अंक। इन अंकों को सम्बन्धित अभ्यर्थी की उक्त कार्यक्रमों में सहभागिता के आधार पर सम्बन्धित विभाग की Screening Committee के द्वारा निर्धारित किया जायगा।

ii) इस वर्ग में शेष 20 प्रतिशत अंकों के निर्धारण के लिये Demo Lecture की विधि अपनाई जायेगी तथा इस कार्य के लिये अंक सम्बन्धित Screening Committee के द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

ग. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20–20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे।

2)सह–प्राध्यापक अथवा उसके समकक्ष के पद के लिये

2.1 शैक्षिक उपलब्धियों की गणना हेतु उपाचार्य पद के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये है। इन 20 प्रतिशत अंकों का वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित हैः–

क. स्नातक स्तर	– 7 प्रतिशत।
ख. परास्नातक स्तर	– 8 प्रतिशत।
ग. पीएच0डी0 / कार्य अनुभव	– 5 प्रतिशत।
योग	– 20 प्रतिशत

2.2 शोध कार्यो एवं प्रकाशन की गुणवत्ता के लिये बनाये गये। ।च्प् को इसी रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा तथा इस हेतु 40 प्रतिशत अंक निर्धारित है, अर्थात। ।च्प् का अंश केवल 40 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

2.3 विषय का ज्ञान तथा अध्ययन–अध्यापन क्षमताओं के आंकलन के लिये जो 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं उनका विभाजन निम्नवत होगा –

i) परिसर के विभिन्न कार्यो, दायित्वों एवं प्रशासनिक पदों पर की गयी सहभागिता के लिये 10 प्रतिशत अंक।

ii) Demo Lecture के लिये 10 प्रतिशत अंक

2.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के

सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20–20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे।

विशेष टिप्पणीः परिसर के जीवन में सहभागिता का उपयुक्त प्रमाण देना होगा तथा इस सहभागिता एवं ***Demo Lecture*** *के लिये संबंधित विभाग की* ***Screening Committee ,*** *जिसमें कुलपति द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ भी होंगें, द्वारा अंक प्रदान किये जायेगे।*

3) प्राध्यापक / आचार्य पद के लिये

3.1 प्राध्यापक पद के लिये 400 API अंक निर्धारित किये गये है जो यथावत रहेंगे किन्तु चयन समिति की प्रक्रिया में निर्धारित 100 अंकों का विभाजन निम्नवत होगाः–

i) शैक्षिक उपलब्धियों के आंकलन के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये है इनका वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित हैः–

- स्नातक स्तर – 7 प्रतिशत।
- परास्नातक स्तर – 8 प्रतिशत।
- पीएच0डी0 / नेशनल फेलोशिप – 3 प्रतिशत।
- डी0 लिट0 – 2 प्रतिशत।

योग – 20 प्रतिशत

ii) शोध कार्यों इत्यादि के लिये API लिया जायेगा जिसके लिये 40 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं।

iii) विषय का ज्ञान, अध्ययन–अध्यापन क्षमताओं के आकलन के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं जिनका वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित हैः–

- परिसर के विभिन्न कार्यदायित्वों एवं प्रशासनिक पदों पर की गयी सहभागिता के लिये 10 प्रतिशत अंक।
- Demo Lecture के लिये 10 प्रतिशत अंक

iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20–20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे।

विशेष टिप्पणीः परिसर के जीवन में सहभागिता का उपयुक्त प्रमाण देना होगा तथा इस सहभागिता एवं ***Demo Lecture*** *के लिये संबंधित विभाग की* ***Screening Committee ,*** *जिसमें कुलपति द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ भी होंगें, द्वारा अंक प्रदान किये जायेगे।*

(25(13)'अ')

"चयन प्रक्रिया के लिए अंको का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018) में विहित प्रक्रियानुसार (समय-समय पर संशोधनों सहित) निर्धारित नियम जो सरकार द्वारा अंगीकृत/अनुमोदित हों, लागू होंगे, के अनुरूप किया जायेगा।"

(माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपतिजी के सचिव (प्रभारी) के पत्रांक-187/जी0एस0/शिक्षा/सी 7-26/2019, दिनांक 27 मई, 2020 द्वारा संशोधित)

नोट– विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम संख्या 13(अ) में हुए संशोधनों के संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त स्वीकृति पत्र दिनांक 27.05.2020 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.06.2020 विश्वविद्यालय के नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है।

http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/pariniyamabli-30-06-2020.pdf

(14) स. विज्ञापन तथा अन्य प्रक्रिया

1. विज्ञापन परिनियमावली के परिनियम 25 के अनुरूप किये जायेगें।
2. प्रत्येक पद के लिए प्राप्त आवेदनों का सारणीयकरण कर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा परीक्षण किया जायेगा जो साक्षात्कार के लिए आधारभूत अभिलेख होगा।
3. एक पद के लिये उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों में से अधिकाधिक 8 (1:8) अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग के आधार पर शैक्षिक एवं अन्य वांछनीय अर्हताओं के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जांय। जहॉ आवेदकों की संख्या 8 से कम हों तथा आवेदक निर्धारित अर्हता रखते हों वहॉ सभी अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाना अभीष्ट होगा।
4. यदि किसी पद विशेष के लिये मात्र एक आवेदन प्राप्त होता है तो पद को पुनर्विज्ञापित किया जायेगा, परन्तु यदि पुनर्विज्ञापन के उपरान्त भी एक ही आवेदन प्राप्त होता है तथा संबंधित अभ्यर्थी वांछित अर्हता रखता हो तो साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा।

* सचिव कुलाधिपति के पत्रांक–417/जी0एस0/शिक्षा–बी 1–151/2010 दिनांक 04 मई, 2011 के माध्यम से प्राप्त संशोधन।

अध्यापक वर्ग की सेवा के निबंधन और शर्ते

26 परिनियम 4 के खण्ड (19) अधीन, कुलपति में निहित शक्तियों के सिवाय, प्रत्येक अध्यापक इस परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य–परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

परिवीक्षा

27 (1) प्रत्येक अध्यापक एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) कार्य–परिषद्, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकती है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक की अवधि बढ़ायी जाय;

परन्तु यह कि किसी भी परिस्थिति में, परिवीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी;

परन्तु यह और कि कार्य–परिषद्, कारणों को अभिलिखित करते हुए, परिवीक्षा अवधि की शर्तो को छोड़ सकती है;

परन्तु यह और भी कि यदि किसी मामले में कार्य–परिषद् कोई कार्यवाही करने मे विफल रहती है, तो अध्यापक, परिवीक्षा की अवधि के पश्चात्, स्थायी समझाा जायेगा।

(3) (क) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या कार्य–परिषद् द्वारा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा।

(ख) कुलसचिव कार्य–परिषद् के समक्ष स्थायीकरण के लिए अध्यापकों की सूची, उनकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत करेगा।

(ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय;

(4) कोई अध्यापक, लिखित रूप में, उचित माध्यम से, कार्य–परिषद् को तीन मास की सूचना देते हुए किसी भी समय त्याग–पत्र दे सकता है;

परन्तु, यह कि कार्य–परिषद् अपने विवेक से सूचना अवधि की बाध्यता को समाप्त कर सकती है।

(5) विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों का वेतन और भत्ता वहीं होगें, जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायं।

(6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक से, परिशिष्ट 'क' में दिये गये प्रपत्र में, एक लिखित संविदा पर, हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी।

(7) विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता का पालन करेगा।

(8) परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन, परिनियम 27 के खण्ड (9) उपखण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत अवचार समझा जायेगा।

(9) अध्यापक को निम्नलिखित कारणों से, पदच्युत या उसके पद से हटाया जा सकता हैः–

(क) कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा,

(ख) अवचार,

(ग) सेवा संविदा की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन,

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में बेईमानी,

(ङ.) अपवादजनक आचरण या नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिए दोषसिद्ध;

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता ;

(छ) अक्षमता;

(ज) पद की समाप्ति।

(10) परिनियम 27 के खण्ड (4) में की गयी व्यवस्था के सिवाय, कम से कम तीन मास का नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दिया जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो इनमें भी अवधि अधिक हो) दिया जायेगा या नोटिस के बदले में, तीन मास (या ऐसी उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया जायेगा;

परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय खण्ड (9) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करें या हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करें या कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी किसी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करें, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी;

परन्तु यह और कि दोनों पक्षकार परस्पर समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(11) परिनियम 27 के खण्ड (7) में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा, नियुक्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए कुलसचिव के यहां सुरक्षित रखी जायेगी।

(12) परिनियम 27 के खण्ड (9) में उल्लिखित किसी कारण से, विश्वविद्यालय के किसी प्राध्यापकों को पदच्युत करने या उसको सेवा से हटाने का कोई आदेश (सिवाय ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, सिद्ध दोष होने पर पद समाप्त किये जाने की स्थिति में) तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उसके विरूद्ध आरोप न लगाया गया हो और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, उसके विवरण सहित उसकी सूचना उसे न दे दी जाय, और उसको–

(क) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का;

(ख) व्यक्तिगत सुनवाई का यदि वह ऐसा चाहे;

(ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का; जिन्हें वह चाहें, पर्याप्त अवसर न दे दिया जायः

परन्तु कार्य–परिषद् या जांच करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(13) कार्य–परिषद् किसी समय, जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर, संबंधित अध्यापक को सेवा से पद्च्युत करने या पद से हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें पद्च्युत करने, पद से हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।

(14) प्रस्ताव की सूचना सम्बंधित अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी।

(15) कार्य–परिषद्, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने के बजाय, तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन कम करके या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धियां रोक कर या अध्यापक को उसके निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन से वंचित कर अपेक्षाकृत हल्का दंड देने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।

(16) यदि किसी अध्यापक के विरूद्ध कोई जांच चल रही है या जांच प्रारम्भ करने का विचार हो तो परिनियम 18 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम 27 के खण्ड (9) के उपखण्ड (क) से (ड.) तक में उल्लिखित आधारों पर निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती है यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश पारित किया जाय कि अध्यापक के विरूद्ध जांच करने का विचार है तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त हो जायेगा, जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय, जिनके बारे में जांच कराने का विचार था।

(17) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को–

(क) यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध की स्थिति में, उसे 48 घंटे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाये और उसे इस प्रकार दोषसिद्धि के परिणाम स्वरूप परन्तु पदच्युत या सेवा से हटाया न जाये तो उसकी दोषसिद्ध के दिनांक से,

(ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरूद्ध किया जाये, चाहे निरोध किसी अपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि तक के लिए, निलम्बित समझा जायेगा।

स्पष्टीकरणः– ऊपर निर्दिष्ट 48 घंटे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ होने से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की सविराम अवधि पर भी, यदि कोई हो, विचार किया जायेगा।

(18) जहां विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने का या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप या अन्यथा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरूद्ध अग्रतर जांच करे का विनिश्चिय करें, वहां यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने के ठीक पूर्व निलम्बित था, तो यह समझा जायेगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युत या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और दिनांक से प्रवृत्त है।

(19) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि में, समय–समय पर यथासंशोधित, वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड–2 के भाग–2 के अध्याय–8 के उपबन्धों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।

(20) परिनियम 27 के खण्ड (12) एवं (13) और खण्ड (16) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में उस अवधि को, जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रवर्तन में हो, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(21) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी कलेण्डर वर्ष में, विश्वविद्यालय में किसी परीक्षा या परीक्षाओं के संबंध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिए, उस विशिष्ट कलेण्डर वर्ष में अपने औसत वेतन का 1/6 या तीस हजार रूपये, इसमें जो भी कम हो, से अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

(22) इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी–

(क) विश्वविद्यालय को कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा।

(ख) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम निर्देषन के तारीख के पहले ही विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण कर रहा, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन के तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, उस पर नहीं रह जायेगा।

(ग) कार्य–परिषद उन दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी, जिनके दौरान ऐसे अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिए विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगें;

परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायेगा, जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

***कैरियर अभिवर्धन योजना**

परिनियम में वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित संशोधन
कैरियर अभिवर्धन योजना	**कैरियर अभिवर्धन योजना**
28(1) विश्वविद्यालय का कोई प्राध्यापक वरिष्ठ वेतन में नियोजन के लिए पात्र होगा। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) को प्राध्यापक (चयन वेतनमान) या उपाचार्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) की श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक पद पर न्यूनतम सेवा की अवधि, पी–एच0डी0 की उपाधि के साथ चार वर्ष, एम0फिल0	28(1) कैरियर अभिवर्धन योजना के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपाय) विनियम, 2010; द्वितीय संशोधन विनियम, 2013 के द्वारा यथा संशोधित;

की उपाधि के साथ पांच वर्ष अन्य के लिए छः वर्ष होगी और प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य की श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान के रूप में न्यूनतम सेवा की अवधि, समान रूप से पांच वर्ष होगी। (2) उपाचार्य और आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता का मानदण्ड पी–एच0डी0 या उसके समकक्ष प्रकाशित कृतियां होगी। (3) केवल वही उपाचार्य आचार्य के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के लिए पात्र होगा, जिसने उक्त श्रेणी में न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा की हो, (4) प्राध्यापक (चयन वेतनमान) उपाचार्य और आचार्य के लिए चयन समिति का गठन परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन किया जाएगा ; परन्तु यह कि उक्त परिनियम 28 के अन्तर्गत कैरियर अभिवर्धन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित पात्रता एवं समयावधि को लागू किया जायेगा।	तृतीय संशोधन विनियम, 2016 के द्वारा यथा संशोधित; तथा चतुर्थ संशोधन विनियम, 2016 के द्वारा यथा संशोधित, विनियमों में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा। ((2) कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग के प्रोन्नति (चरण 1 से चरण 2 तथा चरण 2 से चरण 3 में), सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग से सह आचार्य/समकक्ष संवर्ग में प्रोन्नति (चरण 3 से चरण 4 में), सह आचार्य/समकक्ष संवर्ग से आचार्य/समकक्ष संवर्ग में प्रोन्नति (चरण 4 से चरण 5 में) तथा आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 5) से आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 6) में प्रोन्नति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अहर्ताएं एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपाय) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2016 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा। परन्तु यह कि उक्त परिनियम 28 के अन्तर्गत कैरियर अभिवर्धन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के उपरान्त यथाप्रवृत्त लागू किये जायेंगे।
वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति का गठन 29(1) वरिष्ठ वेतनमान में नियोजन ऐसी संवीक्षा समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे–	**वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति का गठन** 29(1) वरिष्ठ वेतनमान में प्रोन्नति ऐसी छान–बीन सह आंकलन समिति तथा विशेषज्ञ समिति (आचार्य/समकक्ष संवर्ग–चरण 5 से आचार्य/समकक्ष संवर्ग–चरण 6 में

(क) कुलपति – अध्यक्ष (ख) संबंधित विद्या–शाखा का निदेशक– सदस्य (ग) दो विषय विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा– सदस्य (घ) संबंधित विभागाध्यक्ष– सदस्य	प्रोन्नति हेतु) के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे– (क) कुलपति– अध्यक्ष (ख) संबंधित विद्या–शाखा का निदेशक– सदस्य (ग) दो विषय विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा– सदस्य (घ) संबंधित विभागाध्यक्ष– सदस्य
प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) (2) वरिष्ठ वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ; **प्राध्यापक (चयन वेतनमान)** (3) चयन वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ; **उपाचार्य (पदोन्नति)** (4) उपाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ; **उपाचार्य (पदोन्नति हेतु चयन समिति का गठन)** (5) उपाचार्य के रूप में पदोन्नति एक ऐसी चयन समिति की चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी, जिसका गठन परिनियम 25 के खण्ड(2) के उपबन्ध के अनुसार किया जाएगा। **आचार्य (पदोन्नति)** (6) आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;	29(2) सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 1) से सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 2) में प्रोन्नति हेतु विशेषज्ञ आंकलन प्रणाली के अंतर्गत छानबीन–सह–आंकलन समिति (पनिनियम 29 के खण्ड 1 के उपबन्ध के अनुसार) का गठन किया जायेगा। इस स्तर पर साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जायेगा। 29(3) सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 2) से सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 3) में प्रोन्नति हेतु विशेषज्ञ आंकलन प्रणाली के अंतर्गत छानबीन–सह–आंकलन समिति (पनिनियम 29 के खण्ड 1 के उपबन्ध के अनुसार) का गठन किया जायेगा। इस स्तर पर साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जायेगा। 29(4) सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 3) से सह–आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 4) में प्रोन्नति हेतु विशेषज्ञ आंकलन प्रणाली के अंतर्गत चयन समिति (पनिनियम 25 के खण्ड 2 के उपबन्ध के अनुसार) का गठन किया जायेगा। इस स्तर पर साक्षात्कार का आयोजन ˙ किया जायेगा। 29(5) सह आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 4) से आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 5) में प्रोन्नति हेतु विशेषज्ञ आंकलन प्रणाली के अंतर्गत चयन समिति (पनिनियम 25 के खण्ड 2 के उपबन्ध के अनुसार) का गठन किया जायेगा। इस स्तर पर साक्षात्कार का आयोजन ˙ किया जायेगा। 29(6) आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 5) से आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 6) में प्रोन्नति हेतु विशेषज्ञ आंकलन प्रणाली के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति (पनिनियम 29 के खण्ड 1 के उपबन्ध के अनुसार) का गठन किया जायेगा। इस स्तर पर साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जायेगा।

	29(7) उपर्युक्त उपबन्धों 29 (2), (3), (4), (5) तथा (6) में वर्णित प्रोन्नति हेतु पात्रता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अहर्ताएं एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपाय) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2016 के अनुरूप होगा। 29(8) परन्तु यह कि उक्त परिनियम 29 के अन्तर्गत कैरियर अभिवर्धन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के उपरान्त यथाप्रवृत्त लागू किये जायेंगे।
(7) परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन कैरियर अभिवर्धन/ पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति परिनियमावली के अधीन उसके समक्ष रखे जाने वाली सभी सुसंगत सामग्री और अभिलेखकों पर विचार करेगी।	29(9) कैरियर अभिवर्धन/पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति (परिनियम 25 के खण्ड 2 के उपबन्ध के अनुसार) अथवा छानबीन–सह–आंकलन समिति (परिनियम 29 के खण्ड 1 के उपबन्ध के अनुसार) पनिनियमावली के अधीन उसके समक्ष रखे जाने वाली सभी सुसंगत सामग्री और अभिलेखों पर विचार करेगी।
(8) संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियां कार्य–परिषद् को विनिश्चय के लिए प्रस्तुत की जाएगी। यदि कार्य–परिषद्, संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों से सहमत न हो तो कार्य–परिषद् ऐसी असहमति के कारणों के साथ, मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा। यदि कार्य–परिषद् संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों पर, ऐसी समिति के अधिवेशन के दिनांक से चार माह की अवधि के अन्दर कोई निर्णय नहीं लेती है तो भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट हुआ समझा जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।	29(10) छानबीन–सह–आंकलन समिति/चयन समिति की संस्तुतियां कार्य–परिषद् को विनिश्चय के लिए प्रस्तुत की जाएगी। यदि कार्य–परिषद्, छानबीन–सह–आंकलन समिति चयन समिति की संस्तुतियों से सहमत न हो तो कार्य–परिषद् ऐसी असहमति के कारणों के साथ, मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।यदि कार्य–परिषद् छानबीन–सह–आंकलन समिति/चयन समिति की संस्तुतियों पर, ऐसी समिति के अधिवेशन के दिनांक से चार माह की अवधि के अन्दर कोई निर्णय नहीं लेती है तो भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट हुआ समझा जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
(9) यदि कोई पदधारी प्राध्यापक, वरिष्ठ वेतनमान/प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य (पदोन्नति) हेतु सम्यक् रूपेण गठित संवीक्षा/चयन समिति द्वारा प्रथमतः उपयुक्त पाया जाता है और	29(11) यदि कोई पदधारी सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग के प्रोन्नति (चरण 1 से चरण 2 तथा चरण 2 से चरण 3 में), सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग से सह आचार्य/समकक्ष संवर्ग में प्रोन्नति (चरण 3 से चरण 4

तद्नुसार अगले वरिष्ठ वेतनमान / चयन वेतनमान / उपाचार्य / आचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए उसकी सिफारिश की जाती है, तो उसे उच्चतर वेतनमान अर्हता के तारीख से अनुमन्य होगा, परन्तु उसे पदनाम (यदि कोई हो) कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से दिया जायेगा।	में), सह आचार्य / समकक्ष संवर्ग से आचार्य / समकक्ष संवर्ग में प्रोन्नति (चरण 4 से चरण 5 में) तथा आचार्य / समकक्ष संवर्ग (चरण 5) से आचार्य / समकक्ष संवर्ग (चरण 6) में प्रोन्नति हेतु सम्यक रूपेण गठित छानबीन–सह–आंकलन समिति / चयन समिति द्वारा प्रथमतः उपयुक्त पाया जाता है और तद्नुसार अगले वरिष्ठ वेतनमान / चयन वेतनमान / सह–आचार्य / आचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए उसकी सिफारिश की जाती है, तो उसे उच्चतर वेतनमान अर्हता के तारीख से अनुमन्य होगा, परन्तु उसे पदनाम (यदि कोई हो) कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से दिया जायेगा।
(10) यदि पदधारी, प्रथमतः परिनियम 29 के खण्ड (9) के अधीन उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो वह प्रत्येक एक वर्ष के बाद ऐसी पदोन्नति हेतु अपने को पुनः प्रस्तुत कर सकता है और उस पर वह संवीक्षा / चयन समिति द्वारा ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जायेगा, जो उस समय तक पात्र हो चुके हैं। यदि उसकी द्वितीय या पश्चातवर्ती प्रयासों में पदोन्नति के लिए संस्तुत किया जाती है, तो उसे यथास्थिति प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान / प्राध्यापक चयन वेतनमान / उपाचार्य (पदोन्नति) / आचार्य (पदोन्नत) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से वेतनमान और पदनाम प्रदान किया जायेगा।	29(12) यदि पदधारी, प्रथमतः परिनियम 29 के खण्ड (11) के अधीन उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो वह प्रत्येक एक वर्ष के बाद ऐसी पदोन्नति हेतु अपने को पुनः प्रस्तुत कर सकता है और उस पर वह छानबीन–सह–आंकलन समिति / चयन समिति द्वारा ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जायेगा, जो उस समय तक पात्र हो चुके हैं। यदि उसकी द्वितीय या पश्चातवर्ती प्रयासों में पदोन्नति के लिए संस्तुत किया जाती है, तो उसे यथास्थिति सहायक आचार्य / समकक्ष संवर्ग के प्रोन्नति (चरण 1 से चरण 2 तथा चरण 2 से चरण 3 में), सहायक आचार्य / समकक्ष संवर्ग से सह आचार्य / समकक्ष संवर्ग में प्रोन्नति (चरण 3 से चरण 4 में), सह आचार्य / समकक्ष संवर्ग से आचार्य / समकक्ष संवर्ग में प्रोन्नति (चरण 4 से चरण 5 में) तथा आचार्य / समकक्ष संवर्ग (चरण 5) से आचार्य / समकक्ष संवर्ग (चरण 6) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से वेतनमान और पदनाम प्रदान किया जायेगा।
(11) उपाचार्य या आचार्य के ऐसे पदों को, जिस पर पदोन्नति की गयी हो, पदधारी की सेवानिवृत्ति तक, यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के संवर्ग में उतने पदों को वृद्धि समझी जाएगी और उसके पश्चात् पद अपने मौलिक रूप में प्रतिवर्तित हो जाएंगे।	29(13) सह आचार्य या आचार्य के ऐसे पदों को, जिस पर पदोन्नति की गयी हो, पदधारी की सेवानिवृत्ति तक, यथास्थिति, सह आचार्य या आचार्य के संवर्ग में उतने पदों की वृद्धि समझी जाएगी और उसके पश्चात् पद अपने मौलिक रूप में प्रतिवर्तित हो जाएंगे।
(12) वर्तमान परिनियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व, सीधी भर्ती द्वारा या व्यक्तिगत पदोन्नति द्वारा या कैरियर अभिवर्धन द्वारा शिक्षण पद पर	29(14) वर्तमान परिनियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व, सीधी भर्ती द्वारा या व्यक्तिगत पदोन्नति द्वारा या कैरियर

नियुक्ति/पदोन्नति के लिए सम्यक् रूप से गठित चयन समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के, किसी भी चयन पर वर्तमान परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके पास उस समय यथा विहित न्यूनतम अपेक्षित योग्यता रही हो।	अभिवर्धन द्वारा शिक्षण पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए सम्यक् रूप से गठित चयन समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के, किसी भी चयन पर वर्तमान परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके पास उस समय यथा विहित न्यूनतम अपेक्षित योग्यता रही हो।
(13) संवीक्षा/चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से समिति की गणपूर्ति होगी परन्तु अध्यक्ष और कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होगी।	29(15) छानबीन–सह–आंकलन समिति/चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से समिति की गणपूर्ति होगी परन्तु अध्यक्ष और कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होगी।
(14) संवीक्षा/चयन समिति द्वारा की गयी किसी संस्तुति को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ चयन से सहमत न हों।	29(16) छानबीन–सह–आंकलन समिति/चयन समिति द्वारा की गयी किसी संस्तुति को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ चयन से सहमत न हों।
(15) चयन समिति के सदस्यों को बैठक से पहले कम से कम 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषण की तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।	29(17) चयन समिति के सदस्यों को बैठक से पहले कम से कम 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषण की तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।
(16) अभ्यर्थियों को, चयन समिति के बैठक से पहले, कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषण होने के तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।	29(18) अभ्यर्थियों को, चयन समिति के बैठक से पहले, कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषण होने के तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।
(17) ऐसे प्राध्यापकों का कार्यभार, जिन्हें कैरियर अभिवर्धन स्कीम के अधीन चयन वेतनमान या उपाचार्य पदोन्नत या आचार्य पदोन्नत पद पर नियोजित किया गया है, अपरिवर्तित रहेगा।	29(19) ऐसे सहायक आचार्य का कार्यभार, जिन्हें कैरियर अभिवर्धन स्कीम के अधीन चयन वेतनमान या सह आचार्य पदोन्नत या आचार्य पदोन्नत पद पर नियोजित किया गया है, अपरिवर्तित रहेगा।

***(परिनियम 28 तथा 29 महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्रांक-3830/जी0एस0/शिक्षा-सी 7-22/2018, दिनांक 18 जनवरी, 2018 द्वारा संशोधित)**

नोट–विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम संख्या 28 तथा 29 में हुए संशोधनों के संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त स्वीकृति पत्र दिनांक 18.01.2018 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25.01.2018 विश्वविद्यालय के नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है।

http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/pariniyamabli-30-06-2020.pdf

अध्यापकों की ज्येष्ठता

30 (1) इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व से विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इसके पश्चात आये परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के संबंध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे।

(3) विद्या–शाखा के निदेशकों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विद्या–शाखा के निदेशक के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा;

परन्तु जब दो या इससे अधिक निदेशकों का उक्त पद पर सेवाकाल समान अवधि का हो, तो आयु में ज्येष्ठ निदेशक को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

(4) विद्या–शाखा के विभागाध्यक्षों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण, उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगाः

परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों, तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

31– ज्येष्ठता अवधारणः–

(1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगाः–

(क) किसी आचार्य को प्रत्येक उपाचार्य से ज्येष्ठ समझा जायेगा, और किसी उपाचार्य को प्रत्येक प्राध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायेगा;

(ख) एक ही संवर्ग में पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता, ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी;

परन्तु, यह कि जहां सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियां एक ही समय में की गयी हों, और यथास्थिति, चयन समिति या कार्य–परिषद् द्वारा अधिमान्यता या योग्यता का क्रम इंगित किया गया हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगी;

परन्तु यह और कि जहां एक से अधिक नियुक्तियां एक ही बार में पदोन्नति द्वारा की गयी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वहीं होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धारित पद पर थी।

(ग) यदि (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय के किसी संस्थान में चाहे वह उत्तराखण्ड या उत्तराखण्ड से बाहर स्थित हो, मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक, विश्वविद्यालय में तत्स्थानी पद या श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाये, तो अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उक्त श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा।

(घ) यदि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक चाहे इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात विश्िवविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त किया जाये तो अध्यापक की ऐसे

महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा अवधि की आधी अवधि को उसकी सेवा–अवधि में सम्मिलित किया जायेगा।

(2) जहां एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत् सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहां ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जाएगीः–

(क) आचार्यों के मामले में, उपाचार्य के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;

(ख) उपाचार्यों के मामले में, प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;

(ग) उन आचार्यों की स्थिति में, जिनकी उपाचार्य के रूप में भी सेवा अवधि उतनी ही हो तो प्राध्यापक के रूप में उनकी सेवा अवधि पर विचार किया जायेगा।

(3) जहां एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है तो ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता, आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(4) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्य परिषद्–

क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हों, और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय, ऐसे अध्यापकों का योग्यता क्रम अवधारित करेगी;

(ख) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हों और परिनियम 25 के उपखण्ड (5) के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करे तो कुलाधिपति उन मामलों में, जहां एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तर्ग्रस्त हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता क्रम अवधारित करेगा।

(5) ऐसे योग्यताक्रम की जिसमें खण्ड (4) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जायं, सूचना संबंधित अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी।

(6) कुलपति समय–समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे। जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में स्वयं कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले दो विद्या–शाखाओं के निदेशक होंगे;

परन्तु यह है कि ऐसे विद्या–शाखा का निदेशक, जिसके अध्यापक की वरिष्ठता विवादित हो, उपर्युक्त ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा;

परन्तु यह और कि यदि निदेशक, नियुक्त न होने के कारण या पदों का सृजन न होने के कारण, उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय से या उससे बाहर से दो आचार्यों को नाम–निर्दिष्ट कर सकता है।

(7) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद, ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारणों को उल्लिखित करते हुए, उसे विनिश्चित करेगी।

(8) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चिय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के अंदर कार्य परिषद को अपील कर सकता है। यदि कार्यपरिषद समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी।

आकस्मिक छुट्टी

32 (1) आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी जो एक मास में सात दिन अथवा एक सत्र से चौदह दिन से अधिक नहीं होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलायी नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को त्याग सकता है।

विशेषाधिकार छुट्टी

32(2)

वर्तमान प्रावधान	**अनुमोदित संशोधन**
विशेषाधिकर छुट्टी **32** (2) एक सत्र में दस कार्यदिवस तक की विशेषाधिकर छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी और यह 60 कार्यदिवस तक संचित की जा सकती है	**उपार्जित अवकाश** **32 (2)** विश्वविद्यालय में परम्परागत विश्वविद्यालयों की भांति ग्रीष्म एवं शीतकालीन अवकाश का प्राविधान न होने से शिक्षकों को राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की भॉति वर्ष भर में 30 दिनों का उपार्जित अवकाश देय होगा।

महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्रांक-4208/जी0एस0/शिक्षा-सी 7-13/2014, दिनांक 28 मार्च, 2014 द्वारा संशोधित

कर्तव्य (ड्यूटी) छुट्टीः—

(3) विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के, जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो या जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालित करने के लिए 15 कार्य दिवस तक की कर्तव्य (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी।

दीर्धकालीन छुट्टी

(4) किसी एक सत्र में एक मास के लिए दीर्घ कालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी, और जो बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन या निवृत्तिक पूर्वता के लिए दी जा सकती हैः

परन्तु, यह कि लम्बी बीमारी की स्थिति में छुट्टी, कार्य परिषद के विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है। ऐसी छुट्टी, लम्बी बीमारी को छोड़कर, केवल पांच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकती है;

परन्तु यह और कि ऐसे अध्यापकों को, जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय या किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण अथवा अन्य के लिए चयन किया जाता है तो उन्हे अध्येत्तावृत्ति, शिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायं, छुट्टी दी जा सकती है।

असाधारण छुट्टी

(5) असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें कार्य परिषद् उचित समझे, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दी जा सकती है, किन्तु परिनियम 28 के खण्ड (22) में उल्लिखित परिस्थितियों के सिवाय, यह विशेष परिस्थितियों के अधीन दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।

स्पष्टीकरण: (1) अध्यापक जो कोई स्थायी पद धारण करता हो या जो निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति से, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय–मान में अपनी वेतनवृद्धि के लिए गणना किये जाने का हकदार होगा ;

परन्तु यह कि उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों को सम्मिलित किया जा सकेगा–

(क) संबंधित शिक्षक उच्चतर अध्ययन के लिए प्रदेश में या प्रदेश से बाहर जा रहा हो, जिसके लिए विश्वविद्यालय की कार्य परिषद एवं शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो। यदि पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है, तो ऐसा अवकाश देय नहीं होगा।

(ख) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन का आशय अन्यत्र सेवा करना नहीं है। (सामान्यतः शिक्षक उच्चतर वेतनमान में सेवारत होने के उपरान्त एक या दो शोध पत्र सेमिनार आदि में प्रस्तुत करते हैं, जिसे वे उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन मानते हैं।)

(ग) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन पूर्णतः वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन होना चाहिए। यह अवकाश स्वीकृत करने के लिए आशय नहीं होनी चाहिए।

(घ) यदि कोई अभ्यर्थी विदेश में उच्च वेतनमान में सेवा आदि करता है, साथ ही एक या दो शोध पत्र अथवा पुस्तक भी लिखता है, तो यह उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन नहीं समझा जायेगा।

(2) राज्य सरकार की सहमति कोई अध्यापक, जो अस्थायी पद धारण करता हो, और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गयी हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर, फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से भाग 4 के मूल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समयमान में ऐसी अवस्था पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह छुट्टी पर न गया होता, परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत की गयी थी, लोकहित में रहा हो।

प्रसूति छुट्टी *

(6) अध्यापिकाओं को पूर्ण वेतन सहित 180 दिनों की अवधि तक प्रसूति छुट्टी दी जा सकेगी:

(माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपतिजी के संयुक्त सचिव के पत्रांक-850/जी0एस0/शिक्षा/सी 7-13/2013, दिनांक 12 जून, 2019 द्वारा संशोधित)

परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका को अस्थायी सेवा सहित, यदि कोई हो, सम्पूर्ण सेवा अवधि में दो बार से अधिक नहीं दी जायेगी।

नोट– विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम संख्या 32(6) में हुए संशोधनों के संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त स्वीकृति पत्र दिनांक 22.06.2020 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.06.2020 विश्वविद्यालय के नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है।

http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/pariniyamabli-30-06-2020.pdf

(7) छुट्टी अधिकार स्वरूप नहीं मांगी जा सकती है। तात्कालिक की आवश्यकता को देखते हुए, स्वीकर्ता अधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है और पहले से स्वीकृत की गयी छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।

बीमारी की छुट्टी

(8) किसी पंजीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी या लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिनों से अधिक हो तो कुलपति ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो उसके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण पत्र मांगने के लिए सक्षम होगा।

(9) दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर, जो कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायेगी, के सिवाय, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी कुलपति होगा।

*अधिवर्षिता की आयु

33 (1) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु 65 वर्ष होगी;

परन्तु यह कि यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून को न हो तो वह अध्यापक शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति की तारीख ऐसे अध्यापक के पैंसठवें जन्म तारीख के ठीक पूर्व की तारीख होगी।

***महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्रांक-4208/जी0एस0/शिक्षा-सी 7-13/2014, दिनांक 28 मार्च, 2014 द्वारा संशोधित**

अन्य उपबन्ध

34 (1) इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा, अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार और परिशिष्ट 'क' और परिशिष्ट 'ख' में दिये प्रपत्र की शर्तों के अनुसार उपांतरित समझी जायेगी।

(2) परिनियम 27 के खण्ड (9) के प्रस्तर (ख), (ग), (घ), (ड.) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।

(4) कुलपित को प्रस्तुत करने से पूर्व मूल रिपोर्ट, निदेशक से भिन्न अध्यापक की दशा में संबंधित निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जायेगी।

(5) किसी शिक्षा सत्र के संबंध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के अन्दर, इनमें जो भी बाद में हो, दी जायेगी।

(6) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के संबंध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(7) जहां अधिनियम या इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेक्षित हो, और ऐसा अध्यापक मुख्यालय पर न हो, वहां ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक से भेजी जा सकती है।

अध्याय–सात

कर्मचारी वर्ग (अध्यापक से भिन्न) की सेवा के निबन्धन और शर्तें

पुस्तकालयाध्यक्ष(धारा 30(ध))

35 (1) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष, का चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात –

(क) कुलपति — अध्यक्ष

(ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे — सदस्य

(3) जब तक खण्ड (2) के अधीन नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पद का कार्यभार न सम्भाले तब तक कार्य परिषद् ऐसी अवधि, के लिए, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

(4) पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी जैसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर विहित की जायें।

(5) पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायें।

(6) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवाओं को ऐसी रीति से जो अध्यापन कार्य तथा अनुसंधान कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक हो, संगठित करना पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य होगा।

(7) पुस्तकालयाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेगा; परन्तु यह कि उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरूद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरूद्ध कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा।

(8) पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी अध्यादेश में अधिकथित की जायें।

(9) अन्य अधिकारियों और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति और सेवा के निबन्धन और शर्तें और आचार संहिता, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा के निबन्धनों और शर्तों और आचार संहिता, जैसा कि अध्यादेश में अधिकथित है, द्वारा शासित होगी।

(10) खण्ड (9) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारी वर्गों की परिलब्धियां ऐसी होंगी, जैसी समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

मैनुअल संख्या : 6

ऐसे दस्तावेजों के, जो उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा धारित या उसके नियत्रंणाधीन है, प्रवर्गो का वितरण.

विश्वविद्यालय में समस्त कार्यों का निर्वहन कुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय एवं वित्त नियत्रंक कार्यालय द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में धारित पत्रावलियों का विवरण निम्न प्रकार है –

कुलपति कार्यालय –

क्र0 सं0	पत्रावली का नाम	पत्रावली संख्या
1-	कुलपति कार्यालय से निर्गत कार्यालय आदेश (V.C Office Orders/Notices)	UOU/VC/01
2-	समस्त विभागों से प्राप्त कार्यालय आदेश UOU Office Orders/Notices	UOU/VC/02
3-	Office Copy (Guard File)	UOU/VC/03
4-	मा0 श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय से पत्राचार संबंधी पत्रावली Correspondence with H.E Governor/ Chancellor	UOU/VC/04
5-	मा0 श्री राज्यपाल/कुलाधिपति की अध्यक्षता में संपन्न बैठक के एजेंडा एवं अनुपालन आख्या से संबंधित पत्रावली	UOU/VC/ATR/05
6-	मा0 श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय से प्राप्त शिकायतें एवं निस्तारण से संबंधित पत्रावली।	UOU/VC/शिकायतें/06
7-	Correspondence with Higher Education	UOU/VC/H.E./07
8-	Correspondence with CM मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षत में संपन्न बैठक के एजेंडा एवं अनुपालन आख्या से संबंन्धित	UOU/VC/CM/08
9-	DEB Correspondence	UOU/VC/09
10-	प्रशासनिक आदेश पत्रावली	UOU/VC/10
11-	Outgoing orders of Hon'ble V.C	UOU/VC/11
12-	शिकायती पत्रों से सम्बन्धित पत्रावली	UOU/VC/2010/12
13-	Governor's Conference	UOU/VC/2010/13
14-	Correspondence with UGC	UOU/VC/2010/14
15-	Minutes of Meeting मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त	UOU/VC/2010/15
16-	Imprest file	UOU/VC/2010/16
17-	Confidential File	UOU/VC/2010/17
18-	National Festival	UOU/VC/2010/18
19-	Establishment of Computers in Universities	UOU/VC/2010/19
20-	शासन को पदों की स्वीकृति हेतु पत्राचार	UOU/VC/2010/20
21-	ई-गवर्नेंस से सम्बन्धित पत्रावली	UOU/VC/2010/21
22-	Condolence File	UOU/VC/2010/22
23-	Hon'ble VCs (Personal File)	UOU/VC/23
24-	Vice Chancellor's File (Combined)	UOU/VC/2010/24

25-	B.Ed. (Special Education)	UOU/VC/2010/25
26-	Camp Office	UOU/VC/2010/26
27-	Correspondence related with AC & EC	UOU/VC/2010/27
28-	सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। RTI	UOU/VC/RTI/28
29-	Offer/Order of Consultants	UOU/VC/2010/29
30-	Meeting Notices	UOU/VC/2010/30
31-	Toppers Conclave at RajBhawan	UOU/VC/2010/31
32-	मा0 कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय वाहन उपयोग से सम्बन्धित पत्रावली	UOU/VC/2010/32
33-	RNI (Court Cases)	UOU/VC/2010/33
34-	Correspondence related with NAAC	UOU/VC/NAAC/34
35-	Correspondence with AICTE	UOU/VC/2010/35
36-	Tata Motors	UOU/VC/2010/36
37-	Centre for Tribal Studies in Uttarakhand	UOU/VC/2010/37
38-	विश्वविद्यालय के भूमि पूजन एवं शिलान्यास	UOU/VC/2010/38
39-	Correspondence with CEMCA	UOU/VC/2010/39
40-	विश्वविद्यालय समारोह,बैठक आदि के सम्बन्ध में	UOU/VC/2010/40
41-	Correspondence with IGNOU	UOU/VC/2010/41
42-	Correspondence with Central Govt. MHRD	UOU/VC/2010/42
43-	वि0वि0 वाहन UK04GA0272 INNOVA	UOU/VC/2010/43
44-	Miscellaneous Approvals of VC Office	UOU/VC/2010/44
45-	Correspondence with AIU	UOU/VC/2011/45
46-	Approvals for Seminar Dehradun camp Office	UOU/VC/2011/46
47-	MOU	UOU/VC/MOU/47
48-	Correspondence with RUSA	UOU/VC/RUSA/48
49-	UOU Teacher's Association	UOU/VC/UOUTA/49
50-	Center of Excellence in Automobiles	UOU/VC/VS/Auto/50
51-	Correspondence with NCTE	UOU/VC/NCTE/51
52-	मा0 राज्यपाल कुलाधिपति महोदय को प्रेषित की जाने वाली मासिक प्रगति आख्या से सम्बन्धित पत्रावली।	UOU/VC/MPR/52
53-	गोपनीय प्रविष्टि का प्रेषण	UOU/VC/53
54-	आंतरिक बैठक के कार्यवृत्त एवं आदेश Minutes of Internal Meetings and orders	UOU/VC/Min./54
55-	उत्तराखण्ड सी0एम0 हेल्पलाईन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण से सम्बन्धित पत्रावली	UOU/VC/55
56-	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम पत्रावली	UOU/VC/2020/56
57-	वाह्य विशेषज्ञो के यात्रा मानदेय भुगतान से सम्बधित पत्रावली	UOU/VC/2020/57
58-	प्रतिनियुक्ति पदभार ग्रहण व कार्यमुक्त से सम्बन्धित प्रत्रावली	UOU/VC/2022/58

कुलसचिव कार्यालय –

Sl.No.	File Name	File No.
1.	MEETING	UOU/R1/MEETING/200/2010
2.	STUDY CENTRE	UOU/R1/SC/201/2010
3.	CONFERENCES	UOU/R1/CONFERENCE/202/2010
4.	TOUR OF REGISTRAR	UOU/R1/T.R./203/2010
5.	EXECUTIVE COUNCIL	UOU/R1/E.C./204/2010
6.	ACADEMIC COUNCIL	UOU/R1/A.C./205/2010
7.	PLANNING BOARD	UOU/R1/P.B./206/2010
8.	BOARD OF STUDIES	UOU/R1/BOS/207/2010
9.	R.T.I (PUBLIC INFORMATION OFFICER)	UOU/R1/RTI/208/2010
10.	R.T.I. (APPLEATE AUTHORITY)	UOU/R1/R.T.I.(A)/209/2010
11.	CORRESPONDENCE WITH UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (UGC)	UOU/R1/UGC/210/2010
12.	DISTANCE EDUCATION COUNCIL (DEC)	UOU/R1/DEC-04/211/2010
13.	MOU (IGNOU)	UOU/R1/MOU(IGNOU)/212/2010
14.	MOU (VMOU)	UOU/R1/MOU(VMOU)/213/2010
15.	CORRESPONDENCE OF COURT CASES	UOU/R1/COURT/214/2010
16.	LAXMI PUBLICATIONS	UOU/R1/MOU(L.P)/215/5/2010
17.	TRANSFER OF LAND	UOU/R1/LAND/216/2010
18.	CORRESPONDENCE RELATED TO SANCTION OF POSTS	UOU/R1/POST/217/2010
19.	INDIAN KNOWLEDGE CORPORATION	UOU/R1/IKC/218/2010
20.	समतुल्यता एवं प्रवेश अर्हता	UOU/R1/ /219/2010
21.	MOU WITH OTHER COLLABORATORS	UOU/R1/MOU(C)/220/2010
22.	CORRESPONDENCE WITH STATE GOVT.	UOU/R1/S.G./221/2010 ```````
23.	MISCELLANEOUS	UOU/R1/MISC/222/1020
24.	OFFICE ORDER	UOU/R1/ORDER/223/2010
25.	M.B.A. ENTRANCE EXAM	UOU/R1/MBA(E.T.)/224/2010
26.	PROJECTS	UOU/R1/PROJECT/225/2010
27.	यौन उत्पीडन निवारण समिति	UOU/R1/ SH/226/2010
28.	GAZETTEE NOTIFICATION	UOU/R1/G.N./227/2010
29.	MINUTES OF THE MEETING	UOU/R1/MOM/228/2010
30.	CORRESPONDENCE WITH COURSE WRITERS	UOU/R1/C.W. /229/2010
31.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली–2010 के अनुसार कार्यवाही	UOU/R1/U.G.C. REGU. यू0जी0सी0नि0/230/2010
32.	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 47(2) में संशोधन के संबंध में।	UOU/R1/ACT. AMEND. (अधि0 संशो)/231/2010
33.	विश्वविद्यालय की विद्या शाखाओं के निदेशक नामित किये जाने के संबंध में।	UOU/R1/S0S/232/2010
34.	BOARD OF RECOGNITION (मान्यता बोर्ड)	UOU/R1/B.O.R./233/2010
35.	CAMP / TRAINING PROGRAMME FILE	UOU/R1/CAM-TRA/234/2010
36.	परिनियमावली में संशोधन के सम्बन्ध में	UOU/R1/ST. AMEND./235/2010
37.	DIFFERENT DEGREE/ DIPLOMA/ CERTIFICATE PROGRAMMES OF THE UNIVERSITY	UOU/R1/PROG./236/2010
38.	SIM PURCHASE FROM IGNOU	UOU/R1/SIM(IGNOU)/237/2010
39.	Smart Skills & Tata Motors	UOU/R1/S.S&T.M/238/2010
40.	INQUIRY	UOU/R1/INQUIRY/239/2010
41.	शैक्षणिक पदों पर आरक्षण रोस्टर निर्धारण	UOU/R1/POST (R.R.)/240/2010

42.	CORRESPONDENCE WITH IGNOU	UOU/R1/IGNOU/241/2010
43.	BAPP, BACP AND BACPP पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में।	UOU/R1/PRE.PRO./242/2010
44.	पुस्तक लेखन का सम्पादन कार्य देय राशि	UOU/R1/243/2010
45.	S.C. S.P. Plan	UOU/R1/SCSP/244/2010
46.	GENERAL FILE	UOU/R1/GEN/245/2010
47.	Constitution of School of Studies	UOU/R1/SOS(C)/246/2010
48.	भवन निर्माण समिति	UOU/R1/Cons. Of Buil/247/2010
49.	विभिन्न बैठकों की तिथियों के सम्बन्ध में।	UOU/R1/बै0 की ति0/248/2011
50.	MOU (BHOJ)	UOU/R1/MOU(BHOJ)/249/2011
51.	चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में	UOU/R1/Selection.Proce./250/2011
52.	Legal Opinion	UOU/R1/Legal Opi/251/2011
53.	Running of University Canteen	Uou/r1/canteen/252/2010
54.	letters/circulars/notices received from various organizations/institutions	UOU/R1/253/2010
55.	Exemption of Custom Duty & Excise	UOU/R1/CD&CE/254/2010
56.	ICSSR Fellowship	UOU/R1/ICSSR/255/2010
57.	विद्या शाखा के अन्तर्गत इकाई के स्थान पर विभाग किये जाने के सम्बन्ध में।	UOU/R1/Dept./256/2010
58.	विशेषज्ञ समिति के गठन के संबंध में	UOU/R1/257/2010
59.	Association of Indian Universities	UOU/R1/AIU/258/2010
60.	Entrepreneurship Development Institute of India	UOU/R1/EDII/259/2010
61.	Stock Verification of University Store	UOU/R1/Sto.verfi./260/2011
62.	शिक्षणेत्तर पदों की चयन प्रक्रिया विषयक	UOU/R1//262/2011
63.	K.K. Handique State Open University MOU	UOU/R1/KKHSOU/263/2011
64.	HILTRON, DEHRADUN	UOU/R1/HILTRON/264/2011
65.	Indian Knowledge Corporation – Programmes	UOU/R1/IKC-Programmes/265/2011
66.	शोध उपाधि अध्यादेश	UOU/R1//266/2011
67.	अध्यादेश संशोधन/नये अध्यादेश	UOU/R1/Amend. Ordinance/267/2011
68.	माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं के लिये नियुक्त अधिवक्ताओं के बिलों के भुगतान सम्बन्धी पत्रावली	UOU/R1/Advocate. Pay./268/2011
69.	Jitendra Singh Vs UOU	UOU/R1/C.C. 1381(2008)/269/2011
70.	Writ No. WP No.141 of 2011 (S/B)	UOU/R1/C.C. 141/270/2011
71.	Writ No. WP No.152 of 2011 (S/B)	UOU/R1/C.C. 152/271/2011
72.	RECOGNITION CELL	UOU/R1/Recog. Cell/273/2011
73.	अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में।	UOU/R1/SC.ST Com/274/2011
74.	प्रशासनिक भवन निर्माण प्रथम चरण	UOU/R1/Administrative Block /275/2011
75.	Imprest	UOU/R1/Imprest/276/2011
76.	Gandhian Studies	UOU/R1/G.S./277/2011
77.	विभिन्न कार्यकलापों के संचालन हेतु अतिरिक्त कार्य दायित्व	UOU/R1/A.C/278/2011
78.	Correspondence with Governor Secretariat	UOU/R1/G.S/279/2011
79.	Community Radio project	UOU/R1/CRP/280/2011
80.	विश्वविद्यालय स्थापना दिवस	UOU/R1/UFD/281/2011
81.	कार्य परिषद के चार सदस्यों का कुलाधिपति द्वारा मनोनयन	UOU/R1/App. Of E.C. Members by Chancellor/282/2011
82.	Registrar's Desk – Pers	UOU/R1/Desk-Pers/283/2011
83.	Matter related to All India Survey of Higher Education - MHRD	UOU/R1/AISHE/284/2011
84.	उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0	UOU/R1/ अवस्थापना/285/2011

85.	Material Production & Distribution Division– Prefabricated Building	UOU/R1/Pre-Buil/286/2011
86.	Rajeev Kumar Writ petition no. 127 of 2012 (s/s) Tarai Beej Nigam Ltd.	UOU/R1/W.P. 127/287/2012
87.	Bhupal Singh Bora Vs. V.C. UOU	UOU/R1/36-2008/288/2012
88.	M.Ed. programme	UOU/R1/M.Ed/289/2012
89.	Internal Road Construction File	UOU/R2/IRC/290/2012
90.	11/0.44 KU Sub Station	UOU/R1/Sub Sta/291/2012
91.	Website File	UOU/R1/Website/ 292/2012
92.	Personal Files	Total - 79
93.	File related to establishment of Regional Centres & Study Centres	Total - 239
94.	कार्य विभाजन पत्रावली	R1/wd/01/2019
95.	कार्यालय आदेश	R1/02/2022
96.	इम्प्रेस्ट पत्रावली	R1/03/2021
97.	अवकाश सम्बन्धी पत्रावली	R1/LV/04/2019
98.	कुलसचिव अवकाश/यात्रा पत्रावली	R1/05/2021
99.	कैंटीन के विभिन्न बीजक भुगतान	R1 /Cant/2016-17
100.	अध्यादेश, परिनियमावली, सरकारी गजट	R1/Act/2009
101.	आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र	R1/135/2016
102.	लंबित कार्य पत्रावली	R1/103/2015-16
103.	समाधान पोर्टल पत्रावली	R1/159/2016
104.	इंदिरा गॉधी मुक्त विश्वविद्यालय	R1/MOU/212/2011
105.	पं0 सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय	R1/PSLSOU/2016
106.	Spoken tutorial IIT Bombay	R1/IITB/2017
107.	शिकायती पत्र कुलसचिव कार्यालय	R1/SP/320
108	परीक्षा से सम्बन्धित शिकायतें	R1/Exam/2017
109.	Equal Opportunities Section	R1/210/2016
110.	विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की सत्यता	R1/Degree/190
111.	परास्नातक समाज कार्य	R1/P/002
112.	सामग्री मरम्मत संबंधी पत्रावली	R1/SPS/08/14-15
113.	कम्पनी द्वारा प्रेजेन्टेशन पत्रावली	R1/P/2016
114.	राज्य सरकार से पत्राचार पत्रावली	R1/SG/28/2021
115.	कार्यवृत्त	R1/Minutes/47/2016-17
116.	आर0टी0आई0	R1/RTI/2016-17
117.	वि0विद्यालय अनुदान आयोग पत्र	R1/218/2016
118.	शोक सभा	R1/SS/281

वित्त नियन्त्रक कार्यालय –

S.N.	File Name	File No.
1.	बजट सूचनाएं पत्रावली वित्तीय वर्ष 2022–23 (राज्य सरकार)	UOU/Fin/2022-23
2.	बजट सूचनाएं वित्तीय वर्ष 2021–22 (राज्य सरकार)	UOU/Fin/2021-22
3.	बजट सूचनाएं वित्तीय वर्ष 2020–21 (राज्य सरकार)	UOU/Fin/2020-21
4.	वित्तीय वर्ष 2019–20 राज्य सरकार बजट सूचनाएं सम्बन्धी	UOU/Fin/2019-20
5.	वित्तीय वर्ष 2018–19 राज्य सरकार बजट सूचनाएं सम्बन्धी	UOU/Fin/2018-19
6.	वित्तीय वर्ष 2017–18 राज्य सरकार बजट सूचनाएं सम्बन्धी	UOU/Fin/2017-18
7.	राज्य सरकार बजट सूचना पत्रावली 2016–17	यू.ओ.यू. / वित्त / बजट / 2016–17 / 10
8.	बजट सूचनाओं से संबंधित पत्रावली	UOU/2015-16
9.	For PLA Account Opening File (Finance)	UOU/Fin/PLA/2012-13
10.	शासन व अन्य विभाग से संबंधित पत्राचार	यू.ओ.यू. / वित्त 2016
11.	त्रैमासिक प्रगति पत्रावली	यू.ओ.यू. / वित्त 2012
12.	सम्परीक्षा 2013–14 उपं 14–15 लेखा अनुभाग	यू.ओ.यू. / वित्त / सम्परीक्षा
13.	रूसा बजट पत्रावली	यू.ओ.यू. / रूसा / 2016
14.	15वां वित्त आयोग संबंधित पत्रावली	यू.ओ.यू. / वित्त / 2017
15.	प्रथम दीक्षान्त समारोह व्यय, बजट में प्राविधानित किये जाने सम्बन्धी	UOU/Fin/2016
16.	अग्रिम समायोजन / सामान्य स्वीकृति	UOU/Fin/2012
17.	PFMS/DBT पंजीकरण पत्रावली	UOU/Fin/2016/PFMS
18.	वि0वि0 में ATM स्थापना पत्रावली	UOU/Fin/2022/ATM
19.	CORPUS Fund पत्रावली	UOU/Fin
20.	Charterd Accountant	UOU/Fin
21.	AEB/UGC/2015-16	UOU/Fin/DEB/2016
22.	MHRD Proposal	UOU/Fin/2021
23.	RTI सूचना 2013–14 पत्रावली	UOU/Fin/RTI
24.	वित्त समिति की 12वीं बैठक	UOU/Fin/2019
25.	सम्परीक्षा वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14	यू.ओ.यू. / सम्परीक्षा / 2013–14
26.	Fund Transfer File	UOU/Fin/2012-2013
27.	CPS अंशदायी पेंशन योजना	यू.ओ.यू. / वित्त / 2014–15 / 04
28.	त्रैमासिक प्रगति विवरण Vol-02 वित्त अनुभाग	UOU/Fin/2021-2012
29.	लेखा अनुभाग सम्परीक्षा / 2019–20	यू.ओ.यू. / लेखा सम्परीक्षा / 2019–20
30.	Monthly Progress Report (MPR)	UOU/Fin/MPR/2016
31.	वित्त समिति से सम्बन्धित पत्रजात	यू.ओ.यू. / वित्त समिति / 2016
32.	ऑडिट समिति / उपसमिति 2015–16 एवं 2016–17	यू.ओ.यू. / वित्त / आ0समिति / 2018
33.	सम्परीक्षा ऑडिट 2019–20	यू.ओ.यू. / सम्परीक्षा / 2020
34.	सूचना का अधिकार लेखा अनुभाग 2015–16	यू.ओ.यू. / वित्त / 2016

35.	पुराना NPS/CPS भुगतान संबंधी पत्रावली	NPS/CPS/2017
36.	सूचना का अधिकार Vol-02	यू.ओ.यू. / वित्त / RTI/2022-23/Vol-02
37.	ऑडिट उपसमिति / समिति गठन पत्रावली	यूओयू / वित्त / आ0समिति / 2017
38.	सम्परीक्षा वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17	यू.ओ.यू. / सम्परीक्षा / 2015–16 एवं 2016–17
39.	UOU NPS/CPS चालान संबंधी पत्रावली	UOU/Fin/NPS/CPS/Challan/2017
40.	प्रधान महालेखाकार कार्यालय उत्तराखण्ड को प्रेषित पत्रों से संबंधी पत्रावली	UOU/Fin/ 2021
41.	वित्त समिति / कार्य परिषद् की बैठक हेतु विभिन्न प्रस्ताव / सदस्य नामित किये जाने हेतु	यूओयू / वित्त / 2016
42.	CPS अंशदान पेंशन योजना	यूओयू / वित्त / 2014–15–04 Vol-02
43.	ऑडिट समिति / उपसमिति गठन वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19	यूओयू / वित्त / 2019
44.	विविध प्रस्ताव संबंधी पत्रावली	यूओयू / वित्त / 2016
45.	लेखा अनुभाग	वित्त / 2018
46.	वित्त विभाग के विविध पत्रालेख	UOU/Fin/ 2019

नोट– विभिन्न विभागों से नवसृजित फाइलों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर मैनुअल को अद्यतन किये जाने का कार्य गतिमान है।

मैनुअल संख्या : 7

किसी व्यवस्था की विशिष्टयां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं.

प्रत्यक्ष रूप से जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। सूचना प्राप्त करने के लिए शिविर कार्यालय के बाहर एक सूचना पट रखा गया है जिस पर लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी के नाम एवं दूरभाष दर्शाए गए है, परामर्श एवं समस्याओं के निराकरण हेतु सामान्यतः विश्वविद्यालय के कुलसचिव, जनसंपर्क अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी की व्यवस्था है।

मैनुअल संख्या : 8

ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

(1)–कार्य परिषद (Executive Council) –

1.	कुलपति,	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी0एस0 बिष्ट, भौतिक विज्ञान विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0कैम्पस, अल्मोड़ा।	(मा0 कुलाधिपति जी द्वारा मनोनीत सदस्य)
3.	प्रो0 एल0एन0 कोली, लेखा एवं विधि विभाग, वाणिज्य संकाय, दयालबाग शैक्षणिक संस्थान, दयालबाग, आगरा–282005, उत्तर प्रदेश,	(मा0 कुलाधिपति जी द्वारा मनोनीत सदस्य)
4.	श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, नबाबी रोड हल्द्वानी (नैनीताल)	(मा0 कुलाधिपति जी द्वारा मनोनीत सदस्य)
5.	श्री पवन अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, नैनी ग्रुप नैनी पेपर्स लि0 एवं नैनी टिश्यूज लि0, काशीपुर उधमसिंहनगर।	(मा0 कुलाधिपति जी द्वारा मनोनीत सदस्य)
6.	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून अथवा उनके नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
7.	कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, अथवा उनके नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
8.	प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य, विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
10.	प्रोफेसर दुर्गेश पन्त, निदेशक, कम्पयूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
11.	डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, कृषि, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
12.	कुलसचिव,	सदस्य सचिव

(2)– विद्या परिषद –

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर डी0पी0त्रिपाठी, कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।	सदस्य
3.	प्रोफेसर डी0एस0 रावत, रसायन विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।	सदस्य
4.	प्रोफेसर एल0के0 सिंह, प्रबन्ध अध्ययन विभाग, कुमाऊॅ विश्वविद्यालय परिसर, भीमताल।	सदस्य
5.	प्रोफेसर निलेश मोदी, निदेशक सीका, डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात।	सदस्य
6.	प्रोफेसर नीता बोरा, राजनीति विज्ञान विभाग, डी0एस0बी0 कैम्पस, कुमाऊॅ विश्वविद्यालय, नैनीताल।	
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो।	सदस्य
8.	प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
09.	प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डेय, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
10.	प्रोफेसर दुर्गेश पन्त, निदेशक, कम्पयूटर साइंस एवं सूचना प्रोद्यौगिकी विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
11.	प्रो0 पी0डी0 पन्त निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
12.	प्रोफेसर अखिलेख कुमार नवीन, निदेशक, विधि विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
13.	प्रो0 रेनू प्रकाश निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य

14. डॉ0 जीतेन्द्र पाण्डेय, सदस्य
सह–प्राध्यापक, कम्प्यूटर विज्ञान,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

15. डॉ0 एम0एम0 जोशी, सदस्य
सह–प्राध्यापक, इतिहास,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

16. डॉ0 सुचित्रा अवस्थी, सदस्य
सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

17. डॉ0 भानु प्रकाश जोशी, सदस्य
सहायक प्राध्यापक, योग,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

18. कुलसचिव सदस्य सचिव

(3)–<u>वित्त समिति –</u>

1. कुलपति अध्यक्ष
2. राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी सदस्य
3. राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी सदस्य
4. (कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी न हो) सदस्य
5. वित्त नियन्त्रक सदस्य सचिव

(4)– मान्यता बोर्ड

1. कुलपति अध्यक्ष
2. समस्त विद्या शाखाओं के निदेशक सदस्य
3. कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किये गये विद्या परिषद के दो सदस्य सदस्य
4. कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट योजना बोर्ड से एक सदस्य सदस्य
5. कार्यपरिषद द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया गया कार्य परिषद का एक सदस्य सदस्य
6. कुलसचिव सदस्य सचिव।

(5)– योजना बोर्ड

1. कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय। अध्यक्ष

2. प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत, सदस्य
पूर्व कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

3. प्रोफेसर सुभाष धूलिया, सदस्य
पूर्व कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

4. प्रोफेसर बी0एस0 बिष्ट, सदस्य
पूर्व कुलपति,
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर।

5. डॉ0 के0 रविकान्त, सदस्य
निदेशक, इलेक्ट्रानिक मीडिया उत्पादन केन्द्र,
इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली–681

6. श्री राकेश ओबराय, सदस्य
ओबराय मोटर्स, देहरादून, 2, ए, रेसकोर्स, देहरादून।

7. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, सदस्य
निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

8. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, सदस्य
निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

9. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, सदस्य
निदेशक, कम्पयूटर साइंस एवं सूचना
प्रोद्योगिकी विद्याशाखा,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

10. कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय। सदस्य सचिव

(6)– <u>भवन निर्माण समिति</u>

1. कुलपति, अध्यक्ष
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

2. अधिशाषी अभियन्ता/नामित प्रतिनिधि सदस्य
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।

3. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण सदस्य
निगम लि0 मेडिकल कालेज शाखा, हल्द्वानी।

4.	परियोजना प्रबन्धक, / नामित प्रतिनिधि उत्तराखण्ड कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी परिषद), रुद्रपुर।	सदस्य
5.	प्रोफेसर ज्योति प्रसाद, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, जी0बी0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।	सदस्य
6.	श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
7.	श्री विमल मिश्र,(उप–कुलसचिव/नोडल अधिकारी, निर्माण)	सदस्य
8.	कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।	सदस्य सचिव
9.	प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र निदेशक प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	आमंन्त्रित सदस्य
10.	प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	आमंन्त्रित सदस्य
11.	प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंन्त्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	आमंन्त्रित सदस्य

(7)–परीक्षा समिति

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	शैक्षिक शाखाओं के सभी निदेशक	सदस्य
3.	शैक्षिक परिषद का एक सदस्य	सदस्य
4.	कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्य परिषद का एक सदस्य	सदस्य
5.	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य सचिव

मैनुअल संख्या : 9

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अधिकारी व अन्य की निर्देशिका

नाम	पदनाम	ई–मेल	फोन नं0
अधिकारी			
प्रोफेसर ओ0पी0एस0 नेगी	कुलपति	vc@uou.ac.in	05946-286009
डॉ0 रश्मि पन्त	कुलसचिव	registrar@uou.ac.in	9411162527
श्रीमती आभा गर्खाल	वित्त नियन्त्रक	gabha@uou.ac.in	9456727137
प्रो0 सोमेश कुमार	परीक्षा नियन्त्रक	someshkumar@uou.ac.in	9911614673
श्री विमल कुमार मिश्र	उप–कुलसचिव	vkmishra@uou.ac.in	8273885525
डॉ0 राकेश चन्द्र रयाल	प्रभारी जनसम्पर्क अधिकारी	rrayal@uou.ac.in	9410967600
श्री पी0एस0 परिहार	प्रशासनिक अधिकारी	psparihar@uou.ac.in	9837512236
श्री जगमोहन सिंह मेहरा	सहायक कुलसचिव	jsmehra@uou.ac.in	9412977343
श्रीमती पूनम आर्या	सहायक कुलसचिव	parya@uou.ac.in	9720757957
श्री धीरज कुमार उपाध्याय	सहायक कुलसचिव	dupadhayay@uou.ac.in	9012685453
प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक			
प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र	प्राध्यापक	rcmishra@uou.ac.in	9410715093
प्रोफेसर दुर्गेश पंत	प्राध्यापक	dpant@uou.ac.in	9412375384
प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे	प्राध्यापक	gpande@uou.ac.in	9412351759
प्रो0 पी0डी0 पन्त	प्राध्यापक	pdpant@uou.ac.in	9411597995
प्रो0 रेनू प्रकाश	प्राध्यापक	rprakash@uou.ac.in	9412120960
प्रो0 अखिलेश कुमार नवीन	प्राध्यापक	anavin@uou.ac.in	9412314833
डॉ0 मदन मोहन जोशी	सह–प्राध्यापक	mmjoshi@uou.ac.in	9412924858
डॉ0 गगन सिंह	सह–प्राध्यापक	gsingh@uou.ac.in	9410377546
डॉ0 राकेश चन्द्र रयाल	सह–प्राध्यापक	rrayal@uou.ac.in	9410967600
डॉ0 आशुतोष कुमार भट्ट	सह–प्राध्यापक	abhatt@uou.ac.in	9412327953
डॉ0 अरविन्द भट्ट	सह–प्राध्यापक	arvindbhatt@uou.ac.in	8979067260
डॉ0 प्रवेश कुमार सहगल	सह–प्राध्यापक	pksehgal@uou.ac.in	9412327953
डॉ0 डिगर सिंह	सह–प्राध्यापक	dsfarswan@uou.ac.in	8859222214
डॉ0 जीतेन्द्र पाण्डे	सह–प्राध्यापक	jpande@uou.ac.in	9927050094
डॉ0 जटाशंकर आर0पी0 तिवारी (असाधारण अवकाश पर हैं)	सह–प्राध्यापक		
डॉ0 दीपक पालीवाल (असाधारण अवकाश पर हैं)	सहायक प्राध्यापक		
डॉ0 देवेश कुमार मिश्र (असाधारण अवकाश पर हैं)	सहायक प्राध्यापक		
डॉ0 शशांक शुक्ला (असाधारण अवकाश पर हैं)	सहायक प्राध्यापक		
डॉ0 मंजरी अग्रवाल	सहायक प्राध्यापक	magarwal@uou.ac.in	9897033596
डॉ0 विरेन्द्र कुमार	सहायक प्राध्यापक	vkumar@uou.ac.in	9412355175
डॉ0 सूर्यभान सिंह	सहायक प्राध्यापक	sbhansingh@uou.ac.in	9415936096
डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी	सहायक प्राध्यापक	hcjoshi@uou.ac.in	9411107767
डॉ0 दिनेश कुमार	सहायक प्राध्यापक	dineshkumar@uou.ac.in	9837875234
डॉ0 सुचित्रा अवस्थी	सहायक प्राध्यापक	sawasthi@uou.ac.in	9410112792
डॉ0 भानू प्रकाश जोशी	सहायक प्राध्यापक	bhanujoshi@uou.ac.in	9411163102
डॉ0 नीरजा सिंह	सहायक प्राध्यापक	neerjasingh@uou.ac.in	7499376903

डॉ0 ममता कुमारी	सहायक प्राध्यापक	mtamta@uou.ac.in	9997457463
डॉ0 कमल देवलाल	सहायक प्राध्यापक	kdeolal@uou.ac.in	9411525595
डॉ0 सुमित प्रसाद	सहायक प्राध्यापक	sprasad@uou.ac.in	9557183796
डॉ0 अखिलेश सिंह	सहायक प्राध्यापक	akhileshsingh@uou.ac.in	7376651395
श्री भूपेन सिंह	सहायक प्राध्यापक	bhupensingh@uou.ac.in	9456324236
डॉ नन्दन कुमार तिवारी	सहायक प्राध्यापक	nktiwari@uou.ac.in	9897797611
डॉ सीता	सहायक प्राध्यापक	seeta@uou.ac.in	9456142556
डॉ शालिनी सिंह	सहायक प्राध्यापक	shalinisingh@uou.ac.in	9917150681
डॉ0 शालिनी चौधरी	सहायक प्राध्यापक	schaudhary@uou.ac.in	9456316126
डॉ0 हेमन्त कांडपाल	सहायक प्राध्यापक	hkandpal@uou.ac.in	9456365244
डॉ0 कल्पना लखेडा	सहायक प्राध्यापक	klakhera@uou.ac.in	9412996449
डॉ0 घनश्याम जोशी	सहायक प्राध्यापक	gjoshi@uou.ac.in	9456370179
डॉ0 देवकी सिरोला	सहायक प्राध्यापक	dsirola@uou.ac.in	8755058688
श्री सुनील कुमार	सहायक प्राध्यापक	sunilkumar@uou.ac.in	8650848508
डॉ0 दीपिका वर्मा	सहायक प्राध्यापक	dverma@uou.ac.in	9927428363
श्री दीपक कुमार	सहायक प्राध्यापक	deepakkumar@uou.ac.in	9761043354
डॉ0 राजेन्द्र सिंह	सहायक प्राध्यापक	rkaira@uou.ac.in	9917371228
श्री प्रदीप कुमार	सहायक प्राध्यापक	pradeepkumar@uou.ac.in	9456776771
डॉ0 ज्योति रानी	सहायक प्राध्यापक	jrani@uou.ac.in	9410158716
डॉ0 सरस्वती नंदन ओझा	सहायक प्राध्यापक	snojha@uou.ac.in	8859207240
डॉ0 गौरी	सहायक प्राध्यापक	gauri@uou.ac.in	9639630546
डॉ0 विशाल कुमार शर्मा	सहायक प्राध्यापक	vksharma@uou.ac.in	9410725380
डॉ0 विनोद कुमार	सहायक प्राध्यापक	vinodkumar@uou.ac.in	9548822690 9389302860
श्री दीप प्रकाश	सहायक प्राध्यापक	dprakash@uou.ac.in	7895461528
डॉ0 दीपांकुर जोशी	सहायक प्राध्यापक	deepankurjoshi@uou.ac.in	8979034323
श्री सिद्वार्थ कुमार पोखरियाल	सहायक प्राध्यापक	spokhriyal@uou.ac.in	9756644817

सहायक प्राध्यापक (A.C.)

क्र.सं.	नाम	विषय
1	श्री द्विजेश उपाध्याय	संगीत
2	मो0 अफजल हुसैन	उर्दू
3	श्री बालम सिंह दफौटी	कम्प्यूटर विज्ञान
4	श्री राजेन्द्र सिंह क्वीरा	पत्रकारिता
5	श्रीमती मनीषा पंत	बी0एड0 (सामान्य शिक्षा)
6	डॉ0 सुभाष चन्द्र	होटल मैनेजमैंट
7	डॉ0 प्रीति बोरा	गृह विज्ञान
8	श्रीमती मोनिका द्विवेदी	गृह विज्ञान
9	डॉ0 गोपाल दत्त	व्यवसायिक अध्ययन
10	डॉ0 भावना डोभाल	समाजशास्त्र
11	डॉ0 पूजा जुयाल	वनस्पति विज्ञान
12	डॉ0 रंजू जोशी पाण्डेय	भूगोल
13	डॉ0 चारू चन्द्र पंत	रसायन विज्ञान
14	डॉ0 श्याम सिंह कुंजवाल	प्राणि विज्ञान
15	डॉ0 राजेश मठपाल	भौतिकी
16	डॉ0 मीनाक्षी राणा	भौतिकी
17	डॉ0 कमलेश बिष्ट	गणित
18	डॉ0 शिवांगी उपाध्याय	गणित
19	डॉ0 प्रदीप कुमार पंत	भूगोल
20	डॉ0 कीर्तिका पडलिया	वनस्पति विज्ञान
21	डॉ0 मुक्ता जोशी	प्राणि विज्ञान
22	डॉ0 प्रभा बिष्ट ढौंडियाल	वनस्पति विज्ञान
23	श्री नागेन्द्र सिंह गंगोला	अंग्रेजी
24	श्री अशोक चन्द्र टम्टा	संगीत
25	डॉ0 रूचि तिवारी	मनोविज्ञान
26	डॉ0 ज्योति जोशी	गृह विज्ञान
27	डॉ0 नमिता वर्मा	अर्थशास्त्र
28	सुश्री नीता दियोलिया	योग
29	श्री जगमोहन परगांई	संगीत
30	डॉ0 प्रभाकर पुरोहित	संस्कृत/ज्योतिष
31	डॉ0 नीरज कुमार जोशी	संस्कृत/ज्योतिष
32	सुश्री प्रीति शर्मा	लाईब्रेरी साइंस
33	डॉ0 लता जोशी	राजनीति विज्ञान
34	डॉ0 सुधांशु कुमार वर्मा	भूगोल
35	डॉ0 प्रिया महाजन	वाणिज्य
36	डॉ0 दिनेश चन्द्र काण्डपाल	शिक्षाशास्त्र
37	सुश्री भावना धौनी	बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा)
38	सुश्री सुमन पिलख्वाल	शिक्षाशास्त्र
39	सुश्री प्रिया बोरा	पर्यटन
40	डॉ0 आशीष टम्टा	पर्यटन
41	डॉ0 पार्थ गौतम	कम्प्यूटर विज्ञान एवं आई.टी.
42	सुश्री दीक्षा बिष्ट	योग
43	डॉ0 भाग्यश्री जोशी	मनोविज्ञान
44	श्री मंगलम कुमार रस्तोगी	हिन्दी
45	श्री कृष्ण कुमार टम्टा	पर्यावरण विज्ञान

46	सुश्री पूजा भट्ट	गृह विज्ञान
47	श्री शहपर शरीफ	उर्दू
48	श्री पुष्पेश जोशी	वनस्पति विज्ञान
49	श्री शुभांकर शुक्ला	लोक प्रशासन
50	सुश्री आरूषि	राजनीति विज्ञान
51	डॉ0 अनिल कुमार	हिन्दी
52	डॉ0 ललित मोहन पंत	मनोविज्ञान
53	श्री प्रमोद कुमार चन्याल	लोक प्रशासन
54	डॉ0 रूचि पाण्डे	रसायन विज्ञान
55	डॉ0 प्रमोद जोशी	ज्योतिष
56	श्री अमित जोशी	अर्थशास्त्र
57	डॉ0 गोपाल सिंह गौनिया	समाजशास्त्र
58	श्री सुमित सिंह	लोक प्रशासन
59	श्री प्रकाश चन्द्र आर्या	संगीत
60	श्री अनिल कोठारी	योग
61	सुश्री पूर्णिमा नैलवाल	जन्तु विज्ञान
62	डॉ0 जया उप्रेती	जन्तु विज्ञान
63	श्री सुनील कुमार त्रिपाठी	ज्योतिष
64	सुश्री दिव्या	हिन्दी
65	सुश्री विनीता पंत	मनोविज्ञान
66	सुश्री प्रजा दूबे	संस्कृत
67	श्री सोमेश पाठक	प्रबंधन
68	डॉ0 बीना तिवारी फुलारा	पर्यावरण विज्ञान
69	श्री विकास जोशी	इतिहास
70	डॉ0 हेमा जोशी	एम.एस.डब्ल्यू.

नियमित कर्मचारी

सहायक क्षेत्रीय निदेशक

नाम	पदनाम	ई–मेल	फोन नं0
श्री अनिल कण्डारी	सहायक क्षेत्रीय निदेशक	akandari@uou.ac.in	**9084124647**
श्री गोविन्द सिंह	सहायक क्षेत्रीय निदेशक	govinds@uou.ac.in	**7818871463**
श्री बृजेश बनकोटी	सहायक क्षेत्रीय निदेशक	bbankoti@uou.ac.in	**7534098691**
श्री पंकज कुमार	सहायक क्षेत्रीय निदेशक	pkumar@uou.ac.in	**8191003873**
श्री भास्कर जोशी	सहायक क्षेत्रीय निदेशक	bhaskerjoshi@uou.ac.in	**8279611074**
श्रीमती रेखा बिष्ट	सहायक क्षेत्रीय निदेशक	rbisht@uou.ac.in	**8279959931**
श्रीमती प्रियंका लोहनी	सहायक क्षेत्रीय निदेशक	plohani@uou.ac.in	**9761237775**
श्रीमती रूचि आर्या	सहायक क्षेत्रीय निदेशक	ruchiarya@uou.ac.in	**7456811951**

अन्य नियमित शिक्षणेत्तर कार्मिक

क्र.सं.	नाम	पदनाम
01.	श्री गिरिजा शंकर जोशी	सिस्टम मैनेजर
02.	श्री राजेश आर्या	हार्डवेयर इंजीनियर
03.	श्री विनीत पौड़ियाल	हार्डवेयर इंजीनियर
04.	श्री जितेन्द्र कुमार द्विवेदी	कम्प्यूटर प्रोग्रामर
05.	श्री राजेन्द्र नाथ गोस्वामी	कम्प्यूटर प्रोग्रामर
06.	श्री मोहित रावत	नैटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर
07.	श्रीमती करिश्मा	शोध अधिकारी
08.	श्री त्रिलोक सिंह	शोध अधिकारी
09.	श्रीमती सरोजनी	शोध अधिकारी
10.	श्री गुरूदेव सिंह राणा	सहायक निदेशक, कम्प्यूटर आई.टी.
11.	श्री अनुराग भट्ट	सहायक निदेशक, कम्प्यूटर आई.टी.
12.	श्री नवनीत कुमार	सहायक निदेशक, कम्प्यूटर आई.टी.
13.	श्री पवन कुमार	सहायक निदेशक, कम्प्यूटर आई.टी.
14.	श्री पी0एस0 परिहार	प्रशासनिक अधिकारी
15.	श्री संजय भट्ट	आशुलिपिक ग्रेड–I
16.	श्री विमल कुमार	आशुलिपिक ग्रेड–I
17.	श्री राहुल बिष्ट	कनिष्ठ सहायक
18.	श्री भारत नैनवाल	कनिष्ठ सहायक
19.	श्री बृजमोहन सिंह खाती	कनिष्ठ सहायक
20.	श्री फिरोज खान	कनिष्ठ सहायक
21.	श्री हेम चन्द्र	कनिष्ठ सहायक
22.	श्री त्रिलोचन पाटनी	कनिष्ठ सहायक
23.	श्री महबूब आलम	कनिष्ठ सहायक
24.	श्री रविन्द्र कुमार कोहली	कनिष्ठ सहायक
25.	श्री शेखर चन्द्र	वाहन चालक
26.	श्री देवेन्द्र सिंह	वाहन चालक
27.	श्री मोहन चन्द्र पाण्डे	वाहन चालक

प्रशासनिक परामर्शदाताओं/तकनीकी परामर्शदाताओं/कैमरामैन एवं वीडियो एडिटर

क्र.सं.	नाम	नियोजन, जिस रूप में है
1	श्रीमती कंचन बिष्ट	प्रशासनिक परामर्शदाता
2	श्री विनोद कुमार बिरखानी	प्रशासनिक परामर्शदाता
3	श्री अनिल नैलवाल	तकनीकी परामर्शदाता (कम्यूनिटी रेडियो)
4	श्री राजेन्द्र जोशी	प्रशासनिक परामर्शदाता
5	श्री योगेश चन्द्र गुरूरानी	प्रशासनिक परामर्शदाता
6	श्रीमती सुनीता भट्ट	तकनीकी परामर्शदाता (कम्यूनिटी रेडियो)
7	श्री विनय कुमार टम्टा	तकनीकी परामर्शदाता (आई.सी.टी.)
8	श्री नरेन्द्र जगूड़ी	प्रशासनिक परामर्शदाता
9	श्री विभू कांडपाल	कैमरामैन
10	श्री हरीश कुमार गोयल	वीडियो एडिटर

मैनुअल संख्या : 10

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/अधिकारी एवं कार्मिकों के स्वीकृत अस्थाई पदों के सापेक्ष नियुक्ति का विवरण (माह जून 2022 के अनुसार)

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वेतनमान
1.	प्रो0 ओम प्रकाश सिंह नेगी	कुलपति	210000/– (स्थिर)
2.	डॉ0 रश्मि पंत	कुलसचिव	लेवल–11 (कुलसचिव हेतु अनुमन्य)
3.	श्रीमती आभा गर्खाल	वित्त–नियंत्रक	131100–216600 (लेवल–13 'क')
4.	डॉ0 सोमेश कुमार	परीक्षा नियंत्रक	144200–218200 (ऐकेडमिक लेवल–14)
5.	श्री विमल कुमार मिश्र	उपकुलसचिव	56100–177500 (लेवल–10)
6.	श्री धीरज कुमार उपाध्याय	सहायक कुलसचिव	35400–112400 (लेवल–6)
7.	श्रीमती पूनम आर्या	सहायक कुलसचिव	35400–112400 (लेवल–6)
8.	श्री जगमोहन सिंह मेहरा	सहायक कुलसचिव	35400–112400 (लेवल–6)
9.	श्री गिरिजा शंकर जोशी	सिस्टम मैनेजर	67700–208700 (लेवल–11)
10.	श्री राजेश आर्या	हार्डवेयर इंजीनियर	56100–177500 (लेवल–10)
11.	श्री विनीत पौड़ियाल	हार्डवेयर इंजीनियर	56100–177500 (लेवल–10)
12.	श्री जितेन्द्र कुमार द्विवेदी	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	56100–177500 (लेवल–10)
13.	श्री राजेन्द्र नाथ गोस्वामी	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	56100–177500 (लेवल–10)
14.	श्री मोहित रावत	नैटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर	56100–177500 (लेवल–10)
15.	श्रीमती रेखा बिष्ट	सहा. क्षेत्रीय निदेशक	56100–177500 (लेवल–10)
16.	श्री बृजेश कुमार बनकोटी	सहा. क्षेत्रीय निदेशक	56100–177500 (लेवल–10)
17.	श्रीमती प्रियंका पाण्डे	सहा. क्षेत्रीय निदेशक	56100–177500 (लेवल–10)
18.	श्री गोविन्द सिंह	सहा. क्षेत्रीय निदेशक	56100–177500 (लेवल–10)
19.	श्री भाष्कर चन्द्र जोशी	सहा. क्षेत्रीय निदेशक	56100–177500 (लेवल–10)
20.	श्री अनिल कण्डारी	सहा. क्षेत्रीय निदेशक	56100–177500 (लेवल–10)
21.	श्रीमती रूचि आर्या	सहा. क्षेत्रीय निदेशक	56100–177500 (लेवल–10)
22.	श्री पंकज कुमार	सहा. क्षेत्रीय निदेशक	56100–177500 (लेवल–10)
23.	श्रीमती करिश्मा	शोध अधिकारी	56100–177500 (लेवल–10)
24.	श्री त्रिलोक सिंह	शोध अधिकारी	56100–177500 (लेवल–10)
25.	श्रीमती सरोजनी	शोध अधिकारी	56100–177500 (लेवल–10)
26.	श्री गुरूदेव सिंह राणा	सहायक निदेशक, कम्प्यूटर आई.टी.	56100–177500 (लेवल–10)
27.	श्री अनुराग भट्ट	सहायक निदेशक, कम्प्यूटर आई.टी.	56100–177500 (लेवल–10)
28.	श्री नवनीत कुमार	सहायक निदेशक, कम्प्यूटर आई.टी.	56100–177500 (लेवल–10)
29.	श्री पवन कुमार	सहायक निदेशक, कम्प्यूटर आई.टी.	56100–177500 (लेवल–10)
30.	श्री पी0एस0 परिहार	प्रशासनिक अधिकारी	35400–112400 (लेवल–6)
31.	श्री संजय भट्ट	आशुलिपिक ग्रेड–I	29200–92300 (लेवल–5)
32.	श्री विमल कुमार	आशुलिपिक ग्रेड–I	29200–92300 (लेवल–5)
33.	श्री राहुल बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 (लेवल–3)
34.	श्री भारत नैनवाल	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 (लेवल–3)
35.	श्री बृजमोहन सिंह खाती	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 (लेवल–3)
36.	श्री फिरोज खान	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 (लेवल–3)
37.	श्री हेम चन्द्र	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 (लेवल–3)

38.	श्री त्रिलोचन पाटनी	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 (लेवल–3)
39.	श्री महबूब आलम	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 (लेवल–3)
40.	श्री रविन्द्र कुमार कोहली	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 (लेवल–3)
41.	श्री शेखर चन्द्र	वाहन चालक	21700–69100 (लेवल–3)
42.	श्री देवेन्द्र सिंह	वाहन चालक	21700–69100 (लेवल–3)
43	श्री मोहन चन्द्र पाण्डे	वाहन चालक	21700–69100 (लेवल–3)

प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक

क्र0सं0	नाम	पदनाम	वेतनमान
1	प्रो0 आर0सी0मिश्र	प्राध्यापक	144200–218200 ऐकेडमिक लेवल–14
2	प्रो0 दुर्गेश पंत	प्राध्यापक	144200–218200 ऐकेडमिक लेवल–14
3	प्रो0 गिरिजा प्रसाद पाण्डे	प्राध्यापक	144200–218200 ऐकेडमिक लेवल–14
4	प्रो0 पी0डी0 पंत	प्राध्यापक	144200–218200 ऐकेडमिक लेवल–14
5	डॉ0 रेनू प्रकाश	प्राध्यापक	144200–218200 ऐकेडमिक लेवल–14
6	डॉ0 अखिलेश कुमार नवीन	प्राध्यापक	144200–218200 ऐकेडमिक लेवल–14
7	डॉ0 मदन मोहन जोशी	सह–प्राध्यापक	131400–217100 एकेडमिक लेवल–13ए
8	डॉ0 गगन सिंह	सह–प्राध्यापक	131400–217100 एकेडमिक लेवल–13ए
9	डॉ0 राकेश चन्द्र रयाल	सह–प्राध्यापक	131400–217100 एकेडमिक लेवल–13ए
10	डॉ0 आशुतोष कुमार भट्ट	सह–प्राध्यापक	131400–217100 एकेडमिक लेवल–13ए
11	डॉ0 अरविन्द भट्ट	सह–प्राध्यापक	131400–217100 एकेडमिक लेवल–13ए
12	डॉ0 प्रवेश कुमार सहगल	सह–प्राध्यापक	131400–217100 एकेडमिक लेवल–13ए
13	डॉ0 डिगर सिंह	सह–प्राध्यापक	131400–217100 एकेडमिक लेवल–13ए
14	डॉ0 जीतेन्द्र पाण्डे	सह–प्राध्यापक	131400–217100 एकेडमिक लेवल–13ए
15	डॉ0 जटाशंकर आर0 तिवारी	सह–प्राध्यापक	131400–217100 एकेडमिक लेवल–13ए
16	डॉ0 मंजरी अग्रवाल	सहा0 प्राध्यापक	79800–211500 ऐकेडमिक लेवल–12
17	डॉ0 वीरेन्द्र कुमार	सहा0 प्राध्यापक	79800–211500 ऐकेडमिक लेवल–12
18	डॉ0 सूर्यभान सिंह	सहा0 प्राध्यापक	79800–211500 ऐकेडमिक लेवल–12
19	डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी	सहा0 प्राध्यापक	79800–211500 ऐकेडमिक लेवल–12
20	डॉ0 दिनेश कुमार	सहा0 प्राध्यापक	79800–211500 ऐकेडमिक लेवल–12

21	डॉ. सुचित्रा अवस्थी	सहा0 प्राध्यापक	79800–211500 ऐकेडमिक लेवल–12
22	डॉ0 भानु प्रकाश जोशी	सहा0 प्राध्यापक	79800–211500 ऐकेडमिक लेवल–12
23	डॉ0 दीपक पालीवाल	सहा0 प्राध्यापक	79800–211500 ऐकेडमिक लेवल–12
24	डॉ0 देवेश कुमार मिश्र	सहा0 प्राध्यापक	68900–205500 ऐकेडमिक लेवल–11
25	डॉ0 शशांक शुक्ला	सहा0 प्राध्यापक	68900–205500 ऐकेडमिक लेवल–11
26	डॉ0 नीरजा सिंह	सहा0 प्राध्यापक	68900–205500 ऐकेडमिक लेवल–11
27	डॉ0 ममता कुमारी	सहा0 प्राध्यापक	68900–205500 ऐकेडमिक लेवल–11
28	डॉ0 कमल देवलाल	सहा0 प्राध्यापक	68900–205500 ऐकेडमिक लेवल–11
29	डॉ0 सुमित प्रसाद	सहा0 प्राध्यापक	68900–205500 ऐकेडमिक लेवल–11
30	डॉ0 अखिलेश सिंह	सहा0 प्राध्यापक	68900–205500 ऐकेडमिक लेवल–11
31	श्री भूपेन सिंह	सहा0 प्राध्यापक	68900–205500 ऐकेडमिक लेवल–11
32	डॉ0 नन्दन कुमार तिवारी	सहा0 प्राध्यापक	68900–205500 ऐकेडमिक लेवल–11
33	डॉ0 सीता	सहा0 प्राध्यापक	68900–205500 ऐकेडमिक लेवल–11
34	डॉ0 शालिनी सिंह	सहा0 प्राध्यापक	68900–205500 ऐकेडमिक लेवल–11
35	डॉ0 शालिनी चौधरी	सहा0 प्राध्यापक	68900–205500 ऐकेडमिक लेवल–11
36	डॉ0 हेमन्त कांडपाल	सहा0 प्राध्यापक	57700–182400 ऐकेडमिक लेवल–10
37	डॉ0 कल्पना पाटनी लखेड़ा	सहा0 प्राध्यापक	68900–205500 ऐकेडमिक लेवल–11
38	डॉ0 घनश्याम जोशी	सहा0 प्राध्यापक	57700–182400 ऐकेडमिक लेवल–10
39	डॉ0 देबकी सिरोला	सहा0 प्राध्यापक	57700–182400 ऐकेडमिक लेवल–10
40	श्री सुनील कुमार	सहा0 प्राध्यापक	57700–182400 ऐकेडमिक लेवल–10
41	डॉ0 दीपिका वर्मा	सहा0 प्राध्यापक	57700–182400 ऐकेडमिक लेवल–10
42	श्री दीपक कुमार	सहा0 प्राध्यापक	57700–182400 ऐकेडमिक लेवल–10
43	डॉ0 राजेन्द्र सिंह	सहा0 प्राध्यापक	57700–182400 ऐकेडमिक लेवल–10
44	श्री प्रदीप कुमार	सहा0 प्राध्यापक	57700–182400 ऐकेडमिक लेवल–10
45	डॉ0 ज्योति रानी	सहा0 प्राध्यापक	57700–182400 ऐकेडमिक लेवल–10

46	डॉ0 सरस्वती नंदन ओझा	सहा0 प्राध्यापक	57700—182400 ऐकेडमिक लेवल—10
47	डॉ0 गौरी	सहा0 प्राध्यापक	57700—182400 ऐकेडमिक लेवल—10
48	डॉ0 विशाल कुमार शर्मा	सहा0 प्राध्यापक	57700—182400 ऐकेडमिक लेवल—10
49	डॉ0 विनोद कुमार	सहा0 प्राध्यापक	57700—182400 ऐकेडमिक लेवल—10
50	श्री दीप प्रकाश	सहा0 प्राध्यापक	57700—182400 ऐकेडमिक लेवल—10
51	डॉ0 दीपांकुर जोशी	सहा0 प्राध्यापक	57700—182400 ऐकेडमिक लेवल—10
52	श्री सिद्वार्थ कुमार पोखरियाल	सहा0 प्राध्यापक	57700—182400 ऐकेडमिक लेवल—10

Assistant Professors (A.C.)

क्र.सं.	नाम	विषय	मानदेय (नियत)
1	श्री द्विजेश उपाध्याय	संगीत	35000 / —
2	मो0 अफजल हुसैन	उर्दू	35000 / —
3	श्री बालम सिंह दफौटी	कम्प्यूटर विज्ञान	35000 / —
4	श्री राजेन्द्र सिंह क्वीरा	पत्रकारिता	35000 / —
5	श्रीमती मनीषा पंत	बी0एड0 (सामान्य शिक्षा)	35000 / —
6	डॉ0 सुभाष चन्द्र	होटल मैनेजमैंट	35000 / —
7	डॉ0 प्रीति बोरा	गृह विज्ञान	35000 / —
8	श्रीमती मोनिका द्विवेदी	गृह विज्ञान	35000 / —
9	डॉ0 गोपाल दत्त	व्यवसायिक अध्ययन	35000 / —
10	डॉ0 भावना डोभाल	समाजशास्त्र	35000 / —
11	डॉ0 पूजा जुयाल	वनस्पति विज्ञान	35000 / —
12	डॉ0 रंजू जोशी पाण्डेय	भूगोल	35000 / —
13	डॉ0 चारू चन्द्र पंत	रसायन विज्ञान	35000 / —
14	डॉ0 श्याम सिंह कुंजवाल	प्राणि विज्ञान	35000 / —
15	डॉ0 राजेश मठपाल	भौतिकी	35000 / —
16	डॉ0 मीनाक्षी राणा	भौतिकी	35000 / —
17	डॉ0 कमलेश बिष्ट	गणित	35000 / —
18	डॉ0 शिवांगी उपाध्याय	गणित	35000 / —
19	डॉ0 प्रदीप कुमार पंत	भूगोल	35000 / —
20	डॉ0 कीर्तिका पडलिया	वनस्पति विज्ञान	35000 / —
21	डॉ0 मुक्ता जोशी	प्राणि विज्ञान	35000 / —
22	डॉ0 प्रभा बिष्ट ढौंडियाल	वनस्पति विज्ञान	35000 / —
23	श्री नागेन्द्र सिंह गंगोला	अंग्रेजी	35000 / —
24	श्री अशोक चन्द्र टम्टा	संगीत	35000 / —
25	डॉ0 रूचि तिवारी	मनोविज्ञान	35000 / —
26	डॉ0 ज्योति जोशी	गृह विज्ञान	35000 / —
27	डॉ0 नमिता वर्मा	अर्थशास्त्र	35000 / —
28	सुश्री नीता दियोलिया	योग	35000 / —
29	श्री जगमोहन परगांई	संगीत	35000 / —
30	डॉ0 प्रभाकर पुरोहित	संस्कृत / ज्योतिष	35000 / —

31	डॉ0 नीरज कुमार जोशी	संस्कृत / ज्योतिष	35000 / —
32	सुश्री प्रीति शर्मा	लाईब्रेरी साइंस	35000 / —
33	डॉ0 लता जोशी	राजनीति विज्ञान	25000 / —
34	डॉ0 सुधांशु कुमार वर्मा	भूगोल	25000 / —
35	डॉ0 प्रिया महाजन	वाणिज्य	25000 / —
36	डॉ0 दिनेश चन्द्र काण्डपाल	शिक्षाशास्त्र	25000 / —
37	सुश्री भावना धौनी	बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा)	25000 / —
38	सुश्री सुमन पिलख्वाल	शिक्षाशास्त्र	25000 / —
39	सुश्री प्रिया बोरा	पर्यटन	25000 / —
40	डॉ0 आशीष टम्टा	पर्यटन	25000 / —
41	डॉ0 पार्थ गौतम	कम्प्यूटर विज्ञान एवं आई.टी.	25000 / —
42	सुश्री दीक्षा बिष्ट	योग	25000 / —
43	डॉ0 भाग्यश्री जोशी	मनोविज्ञान	25000 / —
44	श्री मंगलम कुमार रस्तोगी	हिन्दी	25000 / —
45	श्री कृष्ण कुमार टम्टा	पर्यावरण विज्ञान	25000 / —
46	सुश्री पूजा भट्ट	गृह विज्ञान	25000 / —
47	श्री शहपर शरीफ	उर्दू	25000 / —
48	श्री पुष्पेश जोशी	वनस्पति विज्ञान	25000 / —
49	श्री शुभांकर शुक्ला	लोक प्रशासन	25000 / —
50	सुश्री आरूषि	राजनीति विज्ञान	25000 / —
51	डॉ0 अनिल कुमार	हिन्दी	25000 / —
52	डॉ0 ललित मोहन पंत	मनोविज्ञान	25000 / —
53	श्री प्रमोद कुमार चन्याल	लोक प्रशासन	25000 / —
54	डॉ0 रूचि पाण्डे	रसायन विज्ञान	25000 / —
55	डॉ0 प्रमोद जोशी	ज्योतिष	25000 / —
56	श्री अमित जोशी	अर्थशास्त्र	25000 / —
57	डॉ0 गोपाल सिंह गौनिया	समाजशास्त्र	25000 / —
58	श्री सुमित सिंह	लोक प्रशासन	25000 / —
59	श्री प्रकाश चन्द्र आर्या	संगीत	25000 / —
60	श्री अनिल कोठारी	योग	25000 / —
61	सुश्री पूर्णिमा नैलवाल	जन्तु विज्ञान	25000 / —
62	डॉ0 जया उप्रेती	जन्तु विज्ञान	25000 / —
63	श्री सुनील कुमार त्रिपाठी	ज्योतिष	25000 / —
64	सुश्री दिव्या	हिन्दी	25000 / —
65	सुश्री विनीता पंत	मनोविज्ञान	25000 / —
66	सुश्री प्रजा दूबे	संस्कृत	25000 / —
67	श्री सोमेश पाठक	प्रबंधन	25000 / —
68	डॉ0 बीना तिवारी फुलारा	पर्यावरण विज्ञान	25000 / —
69	श्री विकास जोशी	इतिहास	25000 / —
70	डॉ0 हेमा जोशी	एम.एस.डब्ल्यू.	25000 / —

प्रशासनिक परामर्शदाताओं/तकनीकी परामर्शदाताओं/कैमरामैन एवं वीडियो एडिटर

क्र.सं.	नाम	नियोजन, जिस रूप में है।	वेतनमान
1	श्रीमती कंचन बिष्ट	प्रशासनिक परामर्शदाता	22000/—
2	श्री विनोद कुमार बिरखानी	प्रशासनिक परामर्शदाता	27000/—
3	श्री अनिल नैलवाल	तकनीकी परामर्शदाता (कम्यूनिटी रेडियो)	20000/—
4	श्री राजेन्द्र जोशी	प्रशासनिक परामर्शदाता	20000/—
5	श्री योगेश चन्द्र गुरूरानी	प्रशासनिक परामर्शदाता	20000/—
6	श्रीमती सुनीता भट्ट	तकनीकी परामर्शदाता (कम्यूनिटी रेडियो)	20000/—
7	श्री विनय कुमार टम्टा	तकनीकी परामर्शदाता (आई.सी.टी.)	22000/—
8	श्री नरेन्द्र जगूड़ी	प्रशासनिक परामर्शदाता	27000/—
9	श्री विभू कांडपाल	कैमरामैन	24000/—
10	श्री हरीश कुमार गोयल	वीडियो एडिटर	27000/—

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी में बाह्य सेवा प्रदाता उपनल के माध्यम से संविदा के आधार पर नियोजित कार्मिकों की सूची

क्रम सं0	नाम	पदनाम	मानदेय प्रतिमाह (रू0 में)
01	श्री रमन लोशाली	कम्प्यूटर लिट्रेट पी0ए0	19368 / —
02	श्री हर्षवर्धन लोहनी	कम्प्यूटर लिट्रेट एकाउन्टेन्ट	19368 / —
03	श्रीमती बबीता दास	कम्प्यूटर लिट्रेट स्टेनो	19368 / —
04	श्री राकेश पपनै	वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर	19368 / —
05	श्री नंदन सिंह अधिकारी	कोऑर्डिनेटर	18316 / —
06	श्री मोहन चन्द्र पाण्डे	कोऑर्डिनेटर	18316 / —
07	श्रीमती दीपा फुलारा	कोऑर्डिनेटर	18316 / —
08	श्रीमती रंजना जोशी	कोऑर्डिनेटर	18316 / —
09	श्री अजय कुमार सिंह	कोऑर्डिनेटर	18316 / —
10	श्री निर्मल सिंह धोनी	कोऑर्डिनेटर	17316 / —
11	कु0 पूनम खोलिया	कम्प्यूटर ऑपरेटर	17316 / —
12	कु0 कमला राठौर	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	18316 / —
13	श्री योगेश मिश्रा	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	18316 / —
14	श्री पंकज बिष्ट	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	18316 / —
15	श्री मनोज कुमार शर्मा	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	18316 / —
16	श्री संतोष ढ़ोढियाल	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	18316 / —
17	श्री बसंत बल्लभ काण्डपाल	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	18316 / —
18	श्री चारू चन्द्र जोशी	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	18316 / —
19	श्री गोपाल सिंह	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	18316 / —
20	श्री मनमोहन त्रिपाठी	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	18316 / —
21	श्री कुन्दन सिंह	क्लर्क कम टाइपिस्ट	18316 / —
22	श्रीमती मधु डोगरा	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	18316 / —
23	श्री अनिल कुमार पंत	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	18316 / —
24	श्री दिनेश पाल सिंह	इलैक्ट्रीशियन	18316 / —
25	श्री मनीष कुमार सिंह	वहन चालक	18316 / —
26	श्री राकेश पंत	लाइब्रेरी कैटालॉगर	18316 / —
27	श्रीमती मीतू गुप्ता	लाइब्रेरी कैटालॉगर	18316 / —
28	श्री मनीष बुंगला	लैब अस्सिटेन्ट	16130 / —
29	श्री देवेन्द्र प्रसाद	प्लम्बर	16130 / —
30	श्री हेमचन्द्र	कम्प्यूटर ऑपरेटर	18316 / —
31	कु0 नीमा उप्रेती	कोऑर्डिनेटर	18316 / —
32	श्री बलवन्त राम	कोऑर्डिनेटर	17316 / —
33	श्री व्यास सिंह	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	18316 / —
34	श्री चन्द्र शेखर सुयाल	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	15722 / —
35	श्री चेत बहादुर थापा	अनुसेवक	15722 / —
36	श्री नवीन चन्द्र जोशी	चपरासी	15722 / —
37	श्री कैलाश राम	चपरासी	15722 / —
38	श्री दीपक चन्द्र उप्रेती	बुक लिफ्टिर	14722 / —
39	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	हेल्पर	14722 / —
40	श्री मनोज कुमार	माली	17316 / —
41	श्री दलीप	स्वच्छक	15722 / —

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में निश्चित मानदेय के आधार पर नियोजित कार्मिकों की सूची

क्रम सं0	नाम	पदनाम	मानदेय प्रतिमाह (रू0 में)
01	श्री सत्येन्द्र सिंह रावत	तृतीय श्रेणी कार्मिक के रूप में	20872 / —
02	श्री मोहन चन्द्र बवाड़ी	.तदैव.	20872 / —
03	श्री दिनेश कुमार	.तदैव.	20872 / —
04	श्री दिनेश चन्द्र फुलेरा	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक के रूप में	17163 / —
05	श्री जगत सिंह बंगारी	.तदैव.	17163 / —
06	श्रीमती छाया देवी	.तदैव.	17163 / —

बाह्य सेवा प्रदाता संस्था मै0 मैनपावर सिक्यूरिटी एजेन्सी, हल्द्वानी के माध्यम से विश्वविद्यालय में दैनिक आधार पर नियोजित आउटसोर्स कार्मिकों की सूची

क्रम सं0	नाम	श्रेणी	दैनिक आधार पर मानदेय, माह में कुल दिवस 26 का भुगतान रू0 में
01	सुश्री पूजा हेडिया	कुशल	12516 / —
02	श्री उमाशंकर सिंह नेगी	कुशल	12516 / —
03	श्री राहुल सिंह नेगी	कुशल	12516 / —
04	श्री प्रमोद चन्द्र जोशी	कुशल	12516 / —
05	श्री हेमचन्द्र	कुशल	12516 / —
06	सुश्री दीपिका रैकवाल	कुशल	12516 / —
07	श्री उमेश सिंह खनवाल	कुशल	12516 / —
08	श्री ललित मोहन	कुशल	12516 / —
09	श्री दीपक पंत	कुशल	12516 / —
10	श्री मोहन जोशी	कुशल	12516 / —
11	श्रीमती लक्ष्मी धामी	कुशल	12516 / —
12	श्री धनेश्वर नेगी	कुशल	12516 / —
13	सुश्री निर्मला देवी	कुशल	12516 / —
14	श्री गोकुल चन्द्र	कुशल	12516 / —
15	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह	कुशल	12516 / —
16	श्री यशवन्त कुमार	कुशल	12516 / —
17	सुश्री दिव्या गौड़	कुशल	12516 / —
18	सुश्री आकांशा रावत	कुशल	12516 / —
19	श्रीमती पूनम पानू	कुशल	12516 / —
20	श्री कमल सिंह पवार	कुशल	12516 / —
21	श्री पूरन लाल साह	कुशल	12516 / —
22	श्री राहुल देव	कुशल	12516 / —
23	श्री सुनील	कुशल	12516 / —

24	कु0 रितु बोरा	कुशल	12516/—
25	कु0 रेनू भट़ट	कुशल	12516/—
26	श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी	कुशल	12516/—
27	श्रीमती प्रेमलता	कुशल	12516/—
28	श्री रवीन्द्र	कुशल	12516/—
29	कु0 संगीता रायपा	कुशल	12516/—
30	श्री चन्द्र बल्लभ पोखरियाल	कुशल	12516/—
31	श्री अरविन्द कोटियाल	कुशल	12516/—
32	श्री भुवन चन्द्र पलडिया	अकुशल	9922/—
33	श्री भीम आर्या	अकुशल	9922/—
34	श्री गोधन सिंह	अ़र्द्धकुशल	11316/—
35	श्री हीरा सिंह	अकुशल	9922/—
36	सुश्री लीला बेलवाल	अकुशल	9922/—
37	श्री नरेन्द्र पाल	अकुशल	9922/—
38	श्री लालू प्रसाद	अकुशल	9922/—
39	श्री अनिल कुमार	अकुशल	9922/—
40	श्री अभिषेक कुमार	अकुशल	9922/—
41	श्रीमती सरिता	अकुशल	9922/—
42	श्री शेखर चन्द्र	अकुशल	9922/—
43	अश्विनी कुटियाल	अकुशल	9922/—
44	श्री अजय आर्या	अकुशल	9922/—
45	श्री दीपक चन्द्र जोशी	अकुशल	9922/—
46	श्री प्रमोद राम	अकुशल	9922/—
47	श्रीमती श्वेता	अकुशल	9922/—
48	श्री नितिन कुमार	अकुशल	9922/—
49	श्री लक्की कुमार	अकुशल	9922/—
50	कु0 कंचन	अकुशल	9922/—
51	श्री नीरज आर्य	अकुशल	9922/—

मैनुअल संख्या : 11

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट.

सरकार एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदानों तथा व्यय का वर्षवार विवरण निम्नवत् हैः–

(अ) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा व्यय का वर्ष वार विवरणः–

DETAIL OF GRANT RECEIVED & SPENT FROM STATE GOVERNMENT FOR THE YEAR 2005-2006 TO 2021-2022

2005-06 में प्राप्त आय–व्यय

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि		कुल व्यय	अवशेष धनराशि
1	101/XXIV(7)/ 2006/ शिक्षा अनुभाग– 07	3/24/2006	2005–06		491,000.00	बुलेरो क्रय करने हेतु	1,620,005.00	10,218,995.00
2	321/XXIV(7)2006/ शिक्षा अनुभाग–07	3/24/2006	2005–06		9,431,000.00	सामान्य कार्य		
3	750/XXIV(7)/ 2006 शिक्षा अनुभाग–07	12/21/2005	2005–06		1,400,000.00	सामान्य कार्य		
4	49/XXIV(7)/2005	1/25/2006	2005–06		441,000.00	कुलपति हेतु कार क्रय		
5	112/XXIV(7)/ 2005	2/22/2006	2005–06		76,000.00	कुलपति हेतु कार क्रय		
कुल योग				0	**11,839,000.00**		**1,620,005.00**	**10,218,995.00**

2006-07 में प्राप्त आय–व्यय

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि		कुल व्यय	अवशेष धनराशि
1	851/XXIV(7)/ 2006/ शिक्षा अनुभाग–07	10/16/2011	2006–07	10,218,995.00	20,000,000.00	सामान्य कार्य	15,518,672.00	**14,700,323.00**
कुल योग				**10,218,995.00**	**20,000,000.00**		**15,518,672.00**	

2007-08 में प्राप्त आय–व्यय

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि		कुल व्यय	अवशेष धनराशि
1.	20/XXIV(6)/2008/ शिक्षा अनुभाग–06	1/17/2008	2007–08	14,700,323.00	6,000,000.00	सामान्य कार्य	9,913,658.00	**10,786,665.00**
कुल योग				**14,700,323.00**	**6,000,000.00**		**9,913,658.00**	

2008-09 में प्राप्त आय–व्यय

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि		कुल व्यय	अवशेष धनराशि
1	NIL		2008-09	10,786,665.00	0	सामान्य कार्य	7,954,816.00	**2,831,849.00**
			कुल योग	**10,786,665.00**	.		**7,954,816.00**	

2009-10 में प्राप्त आय–व्यय

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि		कुल व्यय	अवशेष धनराशि
1.	60/XXIV(6) /2009/ शिक्षा अनुभाग– 06	5/15/ 2009	2009–10		91,000.00	आयोजनागत पक्ष में	7,276,795.00	**4,429,054.00**
2.	60/XXIV(6) 2009/ शिक्षा अनुभाग– 06	8/11/ 2009	2009–10		183,000.00	आयोजनागत पक्ष में		
3.	39/XXIV(6) /2010/ शिक्षा अनुभाग– 06	1/28/ 2010	2009–10		8,600,000.00	आयोजनागत पक्ष में		
	कुल योग			**2,831,849.00**	**8,874,000.00**		**7,276,795.00**	

2010-11 में प्राप्त आय–व्यय

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि		कुल व्यय	अवशेष धनराशि
1	192/XXIV/(6)/2010 शिक्षा अनुभाग– 06	7/6/ 2010	2010 –11		5,000,000.00	आयोजनेत्तर पक्ष में	**38,954,129.00**	**3,496,265.00**
2	230/XXIV/(6)/2010 शिक्षा अनुभाग– 06	9/16 /2010	2010 –11		550,500.00	कुलपति हेतु वाहन		
3	192/XXIV/(6)/2010 शिक्षा अनुभाग– 06	11/3 /2010	2010 –11		5,000,000.00	आयोजनेत्तर पक्ष में		
4	193/XXIV(6)/2010 शिक्षा अनुभाग– 06	12/20 /2010	2010 –11		2,000,000.00	एस0सी0एस 0पी0 योजनान्तर्गत		
5	193/XXIV(6)/2010 शिक्षा अनुभाग– 06	12/20 /2010	2010 –11		3,500,000.00	एस0सी0एस 0पी0		
6	70/XXIV(6) /2011 शिक्षा अनुभाग– 06	2/15 /2011	2010 –11		12,270,840.00	वि0वि0 वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु।		
7	00/XXIV(6) /2011 शिक्षा अनुभाग– 06	3/9/ 2011	2010 –11		9,700,000.00	आयोजनेत्तर पक्ष में		
	कुल योग			**4,429,054.00**	**38,021,340.00**		**38,954,129.00**	**3,496,265.00**

2011-12 में प्राप्त आय–व्यय

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि		कुल व्यय	अवशेष धनराशि
1	22/XXIV(6) /2011 शिक्षा अनुभाग–06	5/2/2011	2011–12		5,000,000.00	आयोजनेत्तर पक्ष में	36,103,659.00	
2	57/XXIV(6) /2011 शिक्षा अनुभाग– 06	5/19/2011	2011–12		**5,000,000.00**	**वन भूमि की चाहरदीवारी हेतु**		
3	22/XXIV/(6)/2011शिक्षा अनुभाग– 06	9/19/2011	2011–12		5,000,000.00	आयोजनेत्तर पक्ष में		
4	57/XXIV/(6)/ 2011शिक्षा अनुभाग–06	10/10/2011	2011–12		**2,418,000.00**	वन भूमि की चाहरदीवारी हेतु		
5	22/XXIV(6) /2011 शिक्षा अनुभाग–06	11/9/2011	2011–12		6,000,000.00	आयोजनेत्तर पक्ष में		
6	225/XXIV(6)2011	12/19/2011	2011–12		**5,000,000.00**	प्रशासनिक भवन एवं एकेडमिक भवनो के लिये		
कुल योग				**3,496,265.00**	**28,418,000.00**		**36,103,659.00**	4,189,394.00

2012-13 में प्राप्त आय–व्यय

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि		कुल व्यय	अवशेष धनराशि
1	48/XXIV(6)/2012 शिक्षा अनुभाग– 06	4/24/2012	2012–13		6,667,000.00	आयोजनेत्तर पक्ष में	**4,37,26,303.00**	**24,41,807.00**
2	13/XXIV(6)/2012 शिक्षा अनुभाग– 06	08/06/2012	2012–13		13,33,000.00	आयोजनेत्तर पक्ष में		
3	43(4)/ XXIV(6)/2013 शिक्षा अनुभाग– 06	03/21/2013	2012–13		15,25,000.00	आयोजनागत पक्ष में		
4	40(4)12/ XXIV(6)/2013	03/31/2013	2012–13		2,71,24,000.00	आयोजनागत पक्ष में		
	कुल योग				**4,86,49,000.00**			

2013–14 में प्राप्त आय–व्यय

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि	प्रयोजन	कुल व्यय	अवशेष धनराशि
01	42(4)12/xxiv(6) /2013	21.05.2013	2013–14	––	1,00,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में	1,00,00,000	शून्य
02	1044/xxiv/(6) /2012/42(4)/2012	16.08.2013	2013–14	––	3,00,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में	3,00,00,000	शून्य
03	1745/xxiv(6)/2013/44(4)2012	06.01.2014	2013 -14	––	1,68,26,000	प्रशासनिक भवन एवं एकेडमिक भवन के लिए	1,68,26,000	शून्य
04	567/xxiv(6)/2014/40(4)2012	31.03.2014	2013 -14	––	6,26,000	प्रशासनिक भवन एवं एकेडमिक भवन के लिए (आयोजनागत मद)	6,26,000	शून्य
05	534/xxiv(6)/2014/44(4)2012	28.03.2014	2013 -14	––	6,00,000	आयोजनेत्तर (अनुदान 20) पैट्रोल व स्टेशनरी मद में	6,00,000	शून्य
	कुल योग				5,80,52,000			

2014-15 में प्राप्त आय–व्यय

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि	प्रयोजन	कुल व्यय	अवशेष धनराशि
01	664/xxiv(6)/ 2014-42 (4) 2012	25.04.2014	2014-15	––	2,00,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में	2,00,00,000	शून्य
02	1449/xxiv(6) /2014-42 (4) 2012	11.11.2014	2014-15	––	1,30,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में	1,30,00,000	शून्य
03	1443/xxiv(6) /2014/42(4) 2012	19.11.2014	2014-15	––	10,00,000	आयोजनेत्तर अवचनबद्ध मद अनुदान 20	10,00,000	शून्य
04	303/xxiv(6) /2014/42(4) 2012	04.03.2015	2014-15	––	10,00,000	आयोजनेत्तर अवचनबद्ध मद अनुदान 20	10,00,000	शून्य
05	486/xxiv(6) /2015/40(4) 12 शिक्षा 0अनु 6 उ0शि0	30.03.2015	2014-15	––	1,00,00,000	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन (द्वितीय चरण) हेतु आयोजनागत पक्ष में प्रथम किस्त	1,00,00,000	शून्य
	कुल योग				4,50,00,000			

2015-16 में प्राप्त आय–व्यय

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि	प्रयोजन	कुल व्यय	अवशेष धनराशि
01	555/xxiv(6)/2015-42(4)2012	17.04.2015	2015-16	––	2,00,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में(अनुदान 43 वेतनादि मद)	2,00,00,000	शून्य
02	202/xxiv(6)/2015-42(4)2012	21.09.2015	2015-16	––	1,30,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में(अनुदान 43 वेतनादि मद)	1,30,00,000	शून्य
03	151/xxiv(6)/2016-42(4)2012	05.02.2016	2015-16	––	10,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में (अनुदान 20)	10,00,000	शून्य
04	127/xxiv(6)/2016-42(4)2012	10.03.2016	2015-16	––	40,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में(अनुदान 43 वेतनादि मद)	40,00,000	शून्य
			कुल योग		3,80,00,000			

वर्ष 2016–17 में प्राप्त आय–व्यय

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि	प्रयोजन	कुल व्यय	अवशेष धनराशि
01	352/XXIV(6)/2016/42(4)/12	19/04/2016	2016–17	–	1,10,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष –वेतनादि मद–43 में कार्मिकों के वेतन हेतु	1,10,00,000	शून्य
02	659(1)/XXIV(6)/2016-40(4)/12	02/08/2016	2016–17	–	33,33,000	आयोजनागत पक्ष – विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवन के द्वितीय चरण के निर्माण कार्य हेतु	33,33,000	शून्य
03	679/XXIV(6)/2016/42(4)/12	12/08/2016	2016–17	–	2,20,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष –वेतनादि मद–43 में कार्मिकों के वेतन हेतु	2,20,00,000	शून्य
04	1224/XXIV(6)/2016-12(49)/14 T.C.	13/12/2016	2016–17	–	16,00,000	एडुसेट परियोजना में वेतनादि भुगतान हेतु मानक मद–43	16,00,000	शून्य
05	964/XXIV(6)/2016-12(49)/14 T.C.	13/12/2016	2016–17	–	25,00,000	एडुसेट परियोजना में मानक मद–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में	5,54,275	19,45,725

06	89/XXIV(6)/2017 -42(4)/12	14 / 03 / 2017	2016–17	–	50,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष मानक मद–20	50,00,000	शून्य
07	215/XXIV(6)/ 2017-40(4)/ 12	30 / 03 / 2017	2016–17	–	30,00,000	आयोजनागत पक्ष –विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवन के द्वितीय चरण के निर्माण कार्य हेतु	30,00,000	शून्य

2017–2018 में प्राप्त आय–व्यय

01	476/XXIV(6)/2017- 42(4) / 12	31/05/2017	2017-18	—	55,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में (वेतनादि मद– 43)	55,00,000	शून्य
02	634/XXIV(6)/2017- 42(4)/ 12	18/07/2017	2017-18	—	1,75,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में (वेतनादि मद– 43)	1,75,00,000	शून्य
03	270/XXIV(6)/2017- 42(4)/ 12	28/07/2017	2017-18	—	35,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में (सहायक अनुदान मद–20)	35,00,000	शून्य
04	991/XXIV(6)/2017- 42(4)/ 12	3/10/2017	2017-18	—	1,00,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में (वेतनादि मद– 43)	1,00,00,000	शून्य
05	39/XXIV(6) /2018- 42(4) /12	21/02/2018	2017-18	—	1,00,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में (वेतनादि मद– 43) अनुपूरक बजट में	1,00,00,000	शून्य
06	224/XXIV(6)/2018-12 (49)/14T.C.	23/02/2018	2017–18	19,45,725 (रूसा को हस्तान्तरित किया गया)	3,45,000	आयोजनागत पक्ष में (वेतनादि मद– 43) एडुसैट हेतु (एडुसैट को हस्तान्तरित किया)	3,45,000	शून्य
07	364/XXIV(6)/2018-42 (4)/12	05/02/2018	2017–18	—	35,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में (सहायक अनुदान मद–20)	35,00,000	शून्य

वर्ष 2018–19 में प्राप्त आय–व्यय

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि	प्रयोजन	कुल व्यय	अवशेष धनराशि
01.	541/XXIV(1)/2018-4(14)/18	10/05/2018	2018–19	–––––	20,000,000	आयोजनेत्तर पक्ष में (वेतनादि मद–43)	20,000,000	शून्य
02.	1066/XXIV(6)/2018-12(49)/14T.C.	27/9/2018	2018–19	–––	1,000,000	राजस्व पक्ष में (वेतनादि मद–43) एडुसैट हेतु (एडुसैट को हस्तान्तरित किया)	1,000,000	शून्य
03.	1105/XXIV(6)/2018-12(49)/14T.C.	27/9/2018	2018–19	–––	1,500,000	राजस्व पक्ष में (सहायक अनुदान–20) एडुसैट हेतु (एडुसैट को हस्तान्तरित किया)	1,500,000	शून्य
04.	1106/XXIV(6)/2018-4(14)/18	5/10/2018	2018–19	–––	40,000,000	राजस्व पक्ष में (वेतनादि मद–43)	40,000,000	शून्य
05.	1337/XXIV(6)/2018-4(15)/18	24/12/2018	2018–19	–––	3,500,000	राजस्व पक्ष में (सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–मद 20)	3,500,000	शून्य
06.	161/XXIV(6)/2019-40(4)/2012	27/03/2019	2018–19	–––	10,000,000	प्रशासनिक भवन एवं एकेडमिक भवन के द्वितीय चरण के लिए (पूंजीगत)	10,000,000	शून्य

वर्ष 2019–20 में प्राप्त आय–व्यय

07.	417/XXIV(6)/2019-4(14)/2018	28/5/2019	2019–20	–––	20,000,000	राजस्व पक्ष में (वेतनादि मद–43)	20,000,000	शून्य
08.	416/XXIV(6)/2019-4(15)/2018	28/5/2019	2019–20	–––	3,500,000	राजस्व पक्ष में (सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–मद 20)	3,500,000	शून्य
09.	819/XXIV(6)/2019-4(14)/2018	17/09/2019	2019–20	–––	20,000,000	राजस्व पक्ष में (वेतनादि मद–43)	20,000,000	शून्य
10.	818/XXIV(6)/2019-4(15)/2018	17/09/2019	2019–20	–––	3,500,000	राजस्व पक्ष में (सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–मद 20)	3,500,000	शून्य
11.	987/XXIV-C1-/2019-40(4)/2012	13/12/2019	2019–20	–––	15,762,000	प्रशासनिक भवन एवं एकेडमिक भवन के द्वितीय चरण के लिए (पूंजीगत)	10,000,000	57,62,000
12.	1205/XXIV-C1-/2019-12(49)/14T.C.	26/12/2019	2019–20	–––	1,100,000	राजस्व पक्ष में (वेतनादि मद–43) एडुसैट हेतु (एडुसैट को हस्तान्तरित किया)	1,100,000	शून्य
07.	417/XXIV(6)/2019-4(14)/2018	28/5/2019	2019–20	–––	20,000,000	राजस्व पक्ष में (वेतनादि मद–43)	20,000,000	शून्य

वर्ष 2020–21 में प्राप्त आय–व्यय

13.	325/XXIV-C1-/2020-4(14)/2018	10/4/2020	2020–21	–––	22,000,000	मानक मद–56 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	22,000,000	शून्य
14.	604/XXIV-C-1-/2020-4(15)/2018	28/8/2020	2020–21	–––	3805000	मानक मद–56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	3805000	शून्य
15.	878/XXIV-C-1/2020-04(14)/2018	19/11/2020	2020–21	–––	22000000	मानक मद–05 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	22000000	शून्य
16.	1022/XXIV-C-1/2020-04(15)/2018	1/1/2021	2020–21	–––	6195000	मानक मद–56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	6195000	शून्य
17.	43/XXIV-C-1/2021-04(14)/2018	8/2/2021	2020–21	–––	49349000	मानक मद–05 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान (अनुपूरक बजट)	49349000	शून्य
18.	83/XXIV-C-1/2021-0403)/2021	19/03/2021	2020–21	–––	15571200	मानक मद–55 पूंजीगत परिसम्पत्तियों का भुगतान	15571200	7757200
19.	261/XXIV-C-1/2021-04(03)/2021	27/03/2021	2020–21	–––	11650000	कनैक्ट अनुदान 007 मानक मद–53 वृहद निर्माण	11650000	शून्य

वर्ष 2021—22 में प्राप्त आय—व्यय

20.	285/XXIV-C-1-/2021-4(14)/2018	15/04/2021	2021—22	———	25000000	मानक मद—05 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	25000000	शून्य
21.	307/XXIV-C-1-/2021-4(15)/2018	21/05/2021	2021—22	———	2500000	मानक मद—56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	2500000	शून्य
22.	466/XXIV-C-1-/2021-04(14)/2018	26/07/2021	2021—22	———	25000000	मानक मद—05 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	25000000	शून्य
23.	485/XXIV-C-1-/2021-04(15)/2018	2/8/2021	2021—22	———	2500000	मानक मद—56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	2500000	शून्य
24.	817/XXIV-C-1-/2021-04(14)/2018	28/10/2021	2021—22	———	20000000	मानक मद—05 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान (अनुपूरक बजट)	20000000	शून्य
25.	946/XXIV-C-1-/2021-04(03)/2021	24/11/2021	2021—22	———	11650000	कनैक्ट अनुदान 007 मानक मद—53 वृहद निर्माण	11650000	शून्य
26.	221/XXIV-C-1-/2021-04(14)/2018	31/03/2022	2021—22	———	33000000	मानक मद—05 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान (पुर्नविनियोग बजट)	33000000	शून्य
27.	270/XXIV-C-1/2022-04(15)/2018	12/4/2022	2022—23	———	3333000	मानक मद—56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	3333000	शून्य
28.	294/XXIV-C-1/2022-04(14)/2018	06/05/2022	2022—23	———	40000000	मानक मद—05 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	40000000	शून्य

मैनुअल संख्या : 12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें रीति आंबटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है.

उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को आयोजनागत मद में अनुदान/राजसहायता के अतंर्गत धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। उक्त धनराशि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के सामान्य कार्यकलापों एवं वेतन भत्तों हेतु तथा निर्माण कार्यों के मद में व्यय की जाती है। निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि सीधे निर्माण एजेसी को उपलब्ध करा दी जाती है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा भवन निर्माण समिति का गठन किया गया है जिसका स्वरूप निम्नवत है :–

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	लोक निर्माण विभाग के प्रमुख द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
3.	अभियांत्रिकी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा सिविल क्षेत्र से नामित 02 विशेषज्ञ	सदस्य
4.	वित्त नियन्त्रक	सदस्य
5.	विश्वविद्यालय के विद्या शाखा के निदेशकों से नामित आचार्य	सदस्य
6.	कुलसचिव	सदस्य सचिव

उक्त समिति द्वारा समय–समय पर निर्माण कार्य की देखरेख की जाती है। निर्माण एजेन्सी द्वारा प्रयुक्त की जा रही सामग्री का पंतनगर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ से परीक्षण कराया जाता रहा है।

<u>मैनुअल संख्या : 13</u>

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां.

उक्त के सम्बन्ध में अधिनियम एवं परिनियम में विश्वविद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है।

मैनुअल संख्या : 14

किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो.

विश्वविद्यालय की अधिकांश जानकारी बेवसाइट पर अपलोड की जाती है। इलैक्ट्रोनिक मोड में वर्तमान में उपलब्ध जानकारियॉ निम्नवत् हैं:–

1. विश्वविद्यालय सम्बन्धी सूचना जिसमें प्रस्तावना एवं उद्देश्य उल्लिखित हैं– हिन्दी तथा अंग्रेजी में।
2. विश्वविद्यालय में स्थापित विद्याशाखायें।
3. विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, प्राध्यापक एवं शोध एवं डिजाइन सेल के सम्बन्ध में सूचना– हिन्दी तथा अंग्रेजी में।
4. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश अर्हता, अवधि आदि की सूचना
5. विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया।
6. क्षेत्रीय निदेशकों तथा सहायक क्षेत्रीय निदेशकों एवं केन्द्रों के सम्बन्ध में सूचना।
7. विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के सम्बन्ध में सूचना जिसमें उन्हें आवंटित पाठ्यक्रम एवं कोर्स आदि उल्लिखित है के सम्बन्ध में सूचना।
8. विश्वविद्यालय का शैक्षिक कलेण्डर।
9. विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत विज्ञप्तियॉ।
10. विश्वविद्यालय विवरणिका।
11. आवश्यक प्रपत्र।
12. प्रेस कवरेज।
13. फोटो गैलेरी।
14. परीक्षा विषयक सूचना एवं परीक्षाफल।
15. निविदायें।
16. संयुक्त पाठ्यक्रमों तथा सहयोगियों की सूचना।
17. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित अधिकारियों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अध्ययन केन्द्रों के टेलीफोन एवं ई–मेल पता लाइव सपोट सिस्टम/ऑन लाइन काउन्सलिंग।

मैनुअल संख्या : 15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है.

इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की व्यवस्थाओं के अनुसार प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जाता है, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में शोधार्थी एवं शिक्षार्थी कार्यालय समयान्तर्गत पाठ्यसामग्री का पठन पाठन कर सकते हैं, पुस्तकालय में सामान्य आगन्तुकों को पत्र पत्रिकाऐं व समाचार पत्र पढ़ने व बैठने की व्यवस्था है, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु नियमानुसार पाठ्यसामग्री उपलब्ध है, पुस्तकालय संचालन हेतु नियमावली बनायी गई है।

मैनुअल संख्या : 16

लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

लोक सूचना अधिकारी का नाम	–	श्री विमल मिश्र
पद नाम	–	उप कुलसचिव
मोबाईल न0	–	8273885525
ई–मेल	–	**vkmishra@uou.ac.in**
सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम	–	श्रीमती रूचि आर्या
पद नाम	–	सहायक क्षेत्रीय निदेशक,
मोबाईल न0	–	7456811951
ई–मेल	–	**ruchiarya@uou.ac.in**
प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम	–	डॉ0 रश्मि पन्त,
पद नाम	–	कुलसचिव
मोबाईल न0	–	**9411162527**
ई–मेल	–	**registrar@uou.ac.in**
विश्वविद्यालय का पता	–	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, तीनपानी बाई पास रोड़, ट्रान्सपोर्टनगर के समीप, हल्द्वानी (नैनीताल) – 263139, उत्तराखण्ड।
विश्वविद्यालय दूरभाष न0	–	05946–286000
फैक्स न0	–	
वेबसाईट	–	**www.uou.ac.in**
ई0मेल	–	**info@uou.ac.in**
ई0मेल (आर0टी0आई0)	–	**rti@uou.ac.in**

मैनुअल संख्या : 17

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय.

क) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिये चयनित अध्ययन केन्द्रों की संख्या एवं अन्य विवरण :—

-:: Study Centres ::-

Sr. No.	Region	Center Code	Name & Address of Study Centers	Name Coordinator with Contact Email Address
01	Dehradun	11000	UCF Sadan, Vishnu Vihar, Near Prasar Bharti Kendra Ajabpurkalan, Dehradun – 248121	Shri Narendra Jaguri- 7500418040 11000@uou.ac.in
02	Dehradun	11017	Uttaranchal Ayurvedic College,17, Old Mussorie Road, Rajpur,City & Distt. – Dehradun,PIN – 248009 (Uttarakhand)	Dr. Akshay Kumar Gaur- 8476004768 11017@uou.ac.in
03	Dehradun	11020	SGRR PG college,Pathribagh, City & Distt. – Dehradun,PIN – 248001 (Uttarkhand)	Dr. Harsvardhan Pant 7055990555 11020@uou.ac.in
04	Dehradun	11101	Madhuban Academy of Hospitality Administration & Research (MAHAR),MAHAR-97, Campus Hotel Madhuban, Rajpur Road, Dehradun,,PIN – 248001	Shri Suraj Kumar, 9719925600 11101@uou.ac.in
05	Dehradun	11112	VSKC Govt. Degree College, Dakpather,DEHRADUN Distt. – Dehradun, PIN – 222481 (Uttarakhand)	Dr. Rakesh Mohan Nautiyal, 7895655228 11112@uou.ac.in
06	Dehradun	11113	UTTARANCHAL INSTITUTE OF HOSPITALITY MANAGEMENT AND TOURISM DEHRADUN,Ghar Vihar Phase 2, Mohakampur,City & Distt. Dehradun	Sh. Sanjay Joshi- 9568955464 11113@uou.ac.in
07	Dehradun	11115	D.D. College ,25, NIMBUWALA ,City & Distt. – Dehradun, PIN – 248 003 (Dehradun)	Shri Jitesh Singh- 7060411911 11115@uou.ac.in
08	Dehradun	11125	Pandit Lalit Mohan Sharma Govt. P.G.College, Rishikesh, Pin Code-249201	Dr Ved Prakash- 9760923214 11125@uou.ac.in
09	Dehradun	11126	M.P.G .College, Mussoorie, Distt- Dehradun, Uttarakhand	Smt. Lipika Kamboj- 8057277188 11126@uou.ac.in
10	Dehradun	11127	Universal Institute Professional Studies,102, Taj Complex, Ambedkar Chowk, Rishikesh	Shri Kushal Bisht- 9897788008 11127@uou.ac.in
11	Dehradun	11128	GOVERNMENT DEGREE COLLEGE , RAIPUR, POST OFFICE- MALDEVTA, RAIPUR DISTRICT- DEHRADUN RAIPUR, Uttarakhand	Dr Dimple Bhatt 9410548837 11128@uou.ac.in
12	Dehradun	11130	Sardar Mahipal Rajendra Degree College, Sahiya, Tehsil Kalsi, District- Dehradun, (Uttarakhand) Pin Code- 248196	Shri Deepak Bahuguna- 9456711579 11130@uou.ac.in
13	Dehradun	11131	UGTE (Universal Gairola Tourism & Technical Excellency) , Near Nepali Farm Tiraha, Dehradun Road Village Khairi Khurd, Shyampur , Rishikesh, Distt- Dehradun, Pin Code- 249204	Dr. Surendra Prasad Rayal 9897761496 11131@uou.ac.in
14	Dehradun	11132	Rishikesh Yog Dham Sansthan, Tapovan, Rishikesh, District- Tehri Garhwal Pin Code-249192	Dr. V P Kaparwan 9837973458 11132@uou.ac.in

15	Dehradun	11133	Institute of Technology & Management, 60 Chakrata road Dehradun	Prof. Pashupati Bhatt – 6399011333 11133@uou.ac.in
16	Dehradun	11134	Government Degree College, Pawki Devi	Dr. Sangeeta Bahuguna- 9412110268 11134@uou.ac.in
17	Dehradun	11135	Mahayogi Gurugorakhnath Degree College, Bithyani (Yamkeshwar) Post office- Chai Damrada, Distt- Pauri Garhwal Pin Code- 246121	Sri Ram Singh Samant- 7409150642 11135@uou.ac.in
18	Dehradun	11136	Sri Gulab Singh Rajkiya Mahavidyalaya Purodi, Mussoorie road, Chakrata, District-Dehradun Pin Code-248123	Dr. Sunil Kumar- 9639830380 11136@uou.ac.in
19	Dehradun	11137	Jagannath Vishwa College, Majri Grant, Lal tapper, Doiwala, Distt- Dehradun-248140	Shri Vikram Singh- 9997221256 11137@uou.ac.in
20	Dehradun	11138	S D M Government Post Graduate College, Post Bhaniyawala, Doiwala District Dehradun Pin -248001	Dr. S.S. Baludi- 8126321883 11138@uou.ac.in
21	Dehradun	11139	Nav Chetna College, Near Bala Sundari Temple, Village & Post- Manduwala, Dehradun Pin-248007	Shri Deepak Badoni – 7895929760 11139@uou.ac.in
22	Roorkee	12002	HEC PG College,Kanya Gurukul ,Campus, Near Chhoti Nehar , Kankhal, Haridwar,PIN -24940	Shri Tara Singh, 9358222796 12002@uou.ac.in
23	Roorkee	12008	BSM PG College,ROORKEE ,City – Roorkee, Distt. – Haridwar PIN – 247 667 (Uttarakhand)	Shri Rajnish Sharma- 9837006200 12008@uou.ac.in
24	Roorkee	12011	RMP PG College,Vill. & Post – Gurukul Narsan,City – Roorkee,Distt. – Haridwar, PIN – 247670 (Uttarakhand)	Dr. Savendra Singh- 9412465331 12011@uou.ac.in
25	Roorkee	12012	Chaman Lal Degree College Landhaura, City – Roorkee,Distt. – Haridwar, Uttarakhand PIN -247667	Dr. Deepa Agrawal- 9758243800 12012@uou.ac.in
26	Roorkee	12020	Vidhya Vikasini Degree College of Management & Technology, Gurukul Narsan , Haridwar	Dr. Priya Chaturvedi- 9837466104 12020@uou.ac.in
27	Roorkee	12034	Kunti Naman Degree College ,NH-58, Near Patanjali Yogpeeth Phase –II,Bhadedi, Rajputan,City – Roorkee,Distt. – Haridwar	Narendra Kumar- 9719925486 12034@uou.ac.in
28	Roorkee	12042	Government P.G College Kotdwar ,Distt- Pauri Garhwal Pin Code- 246149	Dr. Praveen Joshi-9412025727 12042@uou.ac.in
29	Roorkee	12047	Roorkee Divya Yog Sanshthan, Chudiyala Road, Bhagwanpur, City – Roorkee,Distt. – Haridwar	Mr. Amit Kumar - 9837179363 12047@uou.ac.in
30	Roorkee	12058	Sai Institute , Govindpuri, Haridwar, Distt. – Haridwar,Pin Code – 249401	Shri Sanjeev Sharma - 9368421419 12058@uou.ac.in
31	Roorkee	12061	Mohini Devi Degree College, Iqbalpur Road,Asaf Nagar(Near ShastriPuram) , City- Roorkee,Distt- Haridwar,Pin – 247667,Uttara khand	Ms. Maneesha Singhal - 8445003279 12061@uou.ac.in
32	Roorkee	12076	MAHENDRA SINGH DEGREE COLLEGE, BUDHWA SHAHID, BUGGAWALA, HARIDWAR VILLAGE- BUDHWA SHAHID POST-BUGGAWALA	Dr. Roma - 7900366764 12076@uou.ac.in
33	Roorkee	12078	Government Degree College , Manglour, Near Manakchowk District- Haridwar	Dr. Anurag – 9690423852 12078@uou.ac.in

34	Roorkee	12079	Hariom Saraswati P.G. College, Village & Post-Dhanauri, District-Haridwar	Shri. Sharad Kumar Pandey-9012271593 12079@uou.ac.in
35	Roorkee	12080	H E C Group of Institutions, Laksar Road Jagjeetpur Haridwar, Uttarakhand- Pin Code-249408	Dr. Mausmi Goel- 9358222793 12080@uou.ac.in
36	Roorkee	12081	Jhanvi Ayurveda Evam Yog Sansthan , Haripur Kalan Near Prem Vihar Chowk Haridwar, Pin Code- 249410	Shri Manoj Sharma-9411450656 12081@uou.ac.in
37	Roorkee	12082	Sita Ram Degree College, Sunhera, Roorkee, Distt-Haridwar Uttarakhand Pin Code-247667	Shri Arvind Vedwan-9557555776 12082@uou.ac.in
38	Roorkee	12083	Rishi Yog Sansthan, Purvi Nath Nagar, Jwalapur, Haridwar, Uttarakhand Pin Code-249407	Shri Vishal Mahindru-7417883329 12083@uou.ac.in
39	Roorkee	12084	Pherupur Degree College, Pherupur (Ramkhera) District- Haridwar, Pin Code-249404	Shri Naveen Kumar-7533879579 12084@uou.ac.in
40	Roorkee	12085	Swami Vivekanand College of Education, Matlabpur, Near Roorkee, District Haridwar- 247667	Dr. Sushil Bhadula-9027571658 12085@uou.ac.in
41	Roorkee	12086	Uttarakhand Sanskrit Academy, Ranipurjhal, Jwalapur Distt- Haridwar- 249407	Dr. Harish Chandra Gururani-9837149064 12086@uou.ac.in
42	Roorkee	12087	Mahaila Mahavidhyalaya (PG) College, Satikund, Kankhal, Haridwar	Dr. Meenakshi Gupta-8126806863 12087@uou.ac.in
43	Roorkee	12088	Uttarakhand Sanskrit University, Bahadrabad Haridwar, Uttarakhand	Dr. Manoj Kishor Pant 7983706560 12088@uou.ac.in
44	Roorkee	12089	Government Degree College, Laksar, Distt-Haridwar, Uttarakhand- 247663	Dr. Anjani Prasad Dubey-9453515020 12089@uou.ac.in
45	Pauri	14003	Government Degree College; Degree College Vedikhal (Pauri Garhwal)	Dr. Avtar Singh Negi - 8755882229 14003@uou.ac.in
46	Pauri	14005	Govt. P.G. College Lansdowne (Jaiharikhal) Garhwal, City – Jaiharikhal,PIN – 246193 (Uttarakhand)	Dr. Diwakar Chandra Bebni-9410114009 14005@uou.ac.in
47	Pauri	14009	H.N.B. Garhwal Central University Campus, Pauri,City– Pauri, Distt. – Pauri Garhwal, PIN – 246001 (Uttarakhand)	Dr. M C Purohit 7055397380 14009@uou.ac.in
48	Pauri	14018	Government PG College, Agastyamuni, ,City - Agastyamuni,Distt. – Rudraprayag,PIN – 246421	Dr. L D Gagrya- 9412935904 14018@uou.ac.in
49	Pauri	14046	Govt. Degree College Chandrabadni ,P.O. Jamnikhal, Tehri Garhwal (Naikhari)Pin - 249112 (Uttarakhand	Dr. Richa Gahlot- 9027005091 14046@uou.ac.in
50	Pauri	14047	Govt. Degree College ,Nagnath Pokhari, Chamoli, PIN - 246473 (Uttarakhand)	Dr. Sanjeev Kumar Juyal, 9412115761 14047@uou.ac.in
51	Pauri	14048	Than Singh Rawat Govt Degree College, Nainidanda Patotia,District – Pauri Garhwal,Pin Code – 246277	Dr. Vivek Kumar Kedia, 8755614449 14048@uou.ac.in
52	Pauri	14049	Government Degree College, Thalisain (Pauri)	Dr. Jagsish Chandra Bhatt-

			Thalisain Post office- Thalisain Patti Choprakot, District- PAURI	9410786555 14049@uou.ac.in
53	Pauri	14050	Government Degree College, Chaubattakhal Pin Code- 246162	Dr. Praveen Kumar Dhobal 9690636549 14050@uou.ac.in
54	Pauri	14051	Government Degree College, Mazra Mahadev, Village- Sunar Gaon, Post office-Chaura, District-Pauri Garhwal- 246130	Dr. Rakesh Chandra Joshi- 9760785039 14051@uou.ac.in
55	Uttarkashi	15016	RCU Govt. P.G. College Uttarkashi, Near Azad Maidan/ Police Kotwali, City –Uttarkashi- 249193	Dr. Devendra Dutt Painuly, 9410781617 15016@uou.ac.in
56	Uttarkashi	15024	P.S.B. Govt. Degree College ,Lambgaon,P.O. – Lambgaon, Tehsil - Pratapnagar, Distt.- Tehri Garhwal ,PIN – 249165	Dr. Bharat Singh Chufal- 9557661778 15024@uou.ac.in
57	Uttarkashi	15027	Rajendra Singh Rawat Govt. Degree College,Barkot ,Distt- Uttarkashi ,Pincode- 249193	Dr. Jagdish Chandra- 9557937241 15027@uou.ac.in
58	Uttarkashi	15028	Government Degree College, Thatyur District-Tehri Garhwal- Pin Code- 249180	Dr. Rajesh Singh- 9627554641 15028@uou.ac.in
59	Uttarkashi	15029	Government Post Graduate College, New Tehri, Distt- Tehri Garhwal	Dr. D P S Bhandari, 9412921719 15029@uou.ac.in
60	Uttarakshi	15030	B L J Govt. Degree College Purola, Distt-Uttarkashi- 249185	Shri Krishna Dev Raturi 9639825252 15030@uou.ac.in
61	Haldwani	16000	UOU Model Study Centre,UTTARAKHAND OPEN UNIVERISYT, HQ, University Road, Behind Transport Nagar (Teenpani Bypass), Haldwani-263 139	Dr.Dinesh Kumar– 9837875234 16000@uou.ac.in
62	Haldwani	16003	Amrapali Institute of Applied Sciences,Shiksha Nagar, Lamachaur, City – Haldwani,Distt. – Nainital,Pin Code– 263139	Shri Pankaj Pandey, 7055500715 16003@uou.ac.in
63	Haldwani	16022	PNG Government PG College,PNGP PG College Ramnagar, City – Ramnagar,Distt. – Nainital	Dr. Kiran Kumar Pant, 9410779508 16022@uou.ac.in
64	Haldwani	16023	S.B.S Government P.G College,Fazalpur Mahraula, Rampur Road, City – Rudrapur,Distt. - U.S Nagar	Dr. Harish Chnadra - 9997803455 16023@uou.ac.in
65	Haldwani	16034	M.B.P.G College,Nainital Road, Haldwani (Nainital),Uttarakhand Pin : 263139	16034@uou.ac.in
66	Haldwani	16047	Renaissance College of Hotel Management & Catering Techonology,Vill.- Basai, PO- Peerumadara, Ramnagar,Distt. – Nainital, PIN - 244715	Mr. Jitendra Joshi 9927083058 16047@uou.ac.in
67	Haldwani	16052	Radhey Hari Government Degree College Kashipur,P.O. – Kashipur, Tehsil – Kashipur,Distt. - U.S Nagar- 244713	Dr. Mahipal Singh 9412518666 16052@uou.ac.in
68	Haldwani	16071	Govt. Degree College, Kotabagh,Vill. – Selsiya,Chak Dhauladi,Block – Kotabagh, Distt.- Nainital	Dr. H. C Joshi 9456780252 16071@uou.ac.in
69	Haldwani	16072	Pt. Poornand Tiwari Government Degree College Doshapani, Pokhrad,P.O.– Pokhrad, Tehsil – Dhari,Distt. Nainital,Pin Code– 263136	Dr. R S Bhakuni 9412364210 16072@uou.ac.in
70	Haldwani	16090	H.N.B. Govt. PG College ,Near Telephone Exchange Khatima Distt- (U.S.Nagar)	Dr. Ashutosh Kumar 9412986341

				16090@uou.ac.in
71	Haldwani	16097	PAL COLLEGE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT RTO ROAD KUSUMKHERA HALDWANI	Shri Kavitt Suyal – 8800000358 16097@uou.ac.in
72	Haldwani	16100	Chankya Law College, Village- Bhamrola, Kichha Road Rudrapur , District-Udham Singh Nagar (Uttarakhand)	Smt- Deepakshi Joshi- 8057203116 16100@uou.ac.in
73	Haldwani	16101	Govt. Degree College,Vill – Banbasa,P.O. – Chandani, Tehsil – Tanakpur,Distt.- Champawat,PIN – 262310	Dr. Dinesh Kumar Gupta- 9453770341 16101@uou.ac.in
74	Haldwani	16104	Uttarakhand Ayurvedic College,Panchayat Ghar, Rampur road, Haldwani,Distt.– Nainital,PIN – 263139	Shri Vimal Katiyar 9897110510 16104@uou.ac.in
75	Haldwani	16116	Govt. Degree College,Tanakpur,Distt- Champawat, Pincode- 262309, (Uttarakhand)	Dr. Hariom Prakash Singh 9719239945 16116@uou.ac.in
76	Haldwani	16117	Indira Priyadarshni Govt. P G Women Commerce College,Nawabi Road,Haldwani,Distt – Nainital	Dr. Fakeer Singh, 9412504182 16117@uou.ac.in
77	Haldwani	16118	Govt. Degree College,Sitarganj,Village – Sisouna,Distt- Udham Singh Nagar,Pincode- 262405	Shri Bhuwnesh Kumar 8979561612 16118@uou.ac.in
78	Haldwani	16119	R.L.S MEMORIAL DEGREE COLLEGE JASPUR NH-74,AFZALGARH ROAD KISHANPUR TEH-JASPUR	Mohd. Salim, 7351986736 16119@uou.ac.in
79	Haldwani	16120	Govt. P G College,Village – Rani Nangal, Fauzi Colony,Tehsil – Bazpur,Distt- Udham Singh Nagar	Dr. Satya Prakash Sharma, 9412929795 16120@uou.ac.in
80	Haldwani	16121	Dr. Sushila Tiwari Private degree College, Chintimazra, Sitarganj,Post- Sitarganj,Distt- Udham Singh Nagar,	Dr. Seema Sukheja- 9760445951 16121@uou.ac.in
81	Haldwani	16122	GOVERNMENT DEGREE COLLEGE, PATLOT DISTRICT-NAINITAL	Dr. Abha Tripathi- 8126487969 16122@uou.ac.in
82	Haldwani	16123	Lal Bahadur Shastri Government Degree College, Halduchaur, Haldwani, District- Nainital (Uttarakhand) Pin Code- 263139	Dr. Sunil Pant-9412017307 16123@uou.ac.in
83	Haldwani	16124	Vasudev College of Law, Lamachaur, Haldwani District-Nainital, Pin Code- 263139	Dr. Madhevi Joshi- 9758395228 16124@uou.ac.in
84	Haldwani	16125	MIET Kumaun Engineering College, Lamachaur, Haldwani District- Nainital Pin Code- 263139	Shri Tarun Kumar – 9720615304 16125@uou.ac.in
85	Haldwani	16126	Devsthali Vidyapeeth (Department of Professional Education), Kachchi Khamariya, Post office Lalpur, Kichcha Rudrapur road Rudrapur Distt-Udham Singh Nagar-263148	Sri Gurpreet Singh- 9917130150 16126@uou.ac.in
86	Haldwani	16127	Aman Education Trust (Educity Institute), Village Majhola, Tehsil Khatima. Distt- Udham Singh Nagar Pin Code-262308	Shri Jagjeet Singh- 9719595193 16127@uou.ac.in
87	Haldwani	16128	Government Degree College, Kichha, Distt Udham Singh Nagar- 263148	Dr. Naresh Kumar – 9412451665 16128@uou.ac.in
88	Haldwani	16129	Government Degree College, Maldhanchaur Tehsil Ramnagar, Distt-Nainital 244713	Shri Rakesh Bisht – 9760259733 16129@uou.ac.in

89	Ranikhet	17007	Govt. P.G. College Ranikhet,Distt.- Almora Pin - 263645	Dr. J S Rawat , 9410958526 17007@uou.ac.in
90	Ranikhet	17013	Govt. P.G. College Dwarahat, City – Dwarahat, Distt.- Almora, PIN– 263 653 (Uttarakhand	Dr. Nazish Khan- 9897443821 17013@uou.ac.in
91	Ranikhet	17030	Government Degree College,Karanprayag, Distt. – Chamoli,PIN–246444 (Uttarakhand)	Dr. Ramesh Chandra Bhatt 9456153590 17030@uou.ac.in
92	Ranikhet	17059	Government Degree College, Bhikiyasen , Distt- Almora , Uttarakhand	Dr. Kamal Kishore – 9760433632 17059@uou.ac.in
93	Ranikhet	17062	Govt. Degree College ,P.O.- Chaukhutia (Ganai) Distt. Almora,PIN - 263656 (Uttarakhand)	Dr. Siraz Ahmad - 9917314786 17062@uou.ac.in
94	Ranikhet	17063	Government Degree College, Gairsain, Dstt Chamoli Pin Code- 246428	Dr. Ram Chandra Negi , 7895973342 17063@uou.ac.in
95	Ranikhet	17065	Govt. Degree College.,Address- Bhatronjkhan Distt- Almora, Pin Code- 263646	Dr. S.K. Singh 9837987639 17065@uou.ac.in
96	Ranikhet	17066	S.R.D.U. GOVERNMENT P.G. COLLEGE , MANILA, ALMORA PIN CODE- 263667	Dr. Vikas Dubey – 9412150238 17066@uou.ac.in
97	Ranikhet	17067	Government Post Graduate College, Siyalde (Almora)	Dr. Gokul Singh Satyal , 9410184248 17067@uou.ac.in
98	Ranikhet	17068	Government Post Graduate College, Gopeshwar (Chamoli), Uttarakhand Pin Code-246401	Dr. Akhilesh Kukreti – 9528021480 17068@uou.ac.in
99	Ranikhet	17069	Kumaun University S S J Campus, Almora, Distt- Almora	Prof. P S Bisht- 9412092013 17069@uou.ac.in
100	Ranikhet	17070	Shri Ram Singh Dhoni Government Degree College, Jainti, District- Almora, Pin Code- 263626	Dr. Renu Loshali- 7351091668 17070@uou.ac.in
101	Ranikhet	17071	Hukum Singh Bora Govt. Degree College, Someshwar District-Almora Pin Code-263637	Dr. C. P. Verma 9897872363 17071@uou.ac.in
102	Ranikhet	17072	Government Degree College, Nandasain, Post office- Malai, District- Chamoli (Uttarakhand) 246487	Dr. A.C. Vishwakarma – 880898226 17072@uou.ac.in
103	Ranikhet	17073	Government Degree College, Gurudabaj, Tehsil bhanoli, District-Almora- 263623	Dr. Manju Chandra- 9410309610 17073@uou.ac.in
104	Ranikhet	17074	Government Degree College, Masi (Almora)	Dr. Sanjeev Kumar 9917342327 17074@uou.ac.in
105	Ranikhet	17075	Government Post Graduate College, Joshimath Distt- Chamoli-246443	Shri Nandan Singh Rawat- 7500042842 17075@uou.ac.in
106	Pithoragarh	18002	L .S. M. Govt. P.G. College, Pithoragarh ,Distt Pithoragarh PIN – 262502	Dr. Jeevan Singh Garia, 9412344737 18002@uou.ac.in
107	Pithoragarh	18004	Govt. P.G. College,Post - Narayan Nagar,Tehsil – Didihat,Distt-Pithoragarh,PIN–262550	Dr. Pramod Kothari 9412093637 18004@uou.ac.in
108	Pithoragarh	18011	Govt. P.G. College ,Vill. Chori, Lohaghat, Distt. Champawat, Pin – 262524 (Uttarakhand)	Dr. Vimla Devi- 9411900411 18011@uou.ac.in
109	Pithoragarh	18029	Govt. Degree College,Fulara Gaon, Champawat, Distt.	Dr. B P Oli- 9412042292

			– Champawat, PIN-262523 (Uttarakhand)	18029@uou.ac.in
110	Pithoragarh	18031	Govt. Degree College ,Post – Baluwakote, Tehsil - Dharchula,Distt. – Pithoragarh, PIN – 262576	Dr. Jagat Singh Kathayat 9412952139 18031@uou.ac.in
111	Pithoragarh	18032	Govt. PG College,Berinag, Distt.- Pithoragarh,PIN– 262531	Dr. J N Pant, 9756536121, 9411347657 18032@uou.ac.in
112	Pithoragarh	18033	Govt. Degree College, Gangolihat, Distt. – Pithoragarh, PIN–262522	Dr. Veeru Rajbhar 9118870272 18033@uou.ac.in
113	Pithoragarh	18035	Govt. Degree College, Address- Ganai Gangoli, Distt- PithoragarhPin- 262532	Dr. Munish Kumar Pathak, 9690770069 18035@uou.ac.in
114	Pithoragarh	18036	Govt. Degree College, Muwani, Distt- Pithoragarh, Pin- 262572	Dr. Ashish Kumar Gupta, 9336076924 18036@uou.ac.in
115	Pithoragarh	18037	Govt. Degree College, Amodi, Distt- Champawat ,Pin- 262523	Dr. Sanjay Kumar- 9412943265 18037@uou.ac.in
116	Pithoragarh	18038	Government Degree College, Munsyari (Pithoragarh)	Dr. Pradeep Mandol - 9091949198 18038@uou.ac.in
117	Pithoragarh	18039	GOVERNMENT DEGREE COLLEGE, DEVIDHURA DISTRICT- CHAMPAWAT	Dr. S K Singh- 8006759831 18039@uou.ac.in
118	Bageshwar	19001	Govt. P.G.College,Kathayatbara ,Bageshwar PIN-263642 (Uttarakhand)	Dr. Lalit Mohan -9410965615 19001@uou.ac.in
119	Bageshwar	19016	Late Chandra Singh Shahi,Govt Degree College; Kapkot, Post-Ason, Tahsil-Kapkot, Kapkot, Distt. – Bageshwar,PIN-263632 (Uttarakhand)	Dr. Munna Joshi,-9690114546 19016@uou.ac.in
120	Bageshwar	19022	Govt. Degree College,Kanda, Distt- Bageshwar Pin Code- 263631	Pr. Dinesh Joshi- 8755086027 19022@uou.ac.in
121	Bageshwar	19023	Govt. PG College, Talwari,Tharali,Distt- Chamoli Pin Code- 246482	Shri Shankar Ram- 7017143861 19023@uou.ac.in
122	Bageshwar	19024	Govt. Degree College,Garur, Distt-Bageshwar Pin Code- 263641	Prof. V. S. Sharma 9897737850 19024@uou.ac.in

ख) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों में प्रभावी नियन्त्रण समनवयक हेतु गठित क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण :–

CODES AND ADDRESSES OF REGIONAL CENTRES

S.N.	Regional Centre	Code	Regional Director	Assistant Rigional Director	Address	E-mail
1	Dehradun	11	Dr. Sandeep Negi 9412031183 0135-2720027	**Anil Kandari 9084124647**	Sri Guru Ram Rai PG College (SGRR), Pathribagh, Dehradun	dehradun@uou.ac.in
2	Roorkee	12	Dr. Gautam Veer 7895360001 01332-274365	**Ruchi Arya 7456811951**	B.S.M PG College, Roorkee	roorkee@uou.ac.in

3	Pauri	14	Prof. A. K Dobriyal 9412960687 01368-223308	**Bhasker Chandra Joshi 8279611074**	H.N.B Garhwal University,Pauri Campus	pauri@uou.ac.in
4	Uttarkashi	15	Dr Suresh Chandra 9557557880 01374-222004	**Govind Singh 7818871463**	RCU Government PG College, Uttarkashi	uttarkashi@uou.ac.in
5	Haldwani	16	Dr. Rashmi Pant 9411162527 05946-284149	**Brijesh Kumar Bankoti 7534098691**	M.B P.G. College, Haldwani	haldwani@uou.ac.in
6	Ranikhet	17	Dr. R K Singh 9997290990 05966-220474	**Priyanka Lohani Pandey 9761237775**	Government PG College, Ranikhet	ranikhet@uou.ac.in
7	Pithoragarh	18	Dr Vipin Chandra Pathak 9412093678 05964-264015	**Pankaj Kumar 8191003873**	Government PG College, Pithoragarh	pithoragarh@uou.ac.in
8	Bageshwar	19	Dr. S.S Dhapola 9412105310 05963-221894	**Rekha Bisht 8279959931**	Government PG College, Bageshwar	bageshwer@uou.ac.in

-:: Regional Centres wise total Study Center::-

S.No.	Name of the Regional Centre	No. of Study Centres	State	District
1	Dehradun	21	Uttarakhand	Dehradun
2	Roorkee	23	Uttarakhand	Haridwar
3	Pauri	10	Uttarakhand	Pauri
4	Uttarkashi	06	Uttarakhand	Uttarkashi
5	Haldwani	28	Uttarakhand	Nainital
6	Ranikhet	17	Uttarakhand	Almora
7	Pithoragarh	12	Uttarakhand	Pithoragarh
8	Bageshwar	05	Uttarakhand	Bageshwar
	Total	**122**		

ग) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत शिक्षार्थियों का विवरणः–

(सत्र 2021–22) 30 जून 2022 की स्थिति

SESSION	PROG CODE	PROG NAME	YEAR/SEM	NO OF STUDENT
JANUARY-2022	BA-16	Bachelor of Arts	2	1
JANUARY-2022	BA-16	Bachelor of Arts	3	9
JANUARY-2022	BA-17	Bachelor of Arts	2	2779
JANUARY-2022	BA-17	Bachelor of Arts	3	2246
JANUARY-2022	BA-21	BACHELOR OF ARTS	1	2994
JANUARY-2022	BAG-17	Bachelor of Art with Geography	1	2
JANUARY-2022	BAG-17	Bachelor of Art with Geography	2	1
JANUARY-2022	BAG-17	Bachelor of Art with Geography	3	3
JANUARY-2022	BAG-21	Bachelor of Art with Geography	1	16
JANUARY-2022	BAM-17	Bachelor of Art with Mathematics	2	5
JANUARY-2022	BAM-17	Bachelor of Art with Mathematics	3	6
JANUARY-2022	BAM-21	Bachelor of Art with Mathematic	1	16
JANUARY-2022	BAY-17	Bachelor of Arts (Yoga)	2	14
JANUARY-2022	BAY-17	Bachelor of Arts (Yoga)	3	33
JANUARY-2022	BAY-21	Bachelor of Arts (Yoga)	1	26
JANUARY-2022	BBA-17	Bachelor of Business Administration	2	5
JANUARY-2022	BBA-17	Bachelor of Business Administration	3	13
JANUARY-2022	BBA-17	Bachelor of Business Administration	4	14
JANUARY-2022	BBA-17	Bachelor of Business Administration	5	13
JANUARY-2022	BBA-17	Bachelor of Business Administration	6	6
JANUARY-2022	BBA-21	Bachelor of Business Administration	1	17
JANUARY-2022	BBA-21	Bachelor of Business Administration	2	21
JANUARY-2022	BCA-17	Bachelor of Computer Applications	2	2
JANUARY-2022	BCA-17	Bachelor of Computer Applications	3	16

JANUARY-2022	BCA-17	Bachelor of Computer Applications	4	25
JANUARY-2022	BCA-17	Bachelor of Computer Applications	5	13
JANUARY-2022	BCA-17	Bachelor of Computer Applications	6	13
JANUARY-2022	BCA-21	Bachelor of Computer Applications	1	23
JANUARY-2022	BCA-21	Bachelor of Computer Applications	2	47
JANUARY-2022	BCOM-16	Bachelor of Commerce	3	1
JANUARY-2022	BCOM-17	Bachelor of Commerce	2	219
JANUARY-2022	BCOM-17	Bachelor of Commerce	3	168
JANUARY-2022	BCOM-21	Bachelor of Commerce	1	228
JANUARY-2022	BED-17	Bachelor of Education (B.Ed.)	3	1
JANUARY-2022	BED-17	Bachelor of Education (B.Ed.)	4	94
JANUARY-2022	BED-21	Bachelor of Education (B.Ed.)	2	307
JANUARY-2022	BEDSEDEHI-21	B.Ed. Spl. Edu.(Hearing Impairment)	2	91
JANUARY-2022	BEDSEDEVI-21	B.Ed. Spl. Edu.(Visual Impairment)	2	68
JANUARY-2022	BEDSELD-19	BACHELOR OF SPECIAL EDUCATION-(LEARNING DISABILITY) - B.Ed. spl. Ed	2	1
JANUARY-2022	BEDSELD-19	BACHELOR OF SPECIAL EDUCATION-(LEARNING DISABILITY) - B.Ed. spl. Ed	3	13
JANUARY-2022	BEDSELD-19	BACHELOR OF SPECIAL EDUCATION-(LEARNING DISABILITY) - B.Ed. spl. Ed	4	74
JANUARY-2022	BEDSELD-19	BACHELOR OF SPECIAL EDUCATION-(LEARNING DISABILITY) - B.Ed. spl. Ed	5	9
JANUARY-2022	BEDSELD-21	BACHELOR OF SPECIAL EDUCATION-(LEARNING DISABILITY) - B.Ed. spl. Ed	2	81
JANUARY-2022	BEDSEMR-19	BACHELOR OF SPECIAL EDUCATION-(MENTAL RETARDATION) - B.Ed. spl. Ed.	2	1
JANUARY-2022	BEDSEMR-19	BACHELOR OF SPECIAL EDUCATION-(MENTAL RETARDATION) - B.Ed. spl. Ed.	3	11
JANUARY-2022	BEDSEMR-19	BACHELOR OF SPECIAL EDUCATION-(MENTAL RETARDATION) - B.Ed. spl. Ed.	4	79
JANUARY-2022	BEDSEMR-19	BACHELOR OF SPECIAL EDUCATION-(MENTAL RETARDATION) - B.Ed. spl. Ed.	5	18
JANUARY-2022	BEDSEMR-21	BACHELOR OF SPECIAL EDUCATION-(MENTAL RETARDATION) - B.Ed. spl. Ed.	2	109
JANUARY-2022	BHM-17	Bachelor of Hotel Management	6	2
JANUARY-2022	BHM-17	Bachelor of Hotel Management	7	6
JANUARY-2022	BHM-17	Bachelor of Hotel Management	8	31
JANUARY-2022	BLIS-21	Bachelor of Library & Information Science	1	60
JANUARY-2022	BLIS-21	Bachelor of Library & Information Science	2	29
JANUARY-2022	BSC-17	Bachelor of Science	1	2
JANUARY-2022	BSC-17	Bachelor of Science	2	12
JANUARY-2022	BSC-17	Bachelor of Science	3	5
JANUARY-2022	BSCG-21	Bachelor of Science	1	53
JANUARY-2022	BSCS-18	Bachelor of Science(Single Subject)	1	1
JANUARY-2022	BSCS-18	Bachelor of Science(Single Subject)	2	1
JANUARY-2022	BSCS-18	Bachelor of Science(Single Subject)	3	4
JANUARY-2022	BSCS-21	Bachelor of Science (Single Subject)	1	20
JANUARY-2022	BTTM-16	Bachelor of Tourism and Travel Management	8	1
JANUARY-2022	BTTM-17	Bachelor of Tourism and Travel	3	5

		Management		
JANUARY-2022	BTTM-17	Bachelor of Tourism and Travel Management	4	1
JANUARY-2022	BTTM-17	Bachelor of Tourism and Travel Management	6	2
JANUARY-2022	BTTM-17	Bachelor of Tourism and Travel Management	7	2
JANUARY-2022	BTTM-21	Bachelor of Tourism and Travel Management	1	3
JANUARY-2022	BTTM-21	Bachelor of Tourism and Travel Management	2	8
JANUARY-2022	CAFN-17	Certificate in Ayurvedic Food and Nutrition	1	6
JANUARY-2022	CAHC-17	Certificate in Ayurvedic Herb Cultivation	1	3
JANUARY-2022	CCA-17	Certificate in Computer Application	1	1
JANUARY-2022	CCDS-21	Certificate course in Development Studies	1	1
JANUARY-2022	CCOM-17	Certificate Course in Office Management	1	2
JANUARY-2022	CCPR-17	Certificate Course in Panchayati Raj	1	8
JANUARY-2022	CCRT-21	Certificate in Community Radio Technology	1	2
JANUARY-2022	CDSA-21	Certificate in Data Science & Applications	1	6
JANUARY-2022	CEGCS-19	Certificate in e-Governance and Cyber Security	1	2
JANUARY-2022	CFN-18	Certificate Course in Food & Nutrition	1	6
JANUARY-2022	CHBC-17	Certificate in Herbal Beauty Care	1	2
JANUARY-2022	CIN-17	Certificate in Naturopathy	1	23
JANUARY-2022	CKL-21	Certificate in Kumauni Language	1	1
JANUARY-2022	CNL-21	Certificate in Nepali Language	1	1
JANUARY-2022	COASS-21	Certificate in Office Automation & Soft Skills	1	1
JANUARY-2022	COF-17	Certificate in Organic Farming	1	3
JANUARY-2022	CPJ-17	Certificate in Phalit Jyotish	1	4
JANUARY-2022	CRTI-21	Certificate in Right to Information.	1	2
JANUARY-2022	CSL-17	Certificate in Sanskrit Language	1	2
JANUARY-2022	CVDMM-21	C. Voc. (Digital Marketing & Management)	1	7
JANUARY-2022	CVEOM-21	C. Voc. (Soft Skill & E- Office Management)	1	3
JANUARY-2022	CVK-17	Certificate in Vedic Karmkand	1	6
JANUARY-2022	CYS-17	Certificate in Yogic Sciences	1	4
JANUARY-2022	DCA-21	Diploma in Computer Applications	1	13
JANUARY-2022	DCH-17	Diploma in Commercial Horticulture	1	4
JANUARY-2022	DCH-17	Diploma in Commercial Horticulture	2	2
JANUARY-2022	DGIS-21	DIPLOMA IN GEO INFORMATICS	1	3
JANUARY-2022	DHA-19	Diploma in Hospitality Administration	1	21
JANUARY-2022	DIT-17	Diploma in Information Technology	1	5
JANUARY-2022	DIT-17	Diploma in Information Technology	2	6
JANUARY-2022	DMA-20	Diploma in Medical Astrology	1	3

JANUARY-2022	DPHCN-19	Diploma in Public Health & Community Nutrition	1	7
JANUARY-2022	DPHCN-19	Diploma in Public Health & Community Nutrition	2	17
JANUARY-2022	DPJ-17	Diploma in Phalit Jyotish	1	8
JANUARY-2022	DRTI- 17	Diploma in Right to Information	2	1
JANUARY-2022	DTS-17	Diploma in Tourism Studies	1	4
JANUARY-2022	DVAPFV-17	Diploma in Value Added Products from Fruits and Vegetables	1	1
JANUARY-2022	DVDMM-21	D. Voc. (Digital Marketing & Management)	1	5
JANUARY-2022	DVDMM-21	D. Voc. (Digital Marketing & Management)	2	15
JANUARY-2022	DVEOM-21	D. Voc. (Soft Skill & E- Office Management)	1	5
JANUARY-2022	DVEOM-21	D. Voc. (Soft Skill & E- Office Management)	2	3
JANUARY-2022	DVK-17	Diploma in Vedic karmakand	1	72
JANUARY-2022	DVS-20	Diploma in Vastu Shashtra (वास्तु शास्त्र में डिप्लोमा)	1	14
JANUARY-2022	DVTEE-19	D. Voc. (Technology Enabled Education)	2	1
JANUARY-2022	DVTEE-21	D. Voc. (Technology Enabled Education)	1	2
JANUARY-2022	DVTEE-21	D. Voc. (Technology Enabled Education)	2	1
JANUARY-2022	DYS-17	Diploma in Yogic Science	1	29
JANUARY-2022	FC-SEDE	Foundation Course in special education	1	21
JANUARY-2022	MAEC-17	Master of Arts (Economics)	2	19
JANUARY-2022	MAEC-20	M.A.ECONOMICS (एम0ए0अर्थशास्त्र)	2	14
JANUARY-2022	MAEC-20	M.A.ECONOMICS (एम0ए0अर्थशास्त्र)	3	74
JANUARY-2022	MAEC-20	M.A.ECONOMICS (एम0ए0अर्थशास्त्र)	4	283
JANUARY-2022	MAEC-21	M.A.ECONOMICS (एम0ए0अर्थशास्त्र)	1	332
JANUARY-2022	MAEC-21	M.A.ECONOMICS (एम0ए0अर्थशास्त्र)	2	352
JANUARY-2022	MAED-16	Master of Arts in Education	2	1
JANUARY-2022	MAED-17	Master of Arts (Education)	2	9
JANUARY-2022	MAED-20	Master of Arts in Education (शिक्षाशास्त्र में कला परास्नातक)	2	9
JANUARY-2022	MAED-20	Master of Arts in Education (शिक्षाशास्त्र में कला परास्नातक)	3	58
JANUARY-2022	MAED-20	Master of Arts in Education (शिक्षाशास्त्र में कला परास्नातक)	4	119
JANUARY-2022	MAED-21	Master of Arts in Education (शिक्षाशास्त्र में कला परास्नातक)	1	124
JANUARY-2022	MAED-21	Master of Arts in Education (शिक्षाशास्त्र में कला परास्नातक)	2	166
JANUARY-2022	MAEL-17	Master of Arts (English)	2	21
JANUARY-2022	MAEL-20	Master of Arts (English)	2	23
JANUARY-2022	MAEL-20	Master of Arts (English)	3	189
JANUARY-2022	MAEL-20	Master of Arts (English)	4	306
JANUARY-2022	MAEL-21	Master of Arts(English)	1	440

JANUARY-2022	MAEL-21	Master of Arts(English)	2	457
JANUARY-2022	MAGE-19	MASTER OF ARTS(GEOGRAPHY)	2	1
JANUARY-2022	MAGE-20	Master of Arts in Geography (एम॰ए॰ भूगोल)	2	2
JANUARY-2022	MAGE-20	Master of Arts in Geography (एम॰ए॰ भूगोल)	3	23
JANUARY-2022	MAGE-20	Master of Arts in Geography (एम॰ ए॰ भूगोल)	4	49
JANUARY-2022	MAGE-21	Master of Arts in Geography (एम॰ ए॰ भूगोल)	1	43
JANUARY-2022	MAGE-21	Master of Arts in Geography (एम॰ ए॰ भूगोल)	2	36
JANUARY-2022	MAGIS-20	MASTER OF ARTS (GEO INFORMATICS) – MA (GEO INFORMATICS)	3	3
JANUARY-2022	MAGIS-20	MASTER OF ARTS (GEO INFORMATICS) – MA (GEO INFORMATICS)	4	2
JANUARY-2022	MAGIS-21	MASTER OF ARTS (GEO INFORMATICS) – MA(GEO INFORMATICS)	1	9
JANUARY-2022	MAGIS-21	MASTER OF ARTS (GEO INFORMATICS) – MA(GEO INFORMATICS)	2	5
JANUARY-2022	MAHI-17	Master of Arts (History)	2	21
JANUARY-2022	MAHI-20	M.A. HISTORY (एम0ए0इतिहास)	2	24
JANUARY-2022	MAHI-20	M.A. HISTORY (एम0ए0इतिहास)	3	116
JANUARY-2022	MAHI-20	M.A. HISTORY (एम0ए0इतिहास)	4	269
JANUARY-2022	MAHI-21	M.A. HISTORY (एम0ए0इतिहास)	1	319
JANUARY-2022	MAHI-21	M.A. HISTORY (एम0ए0इतिहास)	2	336
JANUARY-2022	MAHL-17	Master of Arts (Hindi) मास्टर ऑफ आर्ट्स (हिंदी)	2	23
JANUARY-2022	MAHL-20	Master of Arts (Hindi) मास्टर ऑफ आर्ट्स (हिंदी)	2	24
JANUARY-2022	MAHL-20	Master of Arts (Hindi) मास्टर ऑफ आर्ट्स (हिंदी)	3	112
JANUARY-2022	MAHL-20	Master of Arts (Hindi) मास्टर ऑफ आर्ट्स (हिंदी)	4	287
JANUARY-2022	MAHL-21	Master of Arts (Hindi) मास्टर ऑफ आर्ट्स (हिंदी)	1	362
JANUARY-2022	MAHL-21	Master of Arts (Hindi) मास्टर ऑफ आर्ट्स (हिंदी)	2	413
JANUARY-2022	MAHS-19	MASTER OF ARTS (Home Science)	3	10
JANUARY-2022	MAHS-19	MASTER OF ARTS (Home Science)	4	38
JANUARY-2022	MAHS-21	MASTER OF ARTS (Home Science)	1	24
JANUARY-2022	MAHS-21	MASTER OF ARTS (Home Science)	2	44
JANUARY-2022	MAJMC-17	Master of Arts (Journalism and Mass Communication)	3	1
JANUARY-2022	MAJMC-17	Master of Arts (Journalism and Mass Communication)	4	1
JANUARY-2022	MAJMC-19	Master of Arts	2	3

		(Journalism and Mass Communication)		
JANUARY-2022	MAJMC-19	Master of Arts (Journalism and Mass Communication)	3	17
JANUARY-2022	MAJMC-19	Master of Arts (Journalism and Mass Communication)	4	52
JANUARY-2022	MAJMC-21	Master of Arts (Journalism and Mass Communication)	1	41
JANUARY-2022	MAJMC-21	Master of Arts (Journalism and Mass Communication)	2	42
JANUARY-2022	MAJY-20	Master of Arts (Jyotish)	2	1
JANUARY-2022	MAJY-20	Master of Arts Jyotish)	3	8
JANUARY-2022	MAJY-20	Master of Arts (Jyotish)	4	58
JANUARY-2022	MAJY-21	Master of Arts (Jyotish)	1	28
JANUARY-2022	MAJY-21	Master of Arts (Jyotish)	2	26
JANUARY-2022	MAMT-20	Master of Arts (Mathematics)	2	2
JANUARY-2022	MAMT-20	Master of Arts (Mathematics)	3	3
JANUARY-2022	MAMT-20	Master of Arts (Mathematics)	4	16
JANUARY-2022	MAMT-21	Master of Arts (Mathematics)	1	8
JANUARY-2022	MAMT-21	Master of Arts (Mathematics)	2	11
JANUARY-2022	MAPA-19	MASTER OF ARTS(PUBLIC ADMINISTRATION)	2	1
JANUARY-2022	MAPA-20	MASTER OF ARTS(PUBLIC ADMINISTRATION) मास्टर ऑफ आर्ट्स(पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन)	3	5
JANUARY-2022	MAPA-20	MASTER OF ARTS(PUBLIC ADMINISTRATION) मास्टर ऑफ आर्ट्स(पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन)	4	12
JANUARY-2022	MAPA-21	MASTER OF ARTS(PUBLIC ADMINISTRATION) मास्टर ऑफ आर्ट्स(पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन)	1	21
JANUARY-2022	MAPA-21	MASTER OF ARTS(PUBLIC ADMINISTRATION) मास्टर ऑफ आर्ट्स(पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन)	2	16
JANUARY-2022	MAPS-17	Master of Arts (Political Science)	2	38
JANUARY-2022	MAPS-20	MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE)	2	30
JANUARY-2022	MAPS-20	MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE)	3	224
JANUARY-2022	MAPS-20	MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE)	4	626
JANUARY-2022	MAPS-21	MASTER OF ARTS(POLITICAL SCIENCE)	1	729
JANUARY-2022	MAPS-21	MASTER OF ARTS(POLITICAL SCIENCE)	2	770
JANUARY-2022	MAPSY-18	MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY)	2	1
JANUARY-2022	MAPSY-20	M.A. Psychology (एम.ए.– मनोविज्ञान)	2	6
JANUARY-2022	MAPSY-20	M.A. Psychology (एम.ए.– मनोविज्ञान)	3	26
JANUARY-2022	MAPSY-20	M.A. Psychology (एम.ए.– मनोविज्ञान)	4	105
JANUARY-2022	MAPSY-21	M.A.Psychology (एम.ए.– मनोविज्ञान)	1	80
JANUARY-2022	MAPSY-21	M.A.Psychology (एम.ए.– मनोविज्ञान)	2	111
JANUARY-2022	MASL-17	M.A. Sanskrit	2	11
JANUARY-2022	MASL-20	Master of Arts (Sanskrit) मास्टर ऑफ आर्ट्स (संस्कृत)	2	2
JANUARY-2022	MASL-20	Master of Arts (Sanskrit) मास्टर ऑफ आर्ट्स (संस्कृत)	3	17
JANUARY-2022	MASL-20	Master of Arts (Sanskrit) मास्टर ऑफ आर्ट्स (संस्कृत)	4	84

JANUARY-2022	MASL-21	Master of Arts (Sanskrit) मास्टर ऑफ आर्ट्स (संस्कृत)	1	52
JANUARY-2022	MASL-21	Master of Arts (Sanskrit) मास्टर ऑफ आर्ट्स (संस्कृत)	2	111
JANUARY-2022	MASO-17	Master of Arts (Sociology)	2	32
JANUARY-2022	MASO-20	M.A. Sociology (एम0ए0 समाजशास्त्र)	2	41
JANUARY-2022	MASO-20	M.A. Sociology (एम0ए0 समाजशास्त्र)	3	145
JANUARY-2022	MASO-20	M.A. Sociology (एम0ए0 समाजशास्त्र)	4	378
JANUARY-2022	MASO-21	M.A. Sociology (एम0ए0 समाजशास्त्र)	1	426
JANUARY-2022	MASO-21	M.A. Sociology (एम0ए0 समाजशास्त्र)	2	481
JANUARY-2022	16-May	M.A. Yoga	2	1
JANUARY-2022	17-May	Master of Arts (Yoga)	2	2
JANUARY-2022	20-May	Master of Arts Yoga (M A Yoga)	2	10
JANUARY-2022	20-May	Master of Arts Yoga (M A Yoga)	3	116
JANUARY-2022	20-May	Master of Arts Yoga (M A Yoga)	4	531
JANUARY-2022	21-May	Master of Arts Yoga (M A Yoga)	1	172
JANUARY-2022	21-May	Master of Arts Yoga (M A Yoga)	2	401
JANUARY-2022	MBA-17	Master of Business Administration	3	8
JANUARY-2022	MBA-17	Master of Business Administration	4	93
JANUARY-2022	MBA-21	Master of Business Administration	1	50
JANUARY-2022	MCA-17	Master of Computer Applications	4	1
JANUARY-2022	MCA-17	Master of Computer Applications	5	5
JANUARY-2022	MCA-17	Master of Computer Applications	6	10
JANUARY-2022	MCA-20	MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (मास्टर ऑफ़ कंप्यूटर एप्लीकेशन्स)	3	13
JANUARY-2022	MCA-20	MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (मास्टर ऑफ़ कंप्यूटर एप्लीकेशन्स)	4	29
JANUARY-2022	MCA-21	MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS	1	13
JANUARY-2022	MCOM-17	Master of Commerce	2	10
JANUARY-2022	MCOM-20	MASTER OF COMMERCE (मास्टर ऑफ कॉमर्स)	2	17
JANUARY-2022	MCOM-20	MASTER OF COMMERCE (मास्टर ऑफ कॉमर्स)	3	117
JANUARY-2022	MCOM-20	MASTER OF COMMERCE (मास्टर ऑफ कॉमर्स)	4	339
JANUARY-2022	MCOM-21	MASTER OF COMMERCE (मास्टर ऑफ कॉमर्स)	1	451
JANUARY-2022	MCOM-21	MASTER OF COMMERCE (मास्टर ऑफ कॉमर्स)	2	367
JANUARY-2022	MHM-17	Master of Hotel Management	4	1
JANUARY-2022	MPAM-20	Master Of Performing Arts (Music) प्रदर्शन कला(संगीत) में स्नातकोत्तर	3	1
JANUARY-2022	MPAM-20	Master Of Performing Arts (Music) प्रदर्शन कला(संगीत) में स्नातकोत्तर	4	18
JANUARY-2022	MPAM-21	Master Of Performing Arts (Music) प्रदर्शन कला(संगीत) में स्नातकोत्तर	1	14
JANUARY-2022	MPAM-21	Master Of Performing Arts (Music)	2	22

		प्रदर्शन कला(संगीत) में स्नातकोत्तर		
JANUARY-2022	MSCBOT-17	Master of Science in Botany	2	1
JANUARY-2022	MSCBOT-20	Master of Science (Botany)	2	4
JANUARY-2022	MSCBOT-20	Master of Science (Botany)	3	37
JANUARY-2022	MSCBOT-20	Master of Science (Botany)	4	156
JANUARY-2022	MSCBOT-21	Master of Science(Botany)	1	119
JANUARY-2022	MSCBOT-21	Master of Science(Botany)	2	179
JANUARY-2022	MSCCH-16	Master of Science in Chemistry	2	1
JANUARY-2022	MSCCH-17	Master of Science (Chemistry)	2	3
JANUARY-2022	MSCCH-20	Master of Science (Chemistry)	2	4
JANUARY-2022	MSCCH-20	Master of Science (Chemistry)	3	20
JANUARY-2022	MSCCH-20	Master of Science (Chemistry)	4	140
JANUARY-2022	MSCCH-21	Master of Science(Chemistry)	1	90
JANUARY-2022	MSCCH-21	Master of Science(Chemistry)	2	179
JANUARY-2022	MSCCS-18	Master of Science (Cyber Security)	3	2
JANUARY-2022	MSCCS-18	Master of Science (Cyber Security)	4	5
JANUARY-2022	MSCCS-21	MASTER OF SCIENCE (CYBER SECURITY)	1	4
JANUARY-2022	MSCCS-21	MASTER OF SCIENCE (CYBER SECURITY)	2	6
JANUARY-2022	MSCES-20	M.Sc. (Environmental Science)	3	18
JANUARY-2022	MSCES-20	M.Sc. (Environmental Science)	4	51
JANUARY-2022	MSCES-21	M.Sc.(Environmental Science)	1	47
JANUARY-2022	MSCES-21	M.Sc.(Environmental Science)	2	60
JANUARY-2022	MSCGE-20	MASTER OF SCIENCE IN GEOGRAPHY (एम०एससी०– भूगोल)	3	4
JANUARY-2022	MSCGE-20	MASTER OF SCIENCE IN GEOGRAPHY (एम०एससी०– भूगोल)	4	6
JANUARY-2022	MSCGE-21	MASTER OF SCIENCE IN GEOGRAPHY (एम०एससी०– भूगोल)	1	1
JANUARY-2022	MSCGE-21	MASTER OF SCIENCE IN GEOGRAPHY (एम०एससी०– भूगोल)	2	4
JANUARY-2022	MSCGIS-20	MASTER OF SCIENCE (GEO INFORMATICS)/ M.Sc.(GEO INFORMATICS)	3	11
JANUARY-2022	MSCGIS-20	MASTER OF SCIENCE (GEO INFORMATICS)/ M.Sc.(GEO INFORMATICS)	4	7
JANUARY-2022	MSCGIS-21	MASTER OF SCIENCE (GEO INFORMATICS) - M.Sc.(GEO INFORMATICS)	1	5
JANUARY-2022	MSCGIS-21	MASTER OF SCIENCE (GEO INFORMATICS) - M.Sc.(GEO INFORMATICS)	2	18
JANUARY-2022	MSCIT-17	Master of Science (Information Technology)	2	1
JANUARY-2022	MSCIT-17	Master of Science (Information Technology)	3	6
JANUARY-2022	MSCIT-17	Master of Science (Information Technology)	4	17
JANUARY-2022	MSCIT-21	MASTER OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY)	1	9
JANUARY-2022	MSCIT-21	MASTER OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY)	2	17
JANUARY-2022	MSCMT-19	MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS)	2	2

JANUARY-2022	MSCMT-20	Master of Science (Mathematics)	2	3
JANUARY-2022	MSCMT-20	Master of Science (Mathematics)	3	34
JANUARY-2022	MSCMT-20	Master of Science (Mathematics)	4	172
JANUARY-2022	MSCMT-21	Master of Science (Mathematics)	1	145
JANUARY-2022	MSCMT-21	Master of Science (Mathematics)	2	160
JANUARY-2022	MSCPH-21	Master of Science(Physics)	1	80
JANUARY-2022	MSCPH-21	Master of Science(Physics)	2	163
JANUARY-2022	MSCPHY-17	Master of Science in Physics	2	3
JANUARY-2022	MSCPHY-20	Master of Science (Physics) मास्टर ऑफ साइंस (भौतिक विज्ञान)	3	15
JANUARY-2022	MSCPHY-20	Master of Science (Physics मास्टrर ऑफ साइंस (भौतिक विज्ञान)	4	133
JANUARY-2022	MSCZO-19	MASTER OF SCIENCE(ZOOLOGY) मास्टर ऑफ साइन्स (जन्तु विज्ञान)	2	1
JANUARY-2022	MSCZO-20	Master of Science (Zoology) मास्टर ऑफ साइन्स (जन्तु विज्ञान)	2	1
JANUARY-2022	MSCZO-20	Master of Science (Zoology) मास्टर ऑफ साइन्स (जन्तु विज्ञान)	3	15
JANUARY-2022	MSCZO-20	Master of Science (Zoology) मास्टर ऑफ साइन्स (जन्तु विज्ञान)	4	179
JANUARY-2022	MSCZO-21	Master of Science (Zoology)	1	136
JANUARY-2022	MSCZO-21	Master of Science (Zoology)	2	160
JANUARY-2022	MSW-10	Master Of Social Work	4	2
JANUARY-2022	MSW-16	Master of Social Work	4	1
JANUARY-2022	MSW-17	Master of Social Work	2	6
JANUARY-2022	MSW-17	Master of Social Work	3	54
JANUARY-2022	MSW-17	Master of Social Work	4	91
JANUARY-2022	MSW-21	Master of Social Work	1	113
JANUARY-2022	MSW-21	Master of Social Work	2	103
JANUARY-2022	MTTM-17	Master of Tourism and Travel Management	3	3
JANUARY-2022	MTTM-17	Master of Tourism and Travel Management	4	14
JANUARY-2022	MTTM-21	Master of Tourism and Travel Management	1	9
JANUARY-2022	MTTM-21	Master of Tourism and Travel Management	2	14
JANUARY-2022	PGDCA-20	Post-Graduate Diploma in Computer Applications	2	1
JANUARY-2022	PGDHRM-17	PG Diploma Human Resource Management	2	1
				26907

नोट– विद्यार्थियों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी विवरण की अद्यतन जानकारी नीचे दिये गये लिंक http://www.uou.ac.in/announcement/2020/03/1357 से भी प्राप्त की जा सकती है।

–नोट–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के 17 बिन्दुओं के मैनुअल को दिनॉकः 30 जून 2022 के आधार पर संकलित/अद्योनीत किया गया है। मैनुअल को अन्तिम रूप संकलित/अद्योनीत कर दिनॉकः 08/09/2022 को अधिकारिक रूप से प्रदर्शित किया गया है, अतः दिनॉकः 30 जून 2022 एवं दिनॉकः 08 सितम्वर 2022 के मध्य जानकारी को भी अद्योनीत कर उपलब्ध कराया गया है।